কুরুক্ষেত্র

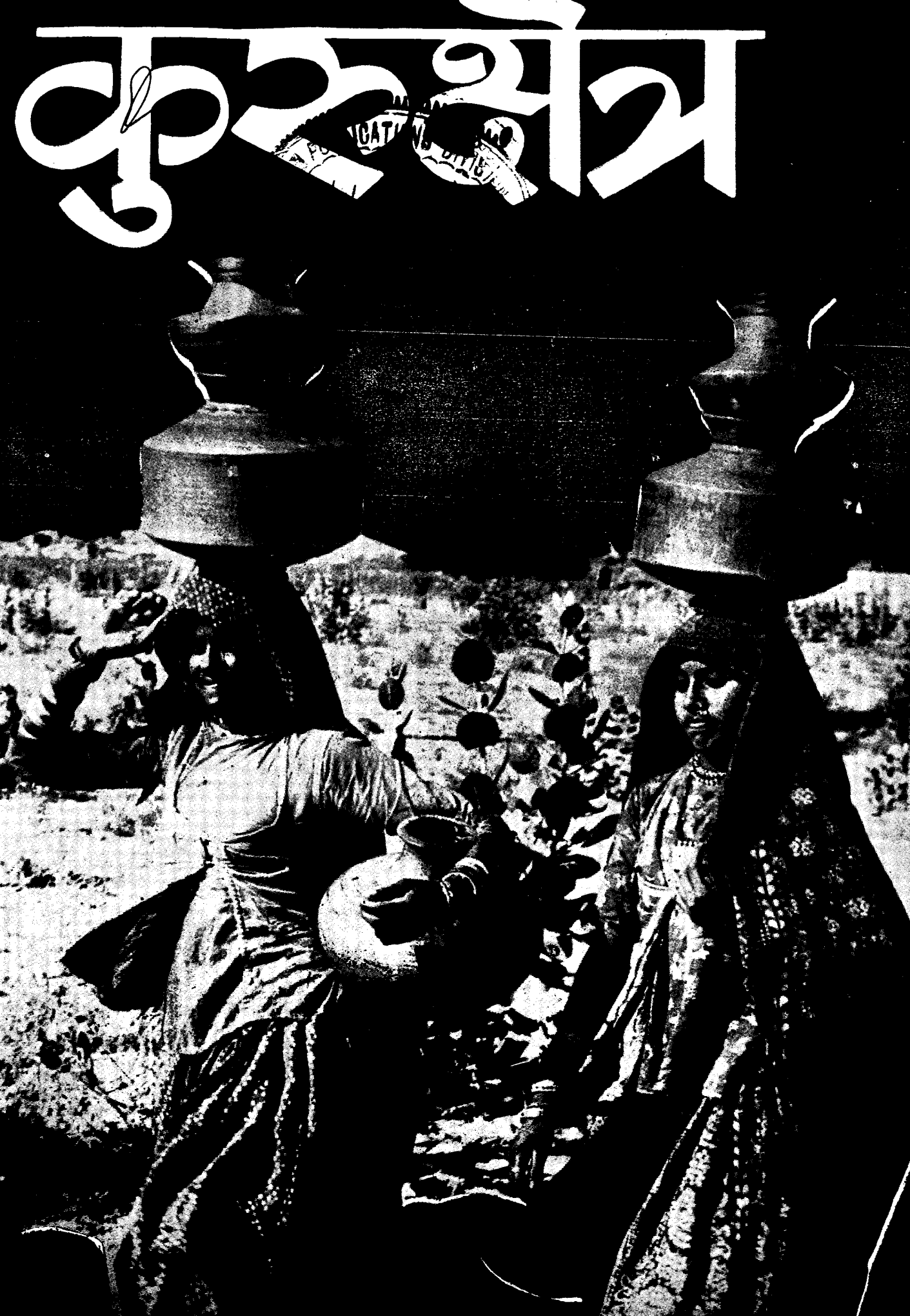

ऊसर और बंजर भूमि ने भी सोना उगला

हरिशचन्द्र शुक्ल

भारतीय राज्य फार्म निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश ने अपने एक वर्ष के कार्यकाल में ही हरित क्रान्ति को बढ़ावा देने में सराहनीय सहयोग दिया है। प्रदेश में निगम के दो फार्म हैं जो बहराइच और रायबरेली जिलों में स्थित हैं। नेपाल की सीमा से लगे हुए बहराइच से लगभग 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व घाघरा के तट पर कतरनिया घाट के निकट स्थित निगम के फार्म में बड़ी चहल-पहल दिखलाई पड़ती है। बड़ी संख्या में बुलडोजर और ट्रैक्टर जंगल साफ करने के अभियान में तेजी से लगे हैं। यहां 15,000 एकड़ क्षेत्र में एक विशाल फार्म बनाया जा रहा है जिसका शुभारम्भ गत 2 अक्तूबर को हुआ था।

अपने 6 मास के अल्प कार्यकाल में ही इस फार्म ने लाभ कमाकर यह स्पष्ट कर दिया है कि इस फार्म में लगे हुए कर्मचारी और अधिकारी न केवल निष्ठावान हैं वरन् उनमें उत्तरदायित्व के प्रति बड़ा उत्साह और लगन भी है। फार्म में पांच नलकूप लगाए जा चुके हैं तथा लिफ्ट सिंचाई की दो इकाइयां भी काम करने लगी हैं तथा कुल मिलाकर एक हजार एकड़ क्षेत्रफल को सिंचित क्षेत्र बनाया जा चुका है। इस सिंचित क्षेत्र में धान, सूर्यमुखी फूल, गन्ना, गेहूं, दालें, तिलहन तथा विभिन्न प्रकार की साग-सब्जियां उगाई जा रही हैं। इस वर्ष ही फार्म को कई लाख रु० की शुद्ध आय हो चुकी है।

बहराइच का यह फार्म राज्य फार्म निगम के चौदह फार्मों में, जो देश के विभिन्न राज्यों में स्थित हैं, दूसरा सबसे बड़ा फार्म है। जंगल कट जाने के बाद इस पूरे फार्म का क्षेत्रफल 15,000 एकड़ होगा। कृषि योग्य क्षेत्रफल 12,000 एकड़ होगा एवं जलभराव के 2,000 एकड़ क्षेत्र में मछली पालन परियोजना का विकास किया जाएगा। निगम के अन्य फार्म हैं; सूरतगढ़ (सबसे बड़ा), चेतगढ़, हिसार, लाडकोवाल, कन्नानोर, रायबरेली, रामपुर, खम्मान, चेंगम, काकोलाबाड़ी तथा मिजोराम।

बहराइच फार्म के अन्दर जलभराव के लिए 2,000 एकड़ क्षेत्र में मछली परियोजना का विकास किया जा रहा है। उसका शुभारम्भ 3 मई, 1974 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री अकबर अली खां ने मछली के दो बीज तालाब में डालकर किया। इस अवसर पर उपस्थित जन समुदाय, जिसमें विशाल संख्या में समीप के गांव के रहने वाले किसान थे, के बीच भाषण करते हुए राज्यपाल ने राजनैतिक स्वन्त्रता के साथ-साथ आर्थिक और सामाजिक समानता की आवश्कता पर बल दिमा। इन्होंने कहा कि ऐसा तभी हो सकता है जब हम अन्न उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएं। उन्होंने अधिक उत्पादन, समुचित भण्डारण, तथा उचित मूल्य पर खाद्यान्न के वितरण पर बल दिया। राज्यपाल ने आशा व्यक्त की कि फार्म के परिश्रमी कार्यकर्त्ता न केवल उत्तर प्रदेश के पिछड़े हुए जिलों में हरित

[शेष आवरण पृष्ठ IV पर

मज़दूर मंज़िल

कुरुक्षेत्र

वर्ष 19 जेष्ठ 1896 अंक 8

इस अंक में — पृष्ठ

ऊसर और बंजर भूमि ने भी सोना उगला आवरण II
हरिश्चन्द्र शुक्ला

प्रधान और विकास अधिकारी के बीच संघर्ष क्यों ? 3
धर्म चन्द जैन

युवा-पीढ़ी की उन्नति में पंचायत राज संस्थाओं का योग 5
अतहर अली

उपभोक्ता की कठिनाइयां 7
अम्बा प्रकाश माथुर

पोस्ट आफिस की इनामी बचत योजना 9
गुलाब चन्द जायसवाल

पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम 11
गंगाशरण सैनी

पांचवीं योजना में उद्योग और खनिज 13
पी० आर० लेटी

अपना धैर्य परखकर (कविता) 14
प्रेमचन्द गोस्वामी

राष्ट्र कवि और विचारक श्री दिनकर 15
प्रयागनारायण त्रिपाठी

गुड़गांव जिले में लघु किसान विकास एजेंसी 16

अब खारी जमीन भी सोना उगलेगी 18
डा० कमलाकान्त हीरक

गेहूं के सरकारी व्यापार की नीति में परिवर्तन क्यों ? 20
जगदीश कौशिक

ग्रामीण सेवा सहकारी समिति की वार्षिक साधारण सभा 21
यशवन्त सिंह बिसेन

एक ही पेशी में सबूत, सफाई और फैसला 24
कृष्ण कुमार कौशिक

इतिहास हमारा ऐसा है (कविता) 25
कुन्दन सिंह सजल

पाठकों की राय 26
कृ० गो० वानखड़े गुरुजी

रहम की भीख (कहानी) 28
श्रीराम शर्मा 'राम'

पहला सुख निरोगी काया 30
डा० युद्धवीर सिंह

साहित्य समीक्षा 31
शशिवोहरा, देवेन्द्र कुमार, त्रिलोकी नाथ

केन्द्र के समाचार, 33

राज्यों के समाचार 34

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, चित्र, फोटो आदि भेजिए। भाषा सरल हो और रचना का आकार 'कुरुक्षेत्र' के दो ढाई पृष्ठ से अधिक न हो।

●

अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है।

●

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने या पता बदलने या अंक न मिलने की शिकायत बिजनेस मैनेजर, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-1 से कीजिए।

●

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार सम्पादक 'कुरुक्षेत्र' (हिन्दी), कृषि, (सामुदायिक विकास और सहकारिता) मन्त्रालय, 467 कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें।

दूरभाष : 382406

एक प्रति 50 पैसे ● वार्षिक चन्दा 5.00 रुपए

सम्पादक :
पी० श्रीनिवासन

स० सम्पादक :
महेन्द्रपाल सिंह

उप सम्पादक :
त्रिलोकीनाथ

आवरण पृष्ठ :
आर० सारंगन

बर्बादी की राह पर

वैसे तो लगभग पिछले डेढ़ वर्ष से देश का जनजीवन तरह-तरह की कठिनाइयों में से गुजरता आ रहा है पर आज तो जनता की मुसीबतों का कोई ठिकाना ही नहीं। जहां पिछले दिनों एक ओर गुजरात और बिहार की घटनाओं से हमारे अर्थचक्र पर बुरा प्रभाव पड़ा, वहां दूसरी ओर बीमा कर्मचारियों, कपड़ा मिल कर्मचारियों, जूट कर्मचारियों तथा अन्यान्य कर्मचारियों की हड़तालों का जो तांता लगा, उससे देश की अर्थव्यवस्था को गहरा धक्का लगा था और अब रेल कर्मचारियों की हड़ताल से तो सारी अर्थव्यवस्था को ही चकनाचूर हो जाने की आशंका पैदा हो गई है। बाजारों से जीवन के लिए जरूरी बहुत-सी चीजें गायब हो गई हैं और मंहगाई एकदम उछल कर आकाश छूने लगी है।

ब्याह-बरातों के समय में रेल के पहियों का जाम हो जाना धनवानों के लिए भले ही इतना कष्टकर न हो पर गांव के उन गरीबों के लिए, जो बसों, टैक्सियों और मोटर कारों का ऊंचा किराया न दे सकने के कारण अपनी ब्याह-बरातों के लिए केवल रेलगाड़ियों का ही सहारा लेते हैं, अवश्य भारी कष्टकर है। इन हड़तालों से जहां देश की अर्थव्यवस्था छिन्न-भिन्न होती है वहां हिंसा, लूट, मारकाट, हत्या तथा आगजनी का वातावरण बनता है और इन अभिशापों का फल बेचारे गरीबों को ही भुगतना पड़ता है। एक समाचार के अनुसार बिहार प्रदेश में मुंगेर शहर के बड़े डाकखाने के अल्प वेतन पाने एक कर्मचारी श्री चन्द्रभूषण प्रसाद ने बड़ी मुश्किल से 5 वर्ष की अवधि में 5 सौ रुपये बचाए जो डाकखाने में जमा थे और जिनसे सम्बन्धित 'पास बुक' भी डाकखाने में जमा थी। जन कल्याण के दावेदार आए और बात की बात में डाकखाने को अग्निदेव की भेंट कर गए। चन्द्रभूषण का 5 सौ रु० भी स्वाहा हो गया और बेचारा हाथ मलता रह गया। अपने रुपए वापस पाने के लिए अब उसके पास न कोई रिकार्ड है और न उसकी कोई सुनने वाला। इसी डाकखाने में वहीं के एक कर्मचारी श्री रामानन्द सिंह के 7 हजार रु० जमा थे जो उसने अपनी पुत्री के विवाह के लिए अपने जीवन भर में कमाए थे। कन्या की शादी तै हो चुकी है पर धनाभाव में कैसे हो? बेचारे इन गरीब कर्मचारियों के दिल से तो पूछिए कि जन-कल्याण के नाम पर होने वाली ये काली करतूतें किन के हित में हैं?

हमें यह मानने में संकोच नहीं कि आज देश में अभाव, मंहगाई, चोरबाजारी, मुनाफाखोरी, मिलावट भ्रष्टाचार आदि बुराइयां विद्यमान हैं और इन्हीं के परिणामस्वरूप समाज में रोष, असन्तोष और आक्रोश का वातावरण बना हुआ है पर इसका कारण जहां एक ओर हमारी नैतिक कमजोरियां हैं वहां दूसरी ओर कुछ बाह्य तत्व भी हैं। आज दुनिया के सभी देश एक दूसरे से जड़े हुए हैं और एक दूसर की स्थिति का प्रभाव एक दूसरे पर पढ़ता ही है। तेल संकट और उससे उत्पन्न मुद्रा प्रसार से आज सभी देश प्रभावित हैं और इससे हमारी स्थिति भी प्रभावित हुई है जिसका नियन्त्रण हमारे बूते से बाहर है। साथ ही इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि देश में गरीबी-अमीरी का अन्तर बहुत बढ़ गया है। श्रमकों के विभिन्न वर्गों में बोनस और वेतन के सम्बन्ध में असमानता की स्थिति कायम है पर इसका अर्थ यह तो नहीं कि असामाजिक तत्वों को, जो जन असन्तोष से लाभ उठाकर समाज में अव्यवस्था, आतंक और अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, उल्लू सीधा करने की छूट दे दी जाए। अधिकारियों को अपने हाथ मजबूत करने होंगे और इन तत्वों की अच्छी तरह खबर लेनी होगी।

दूसरी ओर, जो तत्व जनकल्याण के दावेदार बनकर लोगों को हड़ताल, बन्द और अराजकता के लिए उकसाते और भड़काते हैं, उनसे निवेदन है कि वे अपनी हरकतों से बाज आए और 'चढ़ जा बेटा सूली पर भली करेंगे राम" की नीति छोड़ दें। भड़काने में आकर कर्मचारी हड़ताल तो कर बैठते हैं पर जब उसके परिणाम सामने आते हैं तो इन बेचारों को 'छटी का दूध' याद आ जाता है और अगणित कठिनाइयां भुगतनी पड़ती हैं।

आज जब कि देश की 40 प्रतिशत जनता गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है और राष्ट्र की दौलत में कोई वृद्धि नहीं हो रही, वेतन, भत्ता और बोनस में वृद्धि करने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इससे तो देश मंहगाई और मुद्राप्रसार के नागपाश में अधिकाधिक जकड़ता ही जाएगा। अतः जरूरी है कि देश के समूचे आर्थिक ढांचे पर फिर से विचार किया जाए और यह तभी हो सकता है जब देश के सभी जिम्मेदार लोग अपने दलगत भेदभाव भूल कर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से इस गम्भीर प्रश्न पर विचार करें और मिल जुल कर कोई ऐसा तरीका निकालें जिससे देश इस आर्थिक संकट से निकल कर समाजवाद की राह पर चल पड़े।

महेन्द्रपाल सिंह

प्रधान और विकास अधिकारी के बीच संघर्ष क्यों ?

धर्मचन्द जैन

स्वर्गीय पण्डित नेहरू का कहना था कि "लोकतन्त्र से तात्पर्य केवल शीर्ष पर संसद् का होना ही नहीं है अपितु उस शासन प्रणाली से है जो देश के प्रत्येक व्यक्ति को शासन संचालन में उचित स्थान प्रदान करे।" स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद लोकतन्त्र को उद्देश्यपूर्ण दिशा प्रदान करने और उसका जन-साधारण के साथ तादात्म्य स्थापित करने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लोकतन्त्र का आधार बनाया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम से तात्पर्य है व्यक्ति और समाज के सम्बन्धों को सही आधार पर खड़ा करना, स्वायत्तशासी क्षेत्र में लोककल्याण के उद्देश्य को प्राप्त करना, जन-नेतृत्व का प्रस्फुरण करना, नौकरशाही के जनतन्त्रीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करना तथा सत्ता का सर्वसाधारण को हस्तान्तरण करना। वास्तव में पंचायती राज व्यवस्था शासन की वह प्रणाली है जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम को क्रियात्मक स्वरूप प्रदान करती है।

यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि यह व्यवस्था तभी सफल हो सकती है जबकि गैर-सरकारी नेतृत्व और सरकारी मार्गदर्शन समन्वित दृष्टिकोण से कार्य करें। परन्तु व्यावहारिक अनुभवों से यह सिद्ध हो जाता है कि विकास अधिकारी और प्रधान के बीच मधुर सम्बन्ध नहीं होते और वे परस्पर विरोधी दिशा अपनाते हैं। इस असहयोग के वातावरण में विकास-कार्य पिछड़ जाते हैं।

खण्ड समिति के प्रधान और विकास अधिकारी के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करने में निम्नलिखित तत्वों का प्रमुख योगदान रहा है :—

प्रथम, खण्ड समिति के प्रमुख की यह धारणा होती है कि वह जनता का निर्वाचित प्रतिनिधि है, अतः पंचायत के कार्यों और शक्ति पर उसी का नियंत्रण होना चाहिए। दूसरी तरफ विकास अधिकारी की यह धारणा है कि वह राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासनिक अधिकारी है, अतः उसी को वास्तविक शक्ति का उपयोग करना चाहिए। इस तरह खण्ड समिति में 'शक्ति' को प्राप्त करने, नियंत्रित करने तथा वास्तविक प्रयोग को लेकर विकास अधिकारी और प्रधान के बीच टकराहट उत्पन्न होती है।

द्वितीय, प्रधान और विकास अधिकारी दोनों ही विभिन्न वैयक्तिक, शैक्षणिक, और सामाजिक पर्यावरण से आते हैं। विकास अधिकारी नगरीय क्षेत्रों के निवासी, उच्च शिक्षा प्राप्त और सरकारी नियमों का कठोरतापूर्वक पालन करने वाली मनोवृत्ति के होते हैं, जबकि प्रधान ग्राम्य-क्षेत्रों के होते हैं जिनका लक्ष्य क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान, व्यक्तिगत और दलीय हितों की पूर्ति और अपने समर्थकों को अनुग्रहीत करने तक ही सीमित होता है। इस पृष्ठभूमि में पंचायती राज व्यवस्था के ये दोनों ही महत्वपूर्ण अधिकारी संघर्ष-लिप्त रहते हैं।

तृतीय, पंचायती राज के ये दोनों महत्वपूर्ण अधिकारी जिस तरह से जातिवाद, साम्प्रदायिकता और दबाव की राजनीति में काम कर रहे हैं उससे तो यही प्रकट होता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के स्थान पर 'सत्ता और कुर्सी की राजनीति' ही पंचायती राज व्यवस्था का सर्वोपरि लक्ष्य बन गया है।

चतुर्थ, इस व्यवस्था में सरकारी और गैर सरकारी अधिकारियों के बीच सम्पर्क सीधे और खुले रूप में होता है। अतः खण्ड समिति प्रमुख और विकास अधिकारी के बीच संघर्ष की स्थिति अवश्यम्भावी बन जाती है।

पंचम, प्रधानों के हस्तक्षेप, संकीर्ण मनोवृत्ति और सन्देहशील प्रकृति के कारण आलोचना-प्रत्यालोचना का वातावरण बना रहता है।

षष्ठम्, विकास कार्यक्रमों की क्रियान्विति के प्रश्न को लेकर भी विकास अधिकारी और प्रधान के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

संघर्ष-क्षेत्र

प्रधान और विकास अधिकारी के बीच निम्न प्रश्नों को लेकर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है:—

प्रथम, खण्ड समिति द्वारा विकास कार्यों को सम्पन्न करने की दृष्टि से जनता को ऋण दिया जाता है। इस ऋण के वितरण को लेकर प्रधान और विकास अधिकारी के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्रधान अपने राजनीतिक आधार को मजबूत करने के लिए खण्ड समिति द्वारा वितरित किए जाने वाले ऋण का अधिकाधिक अपने समर्थकों में वितरण करने का प्रयास करता है। अगर विकास अधिकारी प्रधान के विमत का है तो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

द्वितीय, ऋणों की वसूली के स्थगन के प्रश्न को लेकर भी प्रधान और विकास अधिकारी के बीच टकराहट उपस्थित होती है।

तृतीय, खण्ड समिति के साधनों पर नियन्त्रण स्थापित करने की स्पर्धा भी संघर्ष का कारण बन जाती है।

चतुर्थ, खण्ड समिति की जीप, ट्रैक्टर, कम्प्रेशर और अन्य वाहनों के उपयोग को लेकर भी विकास अधिकारी और प्रधान के बीच सम्बन्ध बिगड़ सकते हैं।

पंचम्, पंचायत समिति के अधीनस्थ स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्तियों और उनके स्थानान्तरण के प्रश्न को लेकर कटुता उत्पन्न हो जाती है।

षष्टम्, लालटेन, टाटपट्टी और फर्नीचर के उपयोग के प्रश्न को लेकर भी विकास अधिकारी और प्रधान के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

सप्तम्, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति के प्रश्न पर भी विकास अधिकारी और प्रधान के बीच 'शक्ति परीक्षण' की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

अष्ठम्, मंत्रियों के दौरों के निर्धारण के प्रश्न को लेकर भी प्रधान और विकास अधिकारी के सम्बन्धों में तनाव आ जाता है। प्रधान अपने राजनीतिक वर्चस्व की स्थापना के उद्देश्य को लेकर ही मंत्रियों के दौरे निर्धारित करता है, परन्तु विकास अधिकारी जो कि प्रशासनिक अधिकारी है, इन दौरों का उसके प्रशासनिक उत्तरदायित्वों के निर्वाह पर कुप्रभाव पड़ सकता है। अतः वह समय-असमय में निर्धारित किए जाने वाले दौरों का विरोध करता है।

सम्बन्धों का स्वरूप

खण्ड समिति के प्रधान और विकास अधिकारी के बीच निम्न प्रकार के सम्बन्धों का स्वरूप विकसित हो सकता है :—

प्रथम, अगर प्रधान और विकास अधिकारी के बीच दलीय समानता, स्वार्थों की एकरूपता और सहयोग की भावना है तो उनके सम्बन्ध मधुर होंगे। दोनों को एक दूसरे के स्वार्थों की पूर्ति में कोई आपत्ति नहीं होगी।

द्वितीय, अगर खण्ड समिति का प्रधान प्रभावशाली व्यक्तित्व, सामुदायिक विकास कार्यों के प्रति जागरूक, क्षेत्रीय समस्याओं के गहन ज्ञान, खण्ड में प्रभावशाली बहुमत और शासक दल की राजनीति में विशिष्ट स्थान रखता है तो प्रधान की शक्ति प्रभावशाली हो जाती है और विकास अधिकारी की स्थिति गौण बन जाती है।

तृतीय, एक कुशल और जागरूक प्रशासक के रूप में विकास अधिकारी अपने अधीनस्थ सहयोगियों की सहायता से अशिक्षित और दुर्बल प्रकृति के प्रधान पर हावी हो सकता है।

चतुर्थ, एक विरोधी दल का प्रधान बहुधा यह शिकायत करता है कि विकास अधिकारी के माध्यम से सत्तारूढ़ दल उसे दबाने का प्रयत्न कर रहा है।

पंचम्, एक चतुर विकास अधिकारी प्रधान के दल के असन्तुष्ट गुट के साथ गठबन्धन कर प्रधान की स्थिति को संकटपूर्ण बना सकता है। वह प्रधान को अपनी इच्छाओं के अनुसार संचालित करने को भी विवश कर सकता है। ऐसी स्थिति में प्रधान और विकास अधिकारी के बीच हमेशा सन्देह का वातावरण बना रहता है।

सहयोग

प्रधान और विकास अधिकारी के बीच घात-प्रतिघात और आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति ने पंचायती राज व्यवस्था की जड़ों को खोखला किया है। आज इन संस्थाओं की कार्यप्रणाली की सफलता के प्रति जनमानस अत्यन्त संदिग्ध बन गया है और वह निराश भी हो गया हैं। पंचायती राज व्यवस्था में विकास गति भी अत्यन्त धीमी बन गई है। इस समस्या के समाधान के लिए टी०टी० कृष्णमाचारी, सादिक अली और गिरधारीलाल व्यास समिति के प्रतिवेदनों में काफी प्रकाश डाला गया है। पंचायती राज व्यवस्था के इन दोनों आधारभूत अधिकारियों में परस्पर सहयोग की भावना के लिए निम्न साधन अपनाए जा सकते हैं :—

प्रथम, ग्रामीण समस्याओं के समाधान के लिए यह आवश्यक है कि विकास अधिकारी के पद पर आई. ए. एस. श्रेणी के व्यक्ति की नियुक्ति की जाए। उनका ज्ञान और अनुभव राज्य सेवाओं के अधिकारियों की अपेक्षा अधिक लाभप्रद हो सकता है। खण्ड समितियों के प्रमुख भी उसी स्थिति में आक्रामक हो हो सकते हैं जबकि वे यह समझते हैं कि विकास अधिकारी राज्य की दलीय स्थिति से मुक्त नहीं रह सकते हैं। आई. ए. एस. सेवाओं के स्तर के विकास अधिकारी राजनीतिक कुप्रभावों से मुक्त रहकर सामुदायिक कार्यक्रमों का दृढ़तापूर्वक सम्पादन करने में समर्थ हो सकेंगे।

द्वितीय, विकास अधिकारी को अपने कार्यों को दृढ़तापूर्वक सम्पादन करने के लिए अधिक अधिकार प्रदान किए जाएं। वर्तमान समय में विकास अधिकारी मुख्यप्रशासकीय अधिकारी के रूप में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के अपीलीय अधिकार के कारण अधिक ठोस कदम नहीं उठा पाता है। विकास अधिकारी उन कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही में असफल रहता है जिनका कि प्रधान के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। अतः अपील के इस अधिकार को समाप्त किया जाना चाहिए।

तृतीय, वर्तमान समय में पंचायती राज व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण यही है कि 'कृषि-उत्पादन में वृद्धि' ही इस प्रणाली का प्रमुख लक्ष्य है, जबकि वास्तव में पंचायती राज का इससे कहीं अधिक व्यापक उद्देश्य है। यह वह शासन प्रणाली है जिसके माध्यम से जनता का लोकतन्त्र से प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है। अतः प्रधान और विकास अधिकारी का यह दायित्व है कि वे व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएं।

निष्कर्ष रूप में कह जा सकता है कि हमारी पंचायती राज प्रणाली अभी निर्माणावस्था में है, जिसके सामने अनेक प्रकार की कठिनाइयां और चुनौतियां उपस्थित हैं। इनसे पार पाने के लिए सरकारी और गैरसरकारी अधिकारियों में सहयोग होना आवश्यक है। इस सहयोग के बिना पंचायती राज शासन प्रणाली का कोई अर्थ नहीं है। अतः संघर्ष के स्थान पर सहयोग और सद्भाव का दृष्टिकोण ही इस व्यवस्था को नई गति प्रदान कर लोककल्याण के धरातल पर खड़ा कर सकता है।

270, अशोक नगर,
रोड नं० 18,
उदयपुर (राज०)

युवा-पीढ़ी की उन्नति में पंचायती राज संस्थाओं का योग

अतहर अली

आज का युग सम्भवतः एक विज्ञान युग है। परन्तु यह केवल विज्ञान की उन्नति के लक्ष्य को अग्रसर करता है। सही रूप और सही दृष्टि से यदि इस युग को परखा जाए तो हमें प्रतीत होगा कि आज का युग विज्ञान युग के अतिरिक्त मनुष्यता का युग अर्थात् प्रजातन्त्रात्मक युग है। अतः देश का शासन-संचालन जनता के चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। किन्तु इस प्रजातन्त्रीय आदर्श की सफलता तभी सम्भव हो सकती है जब कि देश की जनता जागरूक हो, और शासन संचालन का भी कुछ ज्ञान रखती हो।

भारत वर्ष में अंग्रेजी शासन से पूर्व पंचायती राज की व्यवस्था अत्यन्त उच्च कोटि की थी। प्राचीन भारत के गण-राज्य मूल रूप में पंचायती राज्य ही थे। गांवों का शासन ग्राम पंचायत के हाथ में था और गांव पूर्ण रूप से आत्म-निर्भर रहते थे। सभी प्रकार के आपसी झगड़ों को पंचायतें पूर्ण रूप से निबटा देती थीं, और ग्राम कल्याण का कार्य भी इन पंचायतों द्वारा सफलतापूर्वक सम्पन्न होता था। गांवों की इस आन्तरिक व्यवस्था में कोई भी बाहरी शक्ति हस्तक्षेप नहीं करती थी। वैदिक युग से ही भारत के गांवों में पंचायती व्यवस्था कायम थी। दक्षिण भारत में भी ग्राम पंचायतों का विकसित रूप था। मौर्य शासन काल की उत्तम पंचायत व्यवस्था का उल्लेख प्रसिद्ध यात्री मैगस्थनीज़ के वर्णनों में मिलता है। मुस्लिम शासन काल में भी पंचायती राज बड़ा प्रभावशाली और सक्रिय था। किन्तु भारत में अंग्रेजी शासन के स्थापित होते ही पंचायतों का अन्त आ गया। अंग्रेजों का उद्देश्य ही यह था कि जैसे बने भारतवासियों को पूरी तरह अपना दास बना लिया जाए। इसके लिए उन्होंने गांवों की पंचायतों को समाप्त किया। फलतः भारतीयों में से आत्म गौरव और स्वावलम्बन का भाव निकल गया। अंग्रेजों ने पश्चिमी ढंग पर फौजदारी, दीवानी और माल की अदालतें स्थापित कर दीं। इसका परिणाम यह हुआ कि ग्राम पंचायतों के अभाव में गांवों में सहयोग और सद्भावना के भाव मिटने लगे। इसके स्थान पर द्वेष, ईर्ष्या, झूठ, धोखा, लड़ाई-झगड़े व्याप्त हो गए, मुकदमेबाजी बढ़ती चली गई और ग्रामीण समाज ऋण और निर्धनता में डूब गया। अंग्रेजों की 'फूट डालो और राज्य करो' वाली नीति सफल हुई।

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् भारत की राष्ट्रीय सरकार ने पंचायतों के महत्व को समझते हुए शीघ्रातिशीघ्र पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना कर दी जिससे भविष्य की आने वाली युवा पीढ़ियों को इससे बहुत लाभ पहुंचा। ग्रामों को स्वावलम्बी और सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत करने के योग्य बनाना ही ग्राम पंचायत का प्रमुख उद्देश्य है। उदाहरणस्वरूप उत्तर प्रदेश में पंचायती राज कानून पास हुआ जिसके अनुसार ग्रामों को न्याय और व्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ अधिकार दिए गए जिसके फलस्वरूप ग्रामों में स्थानीय-स्वायत्त शासन की ग्राम-सभा, ग्राम-पंचायत और न्याय-पंचायत नामक तीन संस्थाएं स्थापित की गईं। ग्रामीण जीवन में इसका वही स्थान है, जो क्रमशः संसद्, मन्त्रिपरिषद् और सर्वोच्च न्यायालय का देश के जीवन में है। स्थानीय स्वशासन का महत्व ब्रिटेन के सुप्रसिद्ध विचारक लास्की के इस सुझाव से स्पष्ट हो जाता है कि "जब तक कोई व्यक्ति कम से कम तीन वर्ष तक किसी स्थानीय स्वशासन संस्था का सदस्य न रह चुका हो तब तक किसी विधायिका की सदस्यता के लिए उम्मीदवार नहीं होना चाहिए।" वास्तव में स्थानीय स्वशासन लोकतन्त्र का सबसे अच्छा शिक्षालय और उसकी सफलता का मुख्य आधार है।

साधारणतया कम से कम दो सौ पचास जनसंख्या वाले हर गांव में एक ग्राम सभा होती है। इससे कम जनसंख्या वाले गांव को पास के गांव से मिलाकर दोनों की एक ग्राम सभा बना दी जाती है। उत्तर प्रदेश में सन् 1971 तक 72,188 ग्राम सभाएं थीं। ग्राम के सभी वयस्क स्त्री पुरुष इस सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा अपने सदस्यों में से कुछ सदस्यों की एक कार्यकारिणी बनाती है। यह कार्यकारिणी समिति ही ग्राम पंचायत कहलाती है। इस ग्राम पंचायत का एक प्रधान और एक उप-प्रधान होता है। ये व्यक्ति ग्राम सभा के भी क्रमशः प्रधान और उप-प्रधान होते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या ग्राम सभा के क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर पन्द्रह से तीस तक होती है। ग्राम निवासियों के छोटे-मोटे झगड़ों का फैसला शीघ्र ही बहुत कम व्यय में आसानी से हो जाया करे, इस उद्देश्य से न्याय पंचायतों की व्यवस्था की गई है। कई ग्रामसभाओं के क्षेत्रों को मिलाकर एक न्याय पंचायत होती है। जिस न्याय पंचायत में जितनी ग्रामसभाओं के क्षेत्र होते हैं उन सभी क्षेत्रों में रहने वालों के छोटे

मामलों की सुनवाई और उनका फैसला वह न्याय पंचायत करती है। कितनी ग्राम सभाओं के क्षेत्रों को मिलाकर एक न्याय पंचायत बने यह जिला अधिकारी निर्धारित करता है। न्याय पंचायतों में कम से कम दस और अधिक से अधिक पच्चीस सदस्य पंच हो सकते हैं। न्याय पंचायत के सदस्यों की संख्या ऐसी होनी चाहिए जो पांच से पूरी-पूरी बंट जाए। जिस न्याय पंचायत में बारह से अधिक ग्राम सभाएं होती हैं, उसमें प्रत्येक ग्राम सभा से एक-एक पंच लिया जाता है, और शेष सदस्य उनमें से सबसे अधिक जनसंख्या वाली ग्राम सभाओं से लिए जाते हैं।

पंचायती राज संस्थाओं में क्रम से प्रथम स्थान ग्राम सभा का आता है। गांव की उन्नति और समृद्धि ही ग्राम सभा का परम लक्ष्य है। यह सभा ग्राम विकास की योजनाएं बनाती है और उन्हें सही रूप से कार्यान्वित करती है। प्रधान को तथा ग्राम पंचायत के सदस्यों को भी यही सभा चुनती है। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत की एक सामान्य निधि होती है। यह गांव निधि कहलाती है। यह निधि इन तीनों संस्थाओं के काम आती है। इसकी देख रेख तथा प्रति वर्ष इसके लेखा-जोखा के कार्य का संचालन भार भी ग्राम सभा के कन्धों पर होता है। ग्राम सभा ग्रामीण जनता के लिए जो उपलब्धियां संग्रह करती है अथवा गन्दगी आदि की सफाई के लिए जो कार्य करती है उस पर कुछ कर तथा शुल्क ग्राम निवासियों से लेती है और यही कर तथा शुल्क ग्राम सभा की आय का मुख्य स्रोत बन जाता है।

द्वितीय मुख्य स्थान ग्राम पंचायत का आता है। ये पंचायतें अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार गांव के सुधार के लिए पूर्ण रूप से कटिबद्ध हैं। ग्राम निवासियों की चिकित्सा सहायता करना, सफाई तथा संक्रामक रोगों की रोकथाम व इलाज का प्रबन्ध करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तालाब पोखर, तथा पीने के पानी के साधनों का भी ये पंचायतें प्रबन्ध करती हैं। लड़के व लड़कियों की शिक्षा के लिए प्राथमिक स्कूल खोल कर उसका भलीभांति संचालन करती हैं। इसके अतिरिक्त, सड़कों को बनवाना, प्रकाश का प्रबन्ध करना तथा बाढ़ नियन्त्रण के लिए दीवारों बन्धों आदि का निर्माण भी ग्राम पंचायतों के कार्यों के अन्तर्गत आता है। कृषि, वाणिज्य तथा उद्योगों की उन्नति एवं विकास में सहायता करना इस पंचायतों का कर्त्तव्य है। कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको ग्राम पंचायत चाहे करे या न करे यह उसकी इच्छा पर निर्भर होता है, परन्तु देश को समृद्धिशील बनाने के लिए ग्राम पंचायत इन कार्यों को भी करती है, जैसे कि सड़कों के किनारे पेड़ लगवाना, ऊंची-नीची जमीन समतल करवाना, सरकार से मिलने वाले ऋण से किसानों की सहायता करना और उनके लिए अच्छे बीज और खाद आदि का प्रबन्ध करना, पुस्तकालय एवं वाचनालय स्थापित करना, जन्म, मृत्यु, विवाह आदि का विवरण रखना, पशुओं की नस्ल सुधारना, दुर्घटना की रोकथाम करना तथा सामाजिक कटुता को समाप्त करने के लिए संस्थाएं स्थापित करना आदि कार्य ग्राम पंचायतों के ऐच्छिक कार्यों के अन्तर्गत आते हैं। इन कार्यों के लिए राज्य सरकार तथा जिला बोर्ड से निर्धारित आर्थिक सहायता पंचायतों को दी जाती है। ग्राम पंचायतों को यह भी अधिकार है कि अपने क्षेत्र में काम करने वाले पटवारी तथा कान्सटेबुल की कार्य विमुखता या दुराचरण सम्बन्धी शिकायत उच्च अधिकारियों के पास भेज दें।

ग्राम पंचायत का सही मार्गदर्शन, ग्रामीण जनता के सहयोग पर ही सम्भव है। इन दोनों का सहयोग न मिलने पर ग्राम पंचायत का सफल होना असम्भव है। प्राकृतिक आर्थिक संकट भी ग्राम पंचायत की उन्नति में अवरोधक है। आकाशवाणी के अनुसार इस वर्ष उड़ीसा के तेरह जिलों की नौ सौ पचास ग्राम पंचायतों में सूखा की स्थिति पड़ गई है। इस स्थिति का मुख्य कारण कुछ अंश तक जनता का असहयोग और कुछ अंश तक प्राकृतिक प्रकोप के रूप में प्रकट है।

अन्त में तृतीय स्थान न्याय पंचायत का है। गांव में इसका भी उतना ही अधिक महत्व है जितना कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का महत्व है। न्याय पंचायत का प्रमुख कार्य यह है कि वह गांव में सार्वजनिक स्थान पर लड़ाई-झगड़ा, महिला की लज्जा के अपहरण का प्रयत्न, बेगार, भूमि और मकान में अनधिकार प्रवेश तथा पचास रुपये तक की चोरी आदि की सुनवाई का कार्य करे। न्याय पंचायत फौजदारी के मामले मे अपराधी पर सौ रुपये तक का जुर्माना कर सकती है। उसे कैद की सजा देने का अधिकार नहीं है। किसी व्यक्ति द्वारा शान्ति भंग किए जाने की आशंका होने पर उस व्यक्ति से पन्द्रह दिन के लिए सौ रुपये तक की जमानत मुचलका ले सकती है। यदि कोई न्याय पंचायत बहुत अच्छा कार्य करती है तो राज्य सरकार उसे पांच सौ रुपये तक के आर्थिक मूल्य के दीवानी मुकदमे सुनने का अधिकार दे सकती है।

ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत के सम्मुख अनेक कार्य उपस्थित होते हैं। इन कार्यों से युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन होता है। चूंकि भारतवर्ष की अधिकतर जनसंख्या देहातों में निवास करती है अतः पंचायती-राज संस्थाओं के स्थापित होने से सबसे अधिक लाभ युवा पीढ़ी तथा ग्रामीण जनता को पहुंचता है और इस लाभ पर ही देश की उन्नति एवं समृद्धि निर्भर है। इसके अतिरिक्त, आने वाली भावी पीढ़ियों पर भी कर्त्तव्यनिष्ठा, कर्मशीलता, एवं सदाचार की भावना से ओत-प्रोत होने का प्रभाव पड़ता है। उनके अन्दर स्वयं कार्य करने की इच्छा जन्म लेती है, जिससे संयुक्त कार्य प्रणाली की भावना भी प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होती है। वास्तव में सैकड़ों वर्षों की पराधीनता ने हमारे चरित्र का पतन कर दिया है। आवश्यकता इस बात की है कि समस्त दोषों को दूर करके पंचायती-राज को सफल बनाया जाए। पंचों का निर्वाचन योग्यता, चरित्र, ईमानदारी और सेवा के आधार पर हो। पंचायती-राज संस्थाओं को सरकार से कुछ अधिक अनुदान मिलना चाहिए जिससे वे ग्राम-सुधार के कार्यों को भली प्रकार चला सकें।

उपभोक्ता की कठिनाइयां

अम्बा प्रकाश माथुर

यदि हम इतिहास के पृष्ठ उलटें तो पता चलता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश था। कहते हैं इसी देश में दूध और घी की नदियां बहती थीं और अनाज की कोई कमी नहीं थी। कभी-कभी एक विचार आता है कि क्या यह भारत वही भारत है जो सोने की चिड़िया कहलाता था ? कम से कम मेरी आयु वाले युवक को तो यह विश्वास नहीं हो सकता कि यह मेरा देश भारत एक कृषि प्रधान देश था और इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। परन्तु इतिहास इस बात का साक्षी है, खाद्यान्न की दृष्टि से यह देश काफी अधिक धनी देश था।

मूल्य वृद्धि

समय परिवर्तनशील है। वही सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश गुलाम हुआ। इसके अतिरिक्त भारत की आबादी इतनी तीव्र गति से बढ़ी कि आज स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में रासायनिक खाद और अच्छे किस्म के बीज के साथ-साथ खेती के वैज्ञानिक तरीके काम में लेने से सफलता प्राप्त होने के बावजूद खाद्य फसलों का उत्पादन देश की खाद्यान्न मांगों को पूरा करने में असमर्थ है। दूसरी ओर स्वतन्त्र व्यापार की आड़ में व्यक्तिगत व्यापारी इस कमजोरी का लाभ उठाने में नहीं चूकते। ये लोग देश में खाद्यान्नों का वितरण और संग्रह राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर नहीं करते बल्कि व्यापारी और व्यापारिक मध्यस्थ अपने लाभों को बढ़ाने के लिए उत्पादन को संग्रहीत कर रोक लेते हैं और मांग की पूर्ति जानबूझ कर कम करने का प्रयास करते हैं ताकि मूल्य बढ़ जाएं और उसका पूरा लाभ स्वयं उठा लें।

पिछले कई वर्षों से सरकार की अपीलें व वैधानिक प्रतिबन्ध व्यापारियों की चालाक नीतियों के समक्ष प्रभावहीन ही रहे हैं। मूल्य निरन्तर बढ़ते गए। इन बढ़ते हुए मूल्यों से न तो किसान को ही लाभ हुआ और उधर आम जनता (उपभोक्ता) कमर तोड़ मंहगाई से पिसती गई। इन स्वार्थनिहित विपणन नीतियों को नियन्त्रित करने के लिए सरकार ने क्षेत्रीय प्रतिबन्ध लगाया, लेवी योजना आरम्भ की, अन्य देशों से अनाज आयात कर राशनिंग द्वारा वितरण करना शुरू किया और बफर स्टाक की भी व्यवस्था की और यहां तक कि गेहूं के थोक व्यापार जैसे विकट कार्य को अपने हाथ में लेने का बीड़ा उठा लिया।

परन्तु यह अत्यन्त खेद और दुर्भाग्य की बात है कि सरकार की विभिन्न योजनाओं के उपरान्त भी कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई जिसके लिए स्वयं जनता (जिसमें व्यापारी वर्ग मुख्य हैं) उत्तरदायी है। मुझे याद है कुछ वर्षों पूर्व श्रीगंगानगर जिले में चने के भाव अत्यधिक बढ़ गए थे तो सरकार ने भावों में गिरावट लाने के आशय से चने के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाया। परन्तु व्यापारी कौम चालाक और होशियार कौम है, उन्होंने चने से चने की दाल बनाई और निर्यात करते रहे। ट्रक के बीच की बोरियों में चने भी लादते रहे और लाखों रुपयों की काली कमाई की।

पिछले वर्ष जब राजस्थान के कुछ क्षेत्र में एक जिले से दूसरे जिले में चना निर्यात करने पर पाबन्दी लगाई उस समय अलवर, भरतपुर और सवाई-माधोपुर जिलों में चने का भाव एक सौ रुपए प्रति क्विण्टल था और आगरा में चना एक सौ पचपन रुपए प्रति क्विण्टल था।

चने के भाव में इतना अन्तर देख व्यापारियों ने अपना धन्धा किया क्योंकि राजस्थान के उक्त जिले आगरा के नजदीक हैं और सीधी पक्की सड़कों की अच्छी सुविधा है। केवल दो ढाई महीनों में लगभग पांच लाख क्विण्टल चना राजस्थान से आगरा पहुंचाया और दो करोड़ रुपए की काली कमाई की। उधर राजस्थान जो अकाल से पीड़ित था। वहां चना के भाव एक सौ रुपए से बढ़ कर सवा सौ रुपया प्रति क्विण्टल हो गए।

तात्पर्य यह है कि इस प्रकार की योजना असफल कर व्यापारियों ने काली कमाई की और आम जनता को तो लाभ होना दूर रहा व्यापारियों ने करों की चोरी कर सरकार को भी हानि पहुंचाई।

अनाज का संग्रह

इस विषय पर लिखने से पूर्व यह याद दिलाना चाहूंगा कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व जागीरदार लोग किसानों की कड़ी मेहनत मे पैदा की हुई किसी भी कृषि उपज को खेत से ले जाने नहीं देते थे जब तक कि वे (जागीरदार) अपनी इच्छानुसार बहुत ही अधिक मात्रा में किसानों से वसूल नहीं कर लेते थे। अकाल के समय तो किसानों की ऐसी दुर्दशा होती थी कि उनके स्वयं के खाने हेतु भी पूरा अनाज पैदा नहीं होता था, परन्तु उन जागीरदारों को तथा गांव के व्यापारियों को तो देना ही पड़ता था। अंग्रेजों का राज्य था, किसान गुलाम थे। उस समय कोई किसान कुछ भी नहीं बोल सकता था, उफ तक नहीं कर सकता था। इस वसूली के एवज में उसे मिलता था दुख, दर्द और रोष। अंग्रेजों के राज्य काल में किसानों की हालत अत्यन्त दबी हुई थी, दर्दनाक थी। उस समय उसका दुख-दर्द

सरकार से सुनाने वाला कोई नहीं था। वह कर्ज में पैदा होता था, कर्ज में अपना जीवन बिताता था और कर्ज में ही मर जाता था।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् किसान खुशहाल हुए, उनकी माली हालत अच्छी हो गई। उन्हें हर प्रकार की सुविधा मिलने लगी। उनके हित के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाएं बनाईं, कानून बनाए, अच्छे किस्म के बीज वितरित किए, रासायनिक खाद व वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के लाभों से अवगत कराय. । इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की सिंचाई योजनाएं सरकार ने बना कर देश में हरित क्रान्ति की ओर कदम बढ़ाया। किसानों को विभिन्न प्रकार के अनुदान व ऋण दिए तथा उनके गांवों में बिजली उपलब्ध की। इसके फलस्वरूप फसल की पैदावार भी काफी बढ़ी। इसका सीधा लाभ किसानों को हुआ। इतना ही नहीं, देश के प्रत्येक प्रान्त की सरकारों ने किसानों के हित के लिए मण्डी कानून बनाए ताकि उनको अपनी उपज का मूल्य अधिक से अधिक मिले, अनुचित कटौतियां (काटा, छीजन, धरमादा, देवल, लाभ-हानि, कबूतरा, प्याऊ, चिट्ठी-पत्री खर्च, व्यापार एसोसिएशन, दामी वगैरा) न हों, मण्डी खर्चे कम व नियमानुसार हो। इसके अतिरिक्त मण्डी कानून के अन्तर्गत मण्डी में उन्हें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं और उनकी कठिनाइयां दूर करने हेतु मण्डी के संचालन में किसानों का प्रतिनिधित्व होता है। कहना न होगा कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व व पश्चात्, किसानों की हालत में रात और दिन का अन्तर हो गया है।

परन्तु यह एक अत्यन्त खेद और आश्चर्य की बात है कि व्यापारियों की दूषित मनोवृत्ति तथा अकाल के समय भीषण खाद्य संकट से बचने के लिए जो योजनाएं सरकार ने जनहित में बनाईं उनमें किसान वर्ग ही आज सहयोग नहीं दे रहा है। सरकार की योजना है कि अच्छी फसल के समय बफर स्टाक कर आम जनता की आवश्यकता के अनुसार उचित मूल्य पर अनाज उपलब्ध करे। इस कार्य हेतु किसानों पर लेवी लगाई गई लेकिन उस क्षेत्र के किसानों को मुक्त रखा गया जिस क्षेत्र में बाढ़ से फसल को काफी हानि हुई। इतना ही नहीं, जिस क्षेत्र में लेवी से अनाज की वसूली का कार्यक्रम रखा गया है उसके अनुसार कुल उपज तथा बोई गई भूमि के क्षेत्र को देखते हुए ऐसी वसूली नाममात्र की ही है। साथ में यह भी व्यवस्था है कि जितना अनाज लेवी के अन्तर्गत वसूल किया जाए उसका तुरन्त रोकड़ भुगतान कर दिया जाता है। फिर भी इस कार्य में जनता और किसानों के असहयोग के कारण ही लक्ष्य पूरा नहीं हो सका है।

गेहूं का व्यापार

जब सरकार की विभिन्न योजनाओं, यानी क्षेत्रीय प्रतिबन्ध, लेवी, राशनिंग, बफर स्टाक, से भी आशाजनक फल प्राप्त न हो सका और न ही आयातों द्वारा तो सरकार ने गेहूं के थोक व्यापार को अपने हाथ में लेने का निर्णय लिया। इस महत्वपूर्ण निर्णय के पीछे चार मुख्य उद्देश्य थे :—

1. गेहूं की कीमतों की रोकथाम और कीमतों में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव को रोकना।
2. सभी राज्यों और प्रत्येक राज्य में सभी स्थानों पर गेहूं की समुचित वितरण व्यवस्था कायम करना।
3. गेहूं की जमाखोरी रोकना, जिससे बराबर वितरण होता रहे और लोगों को अनाज मिलता रहे। सरकार का उद्देश्य किसानों को अपनी उपज का उचित निर्धारित मूल्य दिलाना था तो उसके साथ ही उपभोक्ताओं को भी अपनी आवश्यकता के अनुसार गेहूं साल भर उचित व एक ही मूल्य पर प्राप्त कराना था।
4. किसान को तुरन्त रुपए का भुगतान बिना किसी हेरा फेरी के कराना।

इस बात को छिपाने में कोई सार नहीं कि गेहूं के थोक व्यापार की योजना भी विफल रही। यह वास्तव में अत्यन्त ही खेद की बात है कि इतने अच्छे उद्देश्यों की योजना में भी सफलता नहीं मिली। इसका श्रेय भी इन्हीं चतुर व स्वार्थी तत्वों को ही है, जिन्होंने किसानों को फुसलाया जिसके परिणामस्वरूप किसान वर्ग ने भी सरकार को कोई सहयोग नहीं दिया और इस योजना के उद्देश्यों व लक्ष्य को अपार आघात पहुंचाया। दुर्भाग्यवश इसका कठोर परिणाम बेचारे किसानों को भुगतना पड़ा।

सरकारी नीतियां चाहें कितनी ही सुविचारित तथा युक्तिसंगत हों, वे तब तक फलप्रद नहीं हो सकतीं जब तक कि उन पर पूर्ण निष्ठा तथा लगन से अमल करने में जनता (सभी वर्गों) का पूर्ण सहयोग न हो। एक बात यह भी है कि जिसे जो काम सौंपा गया है उसे वह ईमानदारी से करे। प्रशासन तन्त्र की कार्यकुशलता में व्याघात पड़ने के मुख्य कारण अनुचित दबाव, स्वार्थ, राष्ट्रीय हित चिन्तन का अभाव आदि हैं। अतः फिलहाल व्यापार पर नियन्त्रण करने हेतु अन्य कठोर कानून न बनाकर मण्डी कानून को ही अधिक शक्तिशाली व प्रभावशाली बनाएं तो अधिक उचित होगा जिससे आम जनहित की रक्षा होगी। इसके साथ ही सहकारिता को भी और अधिक प्रहोत्सान दिया जाए तो अच्छा होगा। ऐसा करने से प्रत्येक मण्डी की आवक, निर्यात व भाव की सही जानकारी रह सकती है और नियन्त्रण भी रह सकता है।

मण्डी सचिव,
पाली-मारवाड़ (राजस्थान)

पोस्ट आफिस की इनामी बचत योजना

गुलाब चन्द जायसवाल

अभी कुछ दिनों पूर्व केन्द्रीय सरकार के एक निर्णय के अनुसार पोस्ट आफिस के बचत बैंकों को अधिक लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से एक 'इनामी बचत' योजना शुरू करने की घोषणा की थी। इस लेख में उस योजना की रूपरेखा के सम्बन्ध में जानकारी देने का प्रयास किया गया है।

1 अप्रैल 1974 से देश की 5वीं पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ हुई है। इस योजना में कुल 53,411 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है जिसमें 37,250 करोड़ रु० सार्वजनिक क्षेत्र के लिए हैं और शेष 16,161 करोड़ रुपए निजी क्षेत्र के लिए निर्धारित हैं। चौथी योजना के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र में 16,774 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई थी जिसे बढ़ाकर 5वीं योजना के दौरान 37,250 करोड़ रु० कर दिया गया है जो निश्चित रूप से बहुत बड़ी धनराशि है। किसी भी योजना के लिए वित्तीय व्यवस्था आवश्यक जिहै सके बिना कोई काम सम्भव नहीं। अतः वित्तीय साधनों को जुटाने का काम भी देश के प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इसीलिए डाक तार विभाग को करीब 842 करोड़ रुपए के साधनों को जुटाना है। अतः राज्यों की राज्य लाटरी तथा बैंकों के विभिन्न आकर्षक प्रलोभन द्वारा बचत बढ़ाने के आधार पर डाक तार विभाग ने भी एक इनामी बचत योजना प्रारम्भ की है।

विकास प्रक्रिया हमेशा कष्ट भरी होती है। इसके लिए त्याग एवं बलिदान करने पड़ते हैं तथा इसके द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन होते हैं। इस परिवर्तन का अभिप्राय राष्ट्रीय विकास एवं निर्माण दोनों से है। कोई भी देश कष्टों में से गुजरे बिना विकसित नहीं हो पाया है और विकास का काम तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि जनता बड़े पैमाने पर उस कार्य में योग न दे। अतः इस इनामी बचत योजना में भाग लेने हेतु किसी एक व्यक्ति के खाते (पोस्ट आफिस के बचत बैंक) में साल भर कम से कम 200 रु० जमा रहना चाहिए। यह इनामी योजना स्टेट बैंक "गिफ्ट चैक" पद्धति की अपेक्षा काफी उदार है। पोस्ट आफिस में एक बार रुपया जमा करा देने पर इससे जहां एक ओर रुपया सुरक्षित रहता है और ब्याज मिलता है वहीं 2½ लाख रु० से 50 रु० के बीच तक एक इनाम भी मिलने की आशा रहती है। उधर बैंक की "गिफ्ट चैक" पद्धति में चैक खरीदना पड़ता है और उसमें ब्याज मिलता नहीं।

इस योजना के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति या समूह एक वर्ष तक (अर्थात् 1 अप्रैल से 31 मार्च तक) किसी भी पोस्ट आफिस के बचत बैंक में कम से कम 200 रु० जमा रखकर इस योजना में शामिल हो सकता है। इस सम्बन्ध में कहा गया है :- "वर्ष 1973-74 से आगे "पोस्ट आफिस के बचत बैंक" में खाता खोलने वाले तथा जिसमें कम से कम एक वर्ष तक 200 रु० जमा हों (वर्ष के किसी भी माह में जमा हो जिसमें ब्याज मिलने की क्षमता हो) वह इस इनामी योजना में भाग ले सकेगा जिसका ड्रा उस तारीख को निकाला जाएगा जिसको भारत सरकार निर्धारित करे।"

इस योजना के अन्तर्गत जो लोग पोस्ट आफिस के पब्लिक एकाउन्ट्स, सेक्युरिटी डिपाजिट एकाउन्ट्स और प्रोविडेन्ट फण्ड एकाउंट्स में पैसा जमा कर रखे हैं वे भाग लेने के योग्य नहीं होंगे। इस इनामी योजना की घोषणा करके केन्द्रीय सरकार ने वित्त विभाग की इस धारणा को और मजबूत किया है कि अल्प बचत योजना में व्यक्ति अपनी आमदनी का कुछ भाग जमा करते रहते हैं अतः उक्त साधन का और अधिक पुष्ट किया जाना जरूरी है।

इस योजना का उद्देश्य पोस्ट आफिस की लघु बचत योजना के द्वारा अधिक से अधिक बचत करना और दूसरा साल भर कम से कम प्रत्येक बचत खाते में 200 रु० जमा रखना है।

डाक एवं तार गाइड के अनुसार "भारत सरकार द्वारा पोस्ट आफिस बचत बैंक स्थापित करने का उद्देश्य बचत जमा करके साधनों को उपलब्ध कराना है जिससे बचत करने को प्रोत्साहन दिया जा सके। परन्तु अल्प बचत निदेशालय द्वारा प्रकाशित एक पुस्तिका में इसे इस प्रकार से कहा गया है—"अपनी आमदनी से कुछ बचाने का अर्थ है भविष्य के लिए कुछ बचाना। यदि ऐसी बचत लघु बचत योजनाओं में बिनियोजित की जाती हैं तो इससे राष्ट्र की रक्षा एवं विकास हेतु धनराशि मिलती है। जब लाखों करोड़ों व्यक्तियों द्वारा थोड़ी थोड़ी बचत की जाती है तो उससे विकास के लिए अधिक साधन मिलने में वड़ी सहायता होती है। इससे राष्ट्र को फायदा तो होता है, प्रत्येक खाता खोलने वाले व्यक्ति में बचत करने की आदत भी पड़ जाती है तथा वह भविष्य में आनेवाले उत्तरदायित्वों जैसे—बच्चों की उच्च शिक्षा, लड़की की शादी, परिवार के सदस्यों की बीमारी का इलाज, और बुढ़ापे में सुरक्षा के लिए, बचत को एक सुनियोजित आधार बना लेता है। ऐसा कहा जाता है कि जितनी ज्यादा बचत होगी उतना ही कम कर लगेगा। इसलिए बिना आंसू के विकास हेतु अल्प बचत एकमात्र रास्ता है।

अतः यह स्पष्ट है कि बचत करना राष्ट्र के लिए आवश्यक है तथा ज्यादा बचत होने से राष्ट्रीय विकास हेतु ज्यादा से ज्यादा धन उपलब्ध होंगे। एक और भी महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी चाहिए कि राष्ट्रीय बचत संगठन अथवा पोस्ट आफिस द्वारा जितनी अधिक बचत की जाएगी उन सब साधनों का राष्ट्रीय महत्व के आधार पर विनियोग किया जाएगा, जबकि अन्य संस्थाओं द्वारा बचत करने में इस तरह के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती है।

इनाम की संख्या

इस सम्बन्ध में प्रथम ड्रा जुलाई 1974 को निकाला जाएगा तथा जिन व्यक्तियों की पोस्ट आफिस (बचत बैंक) में कम से कम 200 रु० की जमा धनराशि (1 नवम्बर 1973 से 31 मार्च 1974 तक) रहेगी वही लोग इसमें भाग ले सकेंगे। भारत सरकार की देखरेख में इस योजना के अधीन वर्ष में केवल एक ही ड्रा निकाला जाया करेगा जिसमें निम्न प्रकार से 11,116 इनाम होंगे।

इनामों की संख्या तथा धनराशि

इनामों की संख्या	इनाम की राशि प्रत्येक	कुल योग धनराशि
प्रथम 1	2,50,000	2,50,000
द्वितीय 5	1,00,000	20,0000
तृतीय 10	50,000	500,000
चतुर्थ 100	10,000	10,00,00
पांचवा 1000	500	500,000
छठा 10000	50	500000
कुल 11116	कुल	32,50,000

यहां पर यह उल्लेख करना उचित होगा कि उपरोक्त इनाम तो मिलेगा ही परन्तु जो ब्याज की दर निर्धारित की गई है उसके अनुसार सौ रुपया या उससे कम पर 4 प्रतिशत तथा सौ रुपया से अधिक पर 4½ प्रतिशत दर से ब्याज भी मिलेगा। यद्यपि ब्याज की धनराशि को आयकर से मुक्त रखा गया है परन्तु इनाम की धनराशि पर आयकर लिया जाएगा।

बचत खातों की संख्या

यदि पिछले 5 वर्षों में आंकड़ों का अवलोकन किया जाए तो पता चलेगा कि वर्ष 1967 में जहां पोस्ट आफिस के बचत बैंकों की संख्या 15,183 एवं उनमें बचत खातों की संख्या 15,186,000 थी वहीं जमा धनराशि 702 करोड़ रु० थी। यही संख्या 1971 में बढ़कर क्रमशः पोस्ट आफिस बचत बैंकों की संख्या 18,369 तथा बचत खातों की संख्या 2,05,83,000 तथा धनराशि 974 करोड़ हो गई थी। इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी निम्न तालिका में दी जा रही है :—

पोस्ट आफिस बचत बैंक खाता वर्ष 1967-71

(इकाई (1) बचत खाता — हजार में (2) धनराशि — करोड़ रु० में)

मार्च में समाप्त होने वाला वर्ष	बचत खातों की संख्या	धनराशि	पोस्ट आफिस बैंकों की संख्या
1967	15,186	701.6	15,183
1968	16,972	760.1	15,758
1969	18,394	812.0	16,634
1970	19,718	890.4	18,378
1971	20,583	973.6	18,369

(स्रोत :- "दि इकानामिक टाइम्स" दिनांक 14 फरवरी 1974)

यद्यपि इस इनामी बचत योजना के भविष्य के सम्बन्ध में कुछ कहना उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि इसका अभी तक कोई परिणाम सामने नहीं आया है। फिर भी इधर लोगों की आमदनी बढ़ने से जहां लोगों में बचत करने की प्रवृत्ति बढ़ी है वहां इससे यह आशा की जा सकती है कि निम्न एवं मध्यम वर्ग के परिवारों में यह योजना काफी लोकप्रिय होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रचार करके तथा अधिक संख्या में पोस्ट आफिस खोलकर अधिक बचत की जा सकती है।

कुछ क्षेत्रों में यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि जैसे लाटरी एवं बैंकों को गहन प्रचार से प्रारम्भिक सफलता मिलने के बाद असफलता मिलने लगी है, वही हाल इसका भी होगा। यह बात कुछ सीमा तक स्वीकार करने योग्य है क्योंकि आजकल परिवार नियोजन से जहां परिवार सीमित किए जा रहे है वहीं बढ़ती हुई मंहगाई ने गरीब एवं मध्यम परिवार की कमर तोड़ डाली है। परिणामस्वरूप बचत करना कठिन हो रहा है। यदि सरकार यह चाहती है कि यह योजना प्रतिवर्ष प्रगति करती ही जाए तो इसके लिए सरकार को जहां एक ओर कर की दरों में कमी करनी होगी वहीं दूसरी ओर बढ़ती हुई मंहगाई को रोकना भी होगा। जब तक ये दोनों कदम नहीं उठाए जाते, बचत की कोई भी योजना सफल नहीं हो सकेगी।

□

पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम

गंगाशरण सैनी

भारत गांवों का देश है, यहां की 80 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है। जनसंख्या में दिनोंदिन वृद्धि तथा जल की प्रति व्यक्ति खपत में निरन्तर वृद्धि हो रही है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि हमारे देश में शहरों में लगभग 75 प्रतिशत जनता को शुद्ध जल आपूर्ति की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जबकि 66.67 लाख गांवों में से 4.55 लाख गांवों की जनता तालाबों, नदियों तथा गन्दे कुओं के जल का प्रयोग करती है। इनमें 90 हजार गांवों के निवासी गन्दे तथा विषैले जल के उपयोग के कारण विभिन्न प्रकार के रोगों के शिकार हो जाते हैं। दूसरी ओर उन्हें पर्याप्त तथा उचित चिकित्सा उपलब्ध नहीं हो पाती जिससे कई लोग परलोक सिधार जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में गर्मी के दिनों में पेयजल का विशेष अभाव हो जाता है, वर्षा ऋतु में समय से वर्षा न होने के कारण पेयजल की स्थिति और भी गम्भीर हो जाती है। 'पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम' के अन्तर्गत 18 वर्षों में हमारे देश में केवल 22 हजार गांवों में पेयजल की सुविधाएं प्रदान की जा सकी हैं।

यू० एन० आई० ने 1973 में पेयजल आपूर्ति के सम्बन्ध में आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश में सर्वेक्षण द्वारा पता लगाया है कि इन प्रदेशों के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या ने भयंकर रूप धारण कर लिया है, इन प्रदेशों में कुछ ही क्षेत्र ऐसे हैं जहां पेयजल आपूर्ति का उचित प्रबन्ध है। इस लेख में विभिन्न प्रदेशों के जल स्त्रोतों, प्रादेशिक सरकारों द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए किए गए प्रयत्न तथा कुछ सुझावों का विवरण दिया गया है।

आन्ध्र प्रदेश

यह प्रदेश पिछले 30-31 वर्ष से जल अकाल की स्थिति से गुजर रहा है। साथ ही पिछले तीन वर्षों से वर्षा न होने के कारण ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में पेयजल की समस्या ने विकट रूप धारण कर लिया है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जन-जीवन, पशु-पक्षियों तथा जीव-जन्तुओं पर इस स्थिति का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। दक्षिणी तेलंगाना, रायलसीमा, सिरीकाकुलम और विशाखापट्टनम जनपदों के कुछ भाग पेयजल समस्या से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हैं।

प्रादेशिक सरकार ने 1973 में ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के लिए 17.61 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया था, जिसके अन्तर्गत 6 वर्षों में 37 हजार बोर कूप (Bore Well) तथा 5 हजार नवीन कूप खोदे जाएंगे।

राजस्थान

लोक स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, राजस्थान के अनुसार प्रदेश के कुल 35,300 गांवों में से 24,231 गांवों में पेयजल की स्थायी समस्या रहती है। ग्रामाण तालाबों के गन्दे एवं दूषित जल का उपयोग करते हैं। 1972-73 में पेयजल के अभाव से ग्रस्त गांवों के लिए 2.01 करोड़ लोगों में से केवल 46.5 लाख लोगों के लिए जल का प्रबन्ध किया गया।

1972-73 में ही 80 लाख रुपये की पेयजल आपूर्ति योजना के अन्तर्गत 700 गांवों में जल पहुंचाने के लिए सहायता कार्य भी चलाए गए। जोधपुर जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए 1.20 लाख रुपये की 11 परियोजनाएं चलाई गईं जिनमें से 7 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं तथा शेष प्रगति के पथ पर हैं। इन योजनाओं के पूर्ण होने पर 74 गांवों के लगभग एक लाख लोगों को लाभ मिलेगा।

गुजरात

इस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या अत्यन्त गम्भीर एवं जटिल है। 1972-73 में भयंकर सूखा के कारण जलाशयों में जल का स्तर कम हो गया

तथा कुओं में जल सूख गया। इस स्थिति में जल की कमी का अनुमान सुगमता से लगाया जा सकता है। पिछले वर्ष वर्षा न होने के कारण शहरों में पेयजल का अभाव हो गया था, तो ग्रामीण क्षेत्रों का तो कहना ही क्या !

प्रादेशिक सरकार ने पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कुएं खुदवाए तथा बैलगाड़ियों तथा टैंकरों की सहायता से अभावग्रस्त क्षेत्रों में जल पहुंचाने के प्रबन्ध किया। इसके अतिरिक्त, कुछ क्षेत्रों में नलकूप भी बनवाए।

महाराष्ट्र

1973 में इस प्रदेश के 35 हजार गांवों में 11 हजार गांवों तथा अनेक नगरपालिकाओं में जल का अभाव रहा। प्रारम्भिक मानसून के कारण स्थिति पहले कुछ सुधर गई परन्तु बाद में वर्षा न होने के कारण स्थिति फिर बिगड़ गई।

महाराष्ट्र सरकार ने जल के अभाव से ग्रस्त क्षेत्रों में कुएं खुदवाने के लिए 6 करोड़ रुपये व्यय किए। "ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम" के अन्तर्गत 1972-73 व 1973-74 में क्रमशः 106 लाख रुपये तथा 70 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई। इसके अतिरिक्त बिना पहुंच वाले क्षेत्रों में बैलगाड़ियों, टैंकरों तथा ट्रमों द्वारा जल पहुंचाया गया।

उड़ीसा

उड़ीसा में पिछले पांच दशकों से शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जल का अभाव रहा है। 1972 के अन्त में प्रादेशिक सरकार ने शहरों में 35 परियोजनाएं चलाई जिनमें से 17 पूरी हो चुकी है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में 104 परियोजनाएं शीघ्र पूर्ण होने की सम्भावना है।

प्रादेशिक सरकार ने पांचवीं योजना के अन्तर्गत पेयजल आपूर्ति के लिए 30 करोड़ रुपये की योजना बनाई है।

पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल में 30 हजार गांवों में 8 हजार गांव ऐसे हैं जहां नलकूप नहीं हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि कुल राज्य की जल आवश्यकता 8.80 करोड़ गैलन है जिसमें से 6.45 करोड़ गैलन का अभाव रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग तालाबों, कुओं तथा नदियों के जल का प्रयोग करते हैं।

प्रादेशिक सरकार ने पांचवीं योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के लिए 39 करोड़ रुपये का प्रावधान किया हैं।

तमिलनाडु

तामिलनाडु की कुल भूमि का 75 प्रतिशत भाग पठारी है। इसलिए यहां जल के अभाव की समस्या स्थायी रूप से रहती है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इस प्रदेश के 59 हजार गांवों में से 19 हजार गांवों में पेयजल का कोई स्रोत नहीं है। शेष गांवों में कुएं हैं। परन्तु वे जल की मांग की पूर्ति करने में असमर्थ है। कुछ लोग तालाबों, कुओं व नदियों से जल का प्रयोग करते हैं।

प्रादेशिक सरकार प्रति वर्ष लगभग एक करोड़ रुपये कुओं को गहरा करने में व्यय करती है। पांचवीं योजना में भी जल आपूर्ति कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश के 54 जनपदों में से 25 जनपद पेयजल की समस्या से प्रभावित हैं क्योंकि उन जनपदों में भूमिगत जल उपलब्ध नहीं है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि प्रदेश में लगभग 7 हजार गांव ऐसे है जहां पेयजल का अभाव है अथवा वहां पेयजल दूषित रूप में उपलब्ध है।

ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश जनता तालाबों, कुओं व नदियों से पेयजल लाती है। तालाबों व कुओं में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कीटनाशी औषधियां डालकर जल शुद्ध किया जाता है। सूखे की स्थिति में प्रादेशिक सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में टैंकरों द्वारा शुद्ध जल पहुंचाने का कार्य भी करती है।

स्वायत्त शासन विभाग द्वारा 1972-73 में 16 करोड़ रुपये की योजना बनाई गई थी जिसमें 3,085 गांवों में शुद्ध जल आपूर्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके अतिरिक्त 2,415 गांवों में यह योजना और चलाई जाएगी।

कर्नाटक

कर्नाटक में पेयजल की समस्या केवल गुलबर्ग, विदार, रायचूर, बेलगांव और बीजापुर के 38 ताल्लुकों में है। वहां पर प्रादेशिक सरकार लारियों तथा टैंकरों द्वारा जल पहुंचाने का कार्य करती है। ग्रामीण क्षेत्र की अधिकांश जनता तालाबों, कुओं तथा नदियों के जल का प्रयोग करती है। पांचवीं योजना में अनेक जल आपूर्ति कार्यक्रम इस प्रदेश में चलाए जाएंगे।

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश में 31 मार्च 1973 तक कुल 3,636 समस्यामूलक गांवों को पेयजल उपलब्ध कराया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चौथी पंचवर्षीय योजना में 177 लाख रुपये के प्रावधान की तुलना में 1972-1973 में केवल 80.16 लाख रुपये व्यय किए गए। 1973-74 में समस्यामूलक गांवों में पेयजल की आपूर्ति के लिए 46 लाख रुपये तथा नलकूप बनवाने के लिए 197 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

असम

असम प्रदेश में 6 शहरी तथा 41 ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए हैं। परन्तु, वहां की जल उपलब्धि में कोई सुधार नहीं हुआ। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए लगभग 95 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार नलों द्वारा पेयजल आपूर्ति पर विशेष बल देती है जिसका अनुमानित व्यय 1.25 लाख रुपये प्रति गांव आंका गया है। इस अनुमान के आधार पर शहरों तथा

[शेष पृष्ठ 19 पर

पांचवीं योजना में उद्योग और खनिज

पी० आर० लेटो

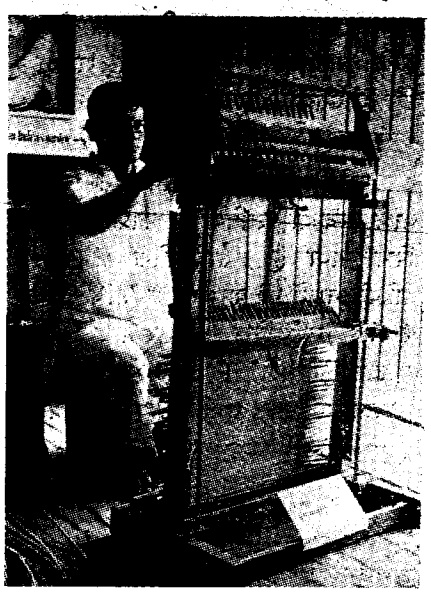

पांचवीं योजना में औद्योगिक उत्पादनों में प्रतिवर्ष 8 प्रतिशत से अधिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। औद्योगिक और खनिज विकास-कार्यक्रमों को निर्धारित करते समय योजना के दो प्रमुख लक्ष्यों—आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय के साथ उत्पादन में वृद्धि—को ध्यान में रखा गया है। पांचवीं योजना में इन कार्यक्रमों की मुख्य विशेषताएं हैं—

आधारभूत उद्योग

औद्योगिक वृद्धि को अधिक दिनों तक ठीक रखने के लिए इस्पात, कोयला, अलौह धातुओं, उर्वरकों, खनिज तेल, लौह अयस्क और मशीन-निर्माण जैसे आधारभूत उद्योगों में तेजी से वृद्धि लाना अनिवार्य है। योजना में औद्योगिक और खनिज क्षेत्र के लिए जो राशि निर्धारित की गई है उसकी तीन-चौथाई से अधिक राशि इन्हीं उद्योगों के लिए है। इनके विस्तार से आयात में भारी कटौती हो सकेगी तथा आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की सफलता की ओर यह एक महत्वपूर्ण प्रयास सिद्ध होगा।

निर्यात

हमारे निर्यात की वस्तुओं में अभी सूती वस्त्र, जूट-निर्मित वस्तुएं, चाय, खाल और चमड़ा तथा चमड़े से बनी हुई वस्तुएं आदि जैसी परम्परागत व्यापार-वस्तुएं ही अधिक मात्रा में शामिल हैं। योजना में निर्यात में विविधता लाने तथा निर्मित मालों के निर्यात पर काफी जोर दिया गया है। इसके अनुसार औद्योगिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न उद्योगों में निर्यात के लिए अतिरिक्त माल तैयार करने पर जोर दिया जाएगा।

औद्योगिक कार्यक्रमों में कपड़ा, खाने योग्य तेल और वनस्पति, चीनी, औषधियों आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं की उत्पादन-क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया है, ताकि सामूहिक उपभोग की वस्तुएं अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सकें।

योजना में एक ओर तो सामूहिक उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि पर जोर दिया गया है तो दूसरी ओर कई ऐसी नीतियां निर्धारित की गई हैं कि विलासिता-सामग्रियों के उत्पादन में कमी की जा सके।

ग्रामीण और लघु उद्योग

योजना में ग्रामीण और लघु उद्योगों के उत्पादन में प्रोत्साहन देने का महत्वपूर्ण काम रखा गया है। ये उद्योग देश भर में फैले हुए हैं तथा इनमें काफी लोगों को रोजगार मिला है। लघु उद्योग क्षेत्र के विकास के लिए 124 उद्योगों की एक सूची की घोषणा भी की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, बड़े उद्योगों को मदद देने के लिए एक सघन कार्यक्रम का प्रस्ताव है जिसमें सहायक उद्योगों के विकास का काम हाथ में लिया जाएगा। हथकरघा, दस्तकारी और रेशम उद्योग जैसे पारम्परिक उद्योगों के विस्तार तथा उनके प्रोत्साहन आदि पर भी ध्यान दिया जाएगा।

पिछड़े क्षेत्र

योजना में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। नए औद्योगिक कारखाने खोलने या वर्तमान कारखानों के विस्तार के लिए अनुदान देने और रियायती दर पर वित्तीय सहायता देने की योजना पहले से ही चालू है। यह योजना कुछ चुने हुए पिछड़े जिलों में चालू की जाएगी। लेकिन यह देखा गया है कि इसके लिए रियायतों और अनुदानों से ही काम नहीं चलेगा, इसलिए इन कार्यक्रमों पर अमल करने के लिए समन्वित विकास कार्यक्रम चलाए जाएंगे जिनके अन्तर्गत इन्हें आधारभूत निर्माण-सुविधाएं, अधिक से अधिक वित्तीय सहायता तथा संगठन आदि की सुविधाएं भी दी जाएंगी।

कार्यान्वयन नीति

चौथी योजना के दौरान यह देखा गया कि कई योजनाएं प्रारम्भिक रूप-रेखा तथा तैयारी के अभाव में देर से शुरू की गईं। पांचवीं योजना में इस कमी को ठीक करने का अधिक से अधिक प्रयास किया गया है।

वर्तमान क्षमता का उपयोग करके अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए कृषि के कच्चे मालों और अन्य कच्चे मालों की काफी सप्लाई करनी होगी तथा बिजली की बाधाएं, कमजोर औद्योगिक सम्बन्ध और परिवहन सम्बन्धी परेशानियों को भी कम करना होगा। औद्योगिक कच्चे मालों के देसी उत्पादन को बढ़ाने के भरपूर प्रयत्न करने पर भी कुछ मात्रा में इनका आयात करना ही पड़ेगा।

जो परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं उनके काम में तेजी लाई गई है। 1974-75 की वार्षिक योजना में इनके

लिए आवश्यक वित्तीय और भौतिकी सहायता का पूरा प्रबन्ध किया गया है। इसके अलावा जिन उद्योगों की क्षमता कम है, उनकी क्षमता में विस्तार किया जा रहा है।

परियोजनाओं की स्वीकृति और जांच सम्बन्धी पद्धतियों में काफी सुधार किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं की शीघ्रता से जांच करने के लिए सार्वजनिक निवेश मण्डल की स्थापना की गई है। इसके लिए योजना आयोग में एक उच्चस्तरीय अनुश्रवण (मानिटरिंग) और मूल्यांकन (इवेल्यूएशन) प्रखण्ड भी खोला गया है। यह प्रखण्ड बिजली, कोयला, इस्पात आदि जैसे आवश्यक क्षेत्रों के कार्यक्रमों के बारे में सम्बद्ध मन्त्रालयों से सम्पर्क रखता है।

गैरसरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के बारे में भी कई कदम उठाए गए हैं। पिछले साल फरवरी में औद्योगिक लाइसेंस नीति की घोषणा की गई। यह नीति अनिश्चितताओं को दूर करेगी तथा बड़े औद्योगिक घरानों और विदेशी पूंजी द्वारा संचालित कम्पनियों की भूमिका को स्पष्ट रूप से निर्धारित करेगी। साथ ही साथ सरकारी मंजूरी की पद्धतियों को भी ठीक किया गया है, ताकि शीघ्रता से निर्णय लिए जा सकें। इसके लिए औद्योगिक विकास मन्त्रालय के अन्तर्गत 'औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय' खोला गया है जो औद्योगिक लाइसेंस, पूंजी-माल और विदेशी-सहयोग स्वीकृतियों से सम्बन्धित प्रस्तावों के विभिन्न पहलुओं की जांच-पड़ताल निर्धारित समय के अन्दर करेगा।

इन उपायों से उद्योग और खनिज क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों को पूरा करने में काफी मदद मिलेगी।

अपना धैर्य परखकर

घोर निराशा के घन हों या,
घिरा हुआ अंधियारा,
श्रम का जीवन जीने वाला,
पाएगा उजियारा।
कर्मशील तो नहीं झुकेगा,
कभी भाग्य के आगे,
छोड़ निराशा को आया जो,
भाग्य उसी के जागे।
धरती का उर चीर निकालेंगे
फसलों से सोना,
पर-मुख तकना छोड़ हमें तो,
खुद पर निर्भर होना।
जन-जागृति के अग्रदूत बन,
श्रम-पथ पर बढ़ जाएं,
साथ-साथ चलते उन्नति के,
शिखरों पर चढ़ जाएं।
मां चरणों की धूल भाल पर,
मन में साहस भरकर,
प्रण लें श्रम पूजन-अर्चन का
अपना धैर्य परखकर।

हवेली फागी वालों की
हनुमान का रास्ता,
जयपुर-3

□

प्रेमचन्द्र गोस्वामी

राष्ट्र कवि और विचारक श्री दिनकर

प्रयागनारायण त्रिपाठी

ओज और माधुर्य के कवि तथा मनस्वी चिन्तक रामधारी सिंह दिनकर आज नहीं रहे, सहसा इस अटल सत्य पर विश्वास करना कठिन प्रतीत होता है। पिछले 45 वर्षों तक वे हिन्दी साहित्य और चिन्तन के क्षेत्र में छाए रहे। उन्होंने अपने लेखन द्वारा और अपने गम्भीर मनन एवं चिन्तन द्वारा न केवल हिन्दी जगत् में बल्कि सम्पूर्ण देश और विश्व के अनेक भागों के साहित्य क्षेत्र में अपना बड़ा विशिष्ट स्थान बना लिया था। वे हमें केवल इसलिए प्रिय नहीं थे कि वे उच्च कोटि के कवि और चिन्तक थे। अपने व्यक्तिगत व्यवहार द्वारा अपने सम्पर्क में आने वालों का मन जीतने में भी उनकी सानी शायद ही कोई रखता था। अनेक परिषदों और संस्थाओं के वे प्राण थे। परन्तु संस्थाओं और परिषदों से भी अधिक व्यक्तिगत गोष्ठियों में वे बड़े प्यारे ढंग से अपना काव्य-रस और अपने चिन्तन का निखार उड़ेलते थे। इसलिए यह विश्वास करना कठिन है कि वे आज नहीं हैं। उन्हीं के शब्दों में—

रात ने चुप्पी साध ली है
सपने शान्ति में समा गए हैं
अन्तः कपाट आप से आप खुलने लगा है
देवता शायद दरवाजे पर आ गए हैं

दिनकर ने जीवन के अभी 65 बसन्त ही देखे थे। अभी हमें उनसे आशाएं थीं कि वे आज के उलझन भरे वातावरण से संवेदना ग्रहण कर अपनी सुपरिचित प्रसादमयी और ओजस्वी काव्य शैली में जन-मन का दिशा दर्शन करेंगे। परन्तु काल को यह स्वीकार नहीं हुआ और हमें अब उनके उसी दाय से सन्तोष करना होगा जो वे हमें अपनी जीवन साधना द्वारा सौंप गए हैं।

दिनकर जी का जन्म सन् 1908 ई० में उत्तर बिहार के मुंगेर जिले में कल-कल निनादिनी गंगा के तट पर स्थित सिमरिया गांव में हुआ था। यह एक घनघोर देहात है जहां का सबसे बड़ा आकर्षण है, चारों ओर के हरे-भरे खेत, पेड़-पौधे और बांसों के झुरमुट और इन सबसे अधिक सावन-भादों में उफनती गंगा की अगाध जलराशि। बचपन से ही इस प्राकृतिक सौंदर्य का गहरा प्रभाव दिनकर के मन पर पड़ा था जो उनकी अनेक विशिष्ट कविताओं में व्यक्त हुआ है। प्रकृति के इस सान्निध्य के साथ-साथ दिनकर ने अपने चारों ओर फैली गरीबी और साधनहीनता को भी देखा और उनका संवेदनशील हृदय उससे द्रवित हुआ। आरम्भ से ही उनकी अभिरुचि राष्ट्रीय गीतों और कविताओं की ओर रही और उनका पहला गीत संग्रह 1929 में 'बारदोली विजय' के नाम से प्रकाशित हुआ परन्तु उन्हें विशेष ख्याति 1935 में प्रकाशित काव्य संग्रह 'रेणुका' से मिली। 'रेणुका' और 'हुंकार' दो ऐसे आरम्भिक काव्य संग्रह हैं, जिन्होंने दिनकर के काव्य की एक दिशा को सुनिश्चित किया। परन्तु इसके साथ ही उनका कवि कोमल भावनाओं के प्रति भी संवेदनशील रहा, जिसका संकेत उनके अन्य संग्रहों 'द्वन्द्वगीत' और 'रसवन्ती' में मिला। इस प्रकार एक ओर जहां दिनकर की काव्यसाधना ओज और जनजागरण की ओर उन्मुख हुई, वहीं हृदय के सूक्ष्म एवं कोमल भावों के प्रति भी वे निरन्तर संवेदनशील रहे। दिनकर ने एक ऐसे समय में राष्ट्रीयता और जनज-ागरण का शंखनाद किया जब देश पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। दिनकर स्वयं बिहार में सरकारी पदों पर रहे परन्तु उनकी लेखनी ने विश्राम या भय नहीं जाना।

जब वे सब-रजिस्ट्रार के रूप में बिहार में सेवारत थे तो उनको परेशान करने और उनके उत्साह को समाप्त करने के लिए तत्कालीन सरकार ने उन्हें चार वर्ष में 22 बार स्थानांतरित किया। परन्तु उनकी निर्भीक लेखनी अपने पूरे जोरों पर चलती रही और उनका स्वाभिमान पूर्णतः सजग रहा। उसी प्रकार सजग जैसे वह हिमालय है, जिसकी प्रशस्ति में उन्होंने लिखा था—

मेरे नगपति मेरे विशाल !
साकार दिव्य गौरव विराट्
पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल
मेरी जननी के हिम किरीट
मेरे भारत के दिव्य भाल

दुर्बलताओं से घिरे दीन मानव के गर्वोन्नत गायक के रूप में उन्होंने हिन्दी साहित्य को अपना सर्गबद्ध काव्य 'कुरुक्षेत्र' दिया और फिर 'रश्मिरथी'। इसी शृंखला की एक अत्यन्त सशक्त कड़ी 'परशुराम की प्रतीक्षा' है जो भारत पर चीन के आक्रमण से उत्पन्न वातावरण की उपज है। उधर उनकी माधुर्यपूर्ण काव्यधारा की चरम परिणति 'उर्वशी' में हुई जो इधर के दशक का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य है और जिस पर उन्हें पिछले दिसम्बर में ही साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार 'ज्ञानपीठ पुरस्कार' प्रदान किया गया।

काव्य के क्षेत्र में दिनकर की उपलब्धियां अप्रतिम हैं। माखन लाल चतुर्वेदी और बाल कृष्ण शर्मा नवीन के साथ दिनकर का नाम हमारी राष्ट्रीय काव्यधारा के उन्नायकों में बड़ी श्रद्धा और आदर से लिया जाएगा। परन्तु गद्य के क्षेत्र में भी उनकी उपलब्धियां किसी भी प्रकार न्यून नहीं है। साहित्य और संस्कृति की अनेक विधाओं और समस्याओं के बारे में उनका अध्ययन, मनन और चिन्तन बहुत गहरा और व्यापक था। 'काव्य की भूमिका' 'शुद्ध कविता की खोज' और 'धर्म, नैतिकता और विज्ञान' आदि गद्य ग्रन्थों के अतिरिक्त 'संस्कृति के चार अध्याय' में वे गहन चिंतक और बहुपठित मनीषी के रूप जगत् में प्रतिष्ठित हुए। इस विशाल ग्रन्थ में उन्होंने प्राचीनकाल, बौद्ध जैन काल, हिन्दू संस्कृति और इस्लाम तथा भारतीय संस्कृति और यूरोप—इन चार कालों और विषयों पर व्यापक प्रकाश डाला

और यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि भारतीय सांस्कृति की धारा सहिष्णुता और उदारता से ओतप्रोत है ।

देश ने इस महान कवि और चिंतक का सम्मान करने और उसे आदर देने में कोताही नहीं की । लगभग बारह वर्ष तक वे संसद् सदस्य के रूप में हिन्दी और भारतीय संस्कृति की सेवा में संलग्न रहे और लगभग सात वर्ष तक भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार रहे ! पद्म-भूषण का अलंकरण उनसे सम्बद्ध होकर गौरवान्वित हुआ । शिक्षा के क्षेत्र में वे प्राध्यापक और विश्वविद्यालय के कुल-पति के स्थान को सुशोभित करते रहे । देश के प्रतिनिधि गायक और संस्कृति के उन्नायक के रूप में उन्होंने कई देशों की यात्राएं की । वे चीन गए, उन्होंने रूस की यात्रा की और उन्हें 1956 में पोलैंड के राष्ट्रकवि अदम मित्सकेविच के शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए पोलैंड आमन्त्रित किया गया । उनकी लेखनी लगभग जीवन के अन्तिम समय तक सक्रिय रही और उन्होने विभिन्न समयों में प्रचलित काव्य शैलियों का सफलता से प्रयोग किया । दिल्ली में अपने लम्बे प्रवास के दौरान भी वे अपने देश और अपनी जनता के सुख-दुख और विशेषतः दुख और कष्ट को नहीं भूल पाए । और इसी लिए उन्होंने अपनी 'दिल्ली' शीर्षक कविता में कहा :—

चल रहे ग्राम कुंजों में पंछिया के झकोर
दिल्ली, लेकिन ले रही लहर पुरवाई में
है विकल देश सारा अभाव के तापों से
दिल्ली सुख से सोई है नरम रजाई में

मृत्यु ने आज उन्हें हमसे दूर कर दिया है परन्तु मृत्यु का भय उन्हें अंश-मात्र भी नहीं छू गया था । पिछले कुछ समय से वे शरीर से स्वस्थ नहीं थे परन्तु मृत्यु की प्रतीक्षा करने में उन्हें कोई घबराहट नहीं प्रतीत हुई । सम्भवतः जीवन के इसी चरम बिन्दु के स्वागत में उन्होंने यह कविता लिखी थी जो उनके प्रति, उनके समग्र जीवन और दर्शन के प्रति सबसे अधिक समीचीन श्रद्धांजलि हो सकती है :

राम तुम्हारा नाम कण्ठ में रहे
हृदय, जो कुछ भेजो, वह सहे,
दुःख से त्राण नहीं मांगूं
मांगूं केवल शक्ति दुःख सहने की
दुर्दिन को भी मान तुम्हारी दया
अकातर ध्यान मग्न रहने की
देख तुम्हारे मृत्यु-दूत को डरूं नहीं
तुम चाहो, दूं वही, कृपण हो प्राण नहीं मांगू ।

किसानों के लिए वरदान

गुड़गांव जिले में लघु किसान विकास एजेन्सी

आज तक सरकार द्वारा संचालित स्कीमों से साधनयुक्त तथा बड़े किसान ही लाभ उठाते रहे हैं, परन्तु छोटे किसान पैसे की कमी के कारण सरकारी सुविधाओं से कोई लाभ प्राप्त न कर सके । इस अभाव की पूर्ति तथा छोटे किसानों के कल्याण के लिए भारत सरकार ने लघु किसान विकास एजेन्सी व सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिक एजेन्सी का गठन किया । हरियाणा में ऐसी दो एजेन्सियां अम्बाला तथा गुड़गांव में कार्य कर रही हैं । ये एजेन्सियां छोटे किसानों को केन्द्रीय सहकारी बैंक, स्टेट बैंक तथा अन्य राष्ट्रीय कृत बैंकों से नलकूप लगाने, नालियां बनाने, दुधारू पशु खरीदने, कृषि के औजार खरीदने, डेयरी तथा मुर्गी फार्म बनाने और फसलों के लिए ऋण दिलवाती हैं । एजेन्सी भैंस खरीदने के लिए छोटे किसानों को ऋण भी देती है, ताकि वे लोग अपनी आमदनी बढ़ा सकें और गरीबी के अभिशाप से मुक्ति प्राप्त कर खुशहाली के वातावरण में जी सकें ।

गुड़गांव में लघु किसान विकास एजेन्सी की स्थापना 7 जनवरी, 1971 को हुई थी । यद्यपि पहले वर्ष इस एजेन्सी के सामने कई प्रकार की कठिनाइयां आई तो भी यह एजेन्सी विभिन्न सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं में तालमेल रखने में सफल हुई । 1972-73 में गुड़गांव की एजेन्सी ने देश में दूसरी एजेन्सियों की तुलना में बहुत ही अच्छा कार्य किया । भारत सरकार के कृषि मन्त्रालय की रिपोर्ट के अनुसार इस एजेन्सी ने शिनाख्ती छोटे किसानों को अधिक से अधिक अल्पकालीन ऋण देने में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया । यह भी सन्तोष की बात है कि यह एजेन्सी छोटे किसानों को अधिकाधिक दीर्घकालीन एवं मध्यकालीन ऋण देने में पहली 10 एजेन्सियों में से एक है तथा सारे देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा

सबसे अधिक ऋण दिलवाने में [illegible] तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। गुड़गांव की एजेन्सी ने 1.50 करोड़ रु० की निर्धारित राशि में से अब तक 61.41 लाख रुपया खर्च कर लिया है और देश में काम कर रही ऐसी 87 एजेन्सियों में इसे द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है।

इस एजेन्सी की विशेष उपलब्धि छोटे किसानों को अधिकाधिक ऋण देना है। वर्ष 1971-72 में दिए गए 90.02 लाख रुपए के ऋण के मुकाबिले अब तक यह ऋण बढ़कर 246.91 लाख रुपए हो गए हैं। इस प्रकार ऋण सुविधाएं देने में 175 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार की एक और विशेष उपलब्धि यह है कि समग्र ऋण सुविधाएं भी अब बढ़कर 336.92 लाख की हो गई है।

छोटे किसानों को ऋण सुविधाएं सभी राष्ट्रकृत बैंकों से दिलवाई गई हैं। परन्तु स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया तथा सिंडिकेट बैंक ऋण देने में सबसे आगे रहे हैं। कई योजनाओं, मुख्यतः डेयरी तथा लघु सिंचाई योजनाओं आदि के लिए ऋण पूर्वानुमानित मांग के अनुसार ही मिलता रहा है।

लघु सिंचाई योजनाओं के लिए 25.25 लाख रु० के ऋण दिए गए थे जोकि वर्ष 1972-73 में बढ़कर 64.46 लाख रु० हो गए और इस तरह यह एजेन्सी सिंचाई के लिए नलकूप, पम्पिंग सैट लगवाने, कुंए खुदवाने तथा जल-स्रोत के निर्माण करने के लक्ष्य को प्राप्त कर सकी। इस एजेन्सी ने तत्कालीन गुड़गांव जिले के बावल, खोल तथा रिवाड़ी खण्डों के पिछड़े क्षेत्रों में उल्लेखनीय सेवाएं की हैं। ऐतिहासिक कारणों तथा मुख्यतः सिंचाई सुविधाओं के अभाव के कारण ये खण्ड बहुत पिछड़े रहे हैं, परन्तु गुड़गांव की एजेन्सी इस क्षेत्र में गहरे नलकूप खुदवाने तथा पानी की खोज के कार्यों में लघु सिंचाई नलकूप निगम से सम्पर्क स्थापित करने में सफल रही। सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध होने पर किसानों को मिलने वाले लाभों का आर्थिक सर्वेक्षण शुरू किया है और इससे पता चलता है कि इससे 90.57 लाख रुपए की आय होगी तथा पहली बार 10,200 एकड़ भूमि को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यह जानना रुचिकर होगा कि नलकूपों से लाभ प्राप्त करने वाले बहुत से किसानों के पास 3 हैक्टेयर से भी कम भूमि है।

फसल ऋणों का कुल कृषि वित्त अब बढ़कर 167.31 लाख रुपए हो गया है। यह भी अनुभव किया गया कि केवल सिंचाई एवं फसल ऋणों को देने से ही छोटे किसान ऋणों से पूरा लाभ नहीं उठा सकते। अतः एजेन्सी ने यह महसूस किया कि छोटे किसानों का विकास तभी सम्भव होगा जब वे अपनी थोड़ी-सी भूमि में अधिक उत्पादन कर सकेंगे। कृषि उत्पादन बढ़ने से ही ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के छोटे वर्गों की आर्थिक उन्नति हो सकती है। जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक धनी किसान सामाजिक समानता लाने की किसी भी योजना को लागू करवाने में विलम्ब करते जाएंगे। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एजेन्सी ने 'छोटे किसानों के खेतों पर प्रदर्शन कार्यक्रम' के दायरे को बढ़ा दिया है और अब तक मूंगफली, गन्ने तथा गेहूं आदि पर 356 प्रदर्शन हो चुके हैं। इस कायक्रम के बाद फसल के मूल्यांकन से यह पता चलता है कि एक एकड़ की पैदावार काफी बढ़ गई है और छोटे किसान इसके लाभों को मान गए हैं।

दुग्ध-उत्पादन के लिए गुड़गांव जिला बहुत प्रसिद्ध है। अतः डेयरी विकास छोटे एवं सीमान्त किसानों को सहायक व्यवसाय दिलाने की सुविधाओं के विस्तार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। छोटे किसान विकास एजेन्सी ने जिले में अधिक दूध की व्यवस्था करने के लिए दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों का गठन किया। अच्छी किस्म के पशुओं को आयात करने का कार्यक्रम चलाया। स्टेट बैंक आफ इण्डिया की सहायक नीतियों के कारण इस योजना के अन्तर्गत उल्लेखनीय प्रगति हुई है तथा वर्ष 1973 में 28 नई दुग्ध सहकारी समितियां बनाई गईं तथा इस कार्य के लिए 12.90 लाख रुपए का ऋण दिया गया।

डेयरी विकास द्वारा सहायक व्यवसाय के विस्तार के लिए व्यापक योजना बनाई। इस योजना के अन्तर्गत एक तरफ तो दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों, जिनमें छोटे किसान भी सम्मिलित हों, को गठित किया जाता है तथा दूसरी तरफ प्रशासनिक सुविधाओं को जुटाने का कार्य किया जाता है। हरियाणा डेयरी विकास निगम की सहायता से एजेन्सी ने बिलासपुर में प्रशीतन संयन्त्र स्थापित किया है। पिछले वर्ष इस संयन्त्र ने 10.97 लाख लिटर दूध इकट्ठा किया। इस सहायता के फलस्वरूप दूध के इकट्ठे करने तथा परिवहन की सुविधाओं का छोटे किसानों ने बहुत स्वागत किया है। एजेन्सी द्वारा छोटे किसानों को दूध का उचित दाम दिलाने का विश्वास भी दिलाया गया है। इस सुविधा के फलस्वरूप प्राईवेट ठेकेदार छोटे किसानों से उस मूल्य से कम पर दूध नहीं ले सकते जो हरियाणा डेयरी विकास निगम छोटे किसानों को देती है।

ऐजेन्सी इस सम्बन्ध में अपने प्रयत्नों को तेज करने की इच्छुक है और यह आशा की जाती है कि जब नूह तथा होडल में प्रशीतन संयन्त्र स्थापित हो जाएंगे तब छोटे किसानों को उचित दाम दिलवाने तथा जिला में प्राईवेट ठेकेदारों की कार्यवाही को कम करने के लिए यह सम्भव हो सकेगा। □

अब खारी जमीन भी सोना उगलेगी

डा० कमलाकान्त होरक

चित्र : भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्

कहावत है—'फलीदार फसलें : भूमि हर संवारले'। और यह सत्य है कि आज फलीदार फसलों का आर्थिक, सामाजिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से काफी महत्व है क्योंकि इन फसलों द्वारा भूमि की उर्वरता तथा उत्पादकता को स्थायी रूप से कायम या स्थिर रक्खा जा सकता है। रेही और खारी मिट्टियों को सुधारने, कंकड़ीली—पथरीली भूमियों को संवारने में इनका कम महत्व नहीं। लवणीय एवं क्षारीय भूमियों पर जबकि दूसरी फसलें पूर्णरूप से नहीं विकसित हो पाती हैं, फलीदार फसलों की खेती करके, जिनकी जड़ें काफी गहराई तक जाती हैं, मिट्टियों की भौतिक अवस्था एवं संरचना में सुधार लाया जा सकता है क्योंकि इस जाति की फसलों की जड़ों में कुछ ऐसे विशेष जीवाणु होते हैं जिनके सक्रिय सहयोग से मिट्टी में होने वाले परिवर्तन और अधिक क्रियाशील तथा सरल हो उठते हैं। वैज्ञानिक अनुसन्धानों एवं परीक्षणों द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि इन फसलों द्वारा, अधिक जल-स्रवण की क्रिया से, विभिन्न प्रकार की निम्नकोटि की भूमियों को सुधारने में सहायता मिलती है।

आज अपने देश के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण करने से पता चला है कि करीब-करीब 70 लाख हैक्टेयर भूमि क्षारीयता तथा लवणीयता के कारण बेकार एवं बंजर पड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के अतिरिक्त आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र इत्यादि प्रदेशों में खारी मिट्टियों की बहुलता है। यह सत्य है कि यदि वैज्ञानिक साधनों द्वारा, जिसमें कम खर्च हो, भूमियों को उत्पादक बनाया जा सके तो देश की खाद्य समस्या काफी अंश तक सुलझ सकती है। और इसी उद्देश्य को सामने रखकर अक्तूबर 1969 में करनाल, हरियाणा में 'केन्द्रीय मृदा लवणीयता अनुसन्धान संस्थान' की स्थापना की गई जिसमें साथ ही साथ 40 हैक्टेयर का फार्म है और जहां की मिट्टी अधिकांशतः लवणीय है। इसके अतिरिक्त, इन्दौर में भी काली मिट्टियों पर अनुसन्धान कार्य के लिए, कानपुर में नमी वाली भूमियों पर परीक्षण के लिए, पश्चिम बंगाल में तटवर्ती मृदाओं पर अनुसन्धान कार्य करने के निमित्त विभिन्न उपकेन्द्रों को खोला गया है। इनका भी उद्देश्य यही है कि हर प्रकार की मिट्टियों को कैसे सुधारा तथा उत्पादक बनाया जा सकता है।

वैसे तो उपरोक्त प्रकार की मिट्टियों को अन्य प्रकार से भी सुधारा-संवारा जा सकता है। किन्तु सबसे सरल, आसान एवं कारगर तरीका है, इस

प्रकार की [illegible] दार फसलों की [illegible] रणतः क्षारीय तथा [illegible] में नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की विशेषरूप से कमी पाई जाती है जिसको कि फलीदार फसलों द्वारा हरी खाद बनाकर पूर्ण किया जा सकता है।

ढेंचा, लूसर्न, बरसीम, सेंजी, ग्वार इत्यादि ऐसी फलीदार फसलें हैं जिनकी सहायता से (इनमें में किसी एक के द्वारा) 5 से 15 टन प्रति एकड़ जैविक पदार्थ मिट्टी को प्राप्त हो जाता है तथा 30-100 पौंड नाइट्रोजन उपलब्ध हो जाता है। इन फसलों के जैविक पदार्थों के गलने-सड़ने से मिट्टियों में स्वतः सुधार की क्रिया होने लगती है किन्तु यदि मिट्टियों का पूर्णरूप से सर्वेक्षण करके (कहां की मिट्टी कैसी है) फसलों का चयन किया जाए तो अधिक लाभ होने की सम्भावना बनी रहती है क्योंकि लवणीय तथा क्षारीय मिट्टियों में जविक ढेंचा, बरसीम, सेंजी, लूसर्न इत्यादि लाभकारी होते हैं, इस समय केवल लवणीय भूमियों के लिए ग्वार तथा बरसीम ही प्रभावकारी सिद्ध हुए हैं।

[illegible] फलीदार फसलों द्वारा कैसे और क्यों सम्भव है। बात यह है कि इस प्रकार की फसलों की जड़ों में एक विशेष प्रकार की गांठें पाई जाती हैं जो वायुमण्डल के नाइट्रोजन को अपनी वृद्धि एवं पोषण के लिए उपयोग में ले लेती हैं और यह अद्भुत कार्य मिट्टी में कुछ रहने वाले जीवाणुओं, जिनको राइजोबिया कहते हैं, तथा विभिन्न जातियों के होते हैं; के सक्रिय एवं पारस्परिक सहयोग से सम्पन्न होता है। जीवाणु पौधों की जड़ों में घुसकर ग्रंथियों का निर्माण करते हैं तथा इन्हीं ग्रंथियों में पौधों के सहयोग से नाइट्रोजन का योगिकीकरण करते हैं जिससे नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाती है। यदि परीक्षण द्वारा यह ज्ञात हो जाए कि अमुक स्थान की मिट्टियों में जीवाणु नहीं हैं तो बीज बोते समय भी मिलाकर इन्हें डाला जा सकता है। इस क्रिया को 'बीज इन्आकुलेशन' की क्रिया कहते हैं।

किन्तु यह सत्य नहीं कि सभी प्रकार की भूमियों या मिट्टियों में सामान्य जाति के जीवाणु पूर्णरूप से संवर्धन कार्य करने [illegible] प्रकार के [illegible] जो वहां के वातावरण, वहां की मिट्टी, जलवायु में कारगर हो सकें। फलीदार फसलों का भी इसी आधार पर चुनाव करना आवश्यक है। फसलचक्र में इन फसलों का कैसे और किस प्रकार से उपयोग करना उचित है, यह जानना भी जरूरी है। इसके लिए निकट के भूमि सर्वेक्षण-परीक्षण केन्द्रों से सम्बन्ध स्थापित कर, मिट्टियों की जांच कराकर तथा उचित सलाह लेकर, कदम उठाना चाहिए। और इस प्रकार यदि अपने देश के भारतीय कृषक, उपरोक्त बातों को पढ़कर, ध्यान में रखकर फसलचक्र में फलीदार फसलों को स्थान दें तो कोई कारण नहीं कि उनकी भूमियों का सुधार न हो और अनुपजाऊ भूमि कुछ ही समय में सोना न उगलने लगे।

जूट अनुसंधान केन्द्र,
काटिहार (बिहार)

□

पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम......... [पृष्ठ 12 का शेषांश]

ग्रामीण क्षेत्रों की इस भयंकर समस्या से छुटकारा पाने के लिए 58 अरब रुपये की आवश्यकता होगी। पांचवीं योजना में इस कार्यक्रम के लिए 5 अरब रुपये की राशि निर्धारित की गई है जिससे पता चलता है कि लगभग 10 या 11 पंचवर्षीय योजनाओं के उपरान्त ही जनता को पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। पेयजल के कारण समस्यामूलक 1.50 लाख गांवों को 700 करोड़ रुपये चाहिए। अब जो व्यवस्था की गई है उसके उपरान्त भी लगभग एक तिहाई गांव संकट में ही रहेंगे।

पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकारों को समन्वित रूप से मिलकर कार्य करने चाहिए। निम्न कार्य प्राथमिकता के आधार पर किए जाने चाहिए।

1. केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह प्रादेशिक सरकारों को त्वरित पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान करे। केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड प्रादेशिक सरकारों को तकनीकी सहायता तथा भूमिगत जल सर्वेक्षण करके विशेष योगदान दे सकता है। केन्द्र सरकार को पठारी क्षेत्रों में जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत रिगों की सप्लाई करनी चाहिए।

2. प्रादेशिक सरकारों को चाहिए कि वे पुराने तालाबों व कुओं को अधिक गहरा कराएं ताकि वर्षा ऋतु में अधिक मात्रा में जल एकत्र किया जा सके।

3. तालाबों, और कुओं के दूषित जल को शुद्ध करने के लिए स्वास्थ्य विभाग उनमें कीटनाशी औषधियों का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें।

4. भूमिगत जल सर्वेक्षण तथा विकास अधिकरण रिगों की सहायता से गहरी खुदाई के विशेष कार्यक्रम प्रारम्भ किए जाएं।

5. प्रादेशिक सरकारों को नए कुएं खुदवाने का कार्यक्रम भी व्यापक रूप से चलाना चाहिए।

6. जिन क्षेत्रों में बिजली उपलब्ध हो वहां पर नलकूपों का निर्माण कराया जाए।

7. व्यावसायिक तथा सार्वजनिक संगठनों को पेयजल आपूर्ति के लिए यथासम्भव सहायता प्रदान करनी चाहिए।

गेहूं के सरकारी व्यापार की नीति में परिवर्तन क्यों ?

जगदीश कौशिक

देश में अनाज का व्यापार पहले से ही गैरसरकारी एजेंसी 'आढ़तियों' के हाथ में था। वे लोग मनमाने सस्ते भाव पर भोले-भाले किसानों से अनाज खरीद कर स्टाक कर लेते थे, और बाद में समय की नाजुक स्थिति का लाभ उठा-कर कौड़ियों के भाव लिए अनाज को चांदी के भाव बेचते थे। तोल में हेरा-फेरी, कीमत का भुगतान करने में लूट, और ऐसी ही धांधलियां जहां बेचारे गरीब किसान को उसके गाढ़े पसीने की कमाई का सही मूल्य लेने में रुकावट डालती थी, वहां आम जनता को भी साल के 10 महीने अनाज महंगा मिलता था और किसान ऋण के बोझ से मुक्त नहीं हो पाता था।

देश की रीढ़ की हड्डी किसान को उसके परिश्रम का उचित मूल्य मिलता न देख कर, मंडी में जाने पर पैदा होने वाली उसकी कठिनाइयों को समक्ष रख कर और जनता को उचित मूल्य पर अनाज न मिलता देखकर पिछले वर्ष सर-कार ने गेहूं का व्यापार अपने हाथों में लिया। गेहूं का क्रय और विक्रय मूल्य इस हिसाब से रखा कि किसानों को उचित मूल्य मिल सके, और जनता को वर्ष भर मुनासिब दर पर गेहूं मिलता रहे। कितनी अच्छी योजना थी यह। जहां साधारण वर्ग ने इस योजना का स्वागत किया, वहां समाज विरोधी तत्वों के खुजली सी उठने लग गई। राज-नीति के अखाड़े के सरकार विरोधी पहलवान, व्यापारी और अन्य सरमाए-दार इस योजना से तिलमिला उठे। व्यापारी वर्ग के सामने अपना आर्थिक लाभ और राजनीति के अखाड़े के पहल-वानों के समक्ष अपना उल्लू सीधा करने का लक्ष्य निहित था। समय की तो यह मांग थी कि सब वर्ग मिलकर इस योजना को सफल बनाने में सरकार का हाथ बंटाते, ताकि जन समाज भरपेट रोटी खा सकता, परन्तु हुआ नितान्त इसके विपरीत, किसानों को यह समझाने के स्थान पर कि उन्हें माल का उचित मूल्य मिलेगा, तोल में कोई हेरा-फेरी नहीं होगी, समय पर पैसा मिल सकेगा, उल्टा उन्हें यह कह कर भड़काया गया, कि सरकार तो उन्हें तबाह करने पर तुली हुई है। खाद, बिजली, पानी, बीज आदि के खर्च के मुकाबले कम दाम दिए जा रहे हैं, हालांकि इस योजना से पहले भी किसान को लगभग प्रति क्विंटल वह दाम मिलते थे, जो योजना के लागू होने पर निश्चित किए गए थे। किसान कान्फ्रेंस की गई, करनाल में भी ऐसी ही एक विशाल कान्फ्रेंस की गई थीं, जलूस निकाले गए, भूख हड़तालें की गईं। ये वे ही लोग थे, जो हर समय गिरगिट की तरह रंग बदलते रहे हैं। सरकार जन-हित का कोई काम करे तब भी वह बुरी, न करे तब भी बुरी। लालच हर एक को प्यारा होता है, भोला-भाला किसान इनके चंगुल में फंस कर रह गया।

व्यापारियों ने गहरी चाल चली, किसानों को अग्रिम धन देकर अनाज का खुफिया सौदा कर लिया, अच्छे समृद्ध किसानों ने थोड़ा-थोड़ा करके गेहूं इधर-उधर बेच दिया। व्यापारियों ने एक और गहरी चाल चली, उन्होंने मोटे अनाज और दालों के मूल्य बढ़ा दिए, पशुओं को खिलाने वाले सामान को महंगा कर दिया, जिससे मजबूर होकर किसानों ने भी निश्चित रेट पर गेहूं देना बन्द कर दिया, और अन्य सामान के स्थान पर पशुओं को गेहूं खिलाना आरम्भ कर दिया (पंजाब और हरियाणा में प्रायः ऐसा आम हुआ है)।

विरोधी पार्टियों ने तथा बड़े-बड़े भूमिपतियों ने किसानों को 'कम दाम' का प्रचार साधन बनाया, परन्तु उन्हें अपनी आवश्यकताओं को सस्ते दामों पर पूरा करवाने के लिए (बीज खाद, बिजली, पानी आदि के रेट कम करने) सरकार के समक्ष अपनी मांगें रखने की प्रेरणा नहीं दी, नतीजा यह हुआ कि वसूली लक्ष्य भी प्रायः पूरा नहीं हो सका, फिर भी सरकार की ओर से डिपुओं पर आटे की सप्लाई यथासम्भव ठीक ही रही और अब तक आटा निश्चित दरों पर मिल रहा है।

इस नीति को फेल करने के लिए एक और तर्क पेश किया गया। वह यह कि सरकार सस्ते भाव पर गेहूं खरीद कर मंहगे भाव पर बेचेगी। इस तर्क का पोस्टमार्टम कर लेना अनुचित नहीं होगा। 75 रु० से 80 रु० तक खरीद, तोल, गोदामों तक ले जाना, गोदामों का खर्च, अनाज को रोग मुक्त रखने के लिए औषधियों का खर्च, पिसाई, डिप्पुओं पर पहुंचाना, अन्य कई प्रकार के फुटकर खर्च, सारा हिसाब लगा लेने पर सरकार के पल्ले जो पड़ता है, उसे हिसाब का कोई भी जानकार आसानी से समझ सकता है। कम आमद देखकर बोनस योजना लागू की गई। सरकार का मुख्य और मूल उद्देश्य साधारण वर्ग को सस्ते दामों पर अनाज सप्लाई करना था, न कि मुनाफा कमाना। सन् 1973 से पहले व्यापारियों ने क्रय मूल्य के पश्चात् कितना मुनाफा कमाया, पहले भाव गिराकर किसानों को लूटा, फिर समय-समय पर दाम बढ़ा-कर जनता को लूटा, तब किसी ने आह तक नहीं भरी, कितनी विडम्बना है?

इस निराधार प्रचार का यह कुप्रभाव पड़ा कि जहां वसूल करने वाली एजेंसियों की ओर से मौसम के अन्दर पहले 81 लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य था, उसे घटा कर 60 लाख टन करना पड़ा, परन्तु यह निशाना भी ठीक न बैठा। सितम्बर

[शेष पृष्ठ 27 पर

ग्रामीण सेवा सहकारी समिति की वार्षिक साधारण सभा

यशवन्त सिंह बिसेन

[छोटे दादा की चौपाल—गांव के किसान शान्त बैठे हुए धीरे-धीरे बातें कर रहे हैं। सभी गम्भीर हैं। इतने में चन्दू भइया अन्दर से आते हैं, सभी "राम-राम" कहते हैं। थोड़ी देर सभी चुप रहते हैं। शान्त वातावरण को भंग किया बिसाहू भाई ने।]

बिसाहू भाई : भइया छोटे दादा नहीं दिख रहे हैं।

चन्दू भइया : क्या आपको पता नहीं, आज अपने गांव की सेवा सहकारी समिति की साधारण सभा का आयोजन है, बस उसी के लिए गए हुए हैं।

बिसाहू भाई : हां भइया, साधारण सभा की बात तो हमने सुनी थी परन्तु हमारी समझ में नहीं आई।

चन्दू भइया : साधारण सभा को आम सभा भी कहते हैं, अरे भइया, इसके पहिले भी तो अपने यहां साधारण सभा हुई हैं, जिनमें चुनाव भी हुए थे, आज अपने गांव में सहकारी प्रशिक्षक भी आने वाले हैं, उनसे भी पूरी जानकारी मिल सकेगी।

बिसाहू भाई : भइया, सहकारी प्रशिक्षक कब तक आएंगे, रात तो ज्यादा होती जा रही है।

गनपत लाल : अरे बिसाहू, तुम तो ज्यादा घबड़ाते हो, अभी रात कहां हुई, शाम हुई है, देखो घड़ी, सात तो बजा ही है।

(इतने में ही सहकारी प्रशिक्षक चौपाल पर पधारते हैं, सभी किसान 'राम-राम' कह कर शान्त बैठ जाते हैं।)

चन्दू भइया : अरे रामलाल, जा चाय तो ले आ।

प्रशिक्षक : सरपंच जी, मैं तो चाय पीता ही नहीं। चाय रहने दें, देर हो रही है, जल्दी शुरू करें।

सभी एक साथ : हां साहब, जल्दी शुरू करो रात भी ज्यादा हो रही है।

प्रशिक्षक : कल छोटे दादा मेरे यहां पहुंचे, वे वार्षिक आम जलसे की बात कर रहे थे। इसलिए आज उसी पर ही चर्चा करें। अच्छा क्या सभी सदस्य आ गए हैं, यदि साधारण सभा ठीक से होने लगे तो गांव की सहकारी समितियों का काम भी अच्छी तरह चलने लगेगा।

चन्दू भइया : आप तो शुरू से ही बताइए।

प्रशिक्षक : हां, मैं शुरू से ही बता रहा हूं। कम समय है इसलिए आप अपनी शंकाएं भी बीच में पूछते जाएंगे। हां, तो मैं कह रहा था कि साधारण सभा या आम सभा को नियमित रूप से बुलाना चाहिए। यदि बैठक ठीक ढंग से होगी तो सभा का काम भी ठीक ढंग से चलेगा। आम सभा वर्ष में एक बार बुलाई जाती है। यह सभा वार्षिक अंकेक्षण होने के पश्चात् ही बुलाना ठीक होता है क्योंकि इस सभा में अंकेक्षण रिपोर्ट और सालाना हिसाब किताब पर भी विचार किया जाता है। साधारण सभा बुलाने का अधिकार ग्रामीण सहकारी समिति के अध्यक्ष या कार्यकारिणी समिति या सहायक पंजीयक, सहकारी समितियों, को रहता है अथवा साधारण सदस्यों में से कुल सदस्यों का 1/10 (दसवां भाग) यदि प्रार्थना पत्र अध्यक्ष और सहायक पंजीयक को दें तो भी साधारण सभा बुलाई जा सकती है। अब आगे प्रश्न यह उठता है कि आम सभा बुलाने का तरीका क्या है? बैठक बुलाने के लिए निम्नलिखित तरीके काम में लाए जाते हैं; जैसे :—पहला गांव में डोंडी पिटवा कर; दूसरा, सूचना पत्र में सदस्यों के दस्तखत करवा कर; तीसरा, बैठक की सूचना कार्यालय और गांव के सार्वजनिक स्थान जैसे मन्दिर पंचायत आदि स्थान पर चिपकवा कर; और चौथा, डाक द्वारा सदस्यों के घर के पते पर सूचना भिजवा कर।

चन्दू भइया : एक बात तो समझ में नहीं आई, यदि कोई सदस्य यह कहे कि हमने डोंडी नहीं सुनी तो क्या होगा?

प्रशिक्षक : भइया, चाहे किसी ने डोंडी सुनी हो या न सुनी हो परन्तु साधारण सभा में कोई रुकावट नहीं आएगी परन्तु सावधानी रखने तथा आपसी झगड़ों से बचने के लिए यह जरूरी है कि डोंडी पीटने वाला सोसायटी के क्षेत्र के जिन गांवों में जाए उसे वहां के कम से कम दो सदस्यों से गवाह के बतौर दस्तखत ले लेना चाहिए कि गांव में डोंडी पीटी गई।

चन्दू भइया : हां साहब एक बात और है, आपने कहा कि सहायक पंजीयक भी ग्रामीण समिति की साधारण सभा बुला सकते हैं?

प्रशिक्षक : हां भइया, सहायक पंजीयक जो जिले में सहकारी समितियों के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं उन्हें साधारण सभा बुलाने का पूरा अधिकार है। यह अधिकार इसलिए भी जरूरी है कि यदि समिति के अधिकारीगण जैसे अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति साधारण सभा न बुलाए तो ऐसी दशा में सहायक पंजीयक साधारण सभा नियमानुसार बुला सकता है। उसके द्वारा बुलाई गई साधारण सभा कानूनी तौर पर सही मानी जाएगी तथा उसमें सहायक पंजीयक ही अध्यक्षता करेगा। जब भी सदस्यों के प्रार्थना पर आम सभा बुलाने का अवसर आता है तो पहिले सहायक पंजीयक अध्यक्ष से ही आम सभा बुलाने को कहेए। यदि अध्यक्ष बैठक नहीं बुलाएगा तो उस स्थिति में सहायक पंजीयक आम सभा की बैठक बुलाएगा।

बिसाहू भाई : एक बात तो और पूछने की रह गई, वह यह कि सदस्यों को साधारण सभा बुलाने का अधिकार क्यों दिया गया है ?

प्रशिक्षक : अरे भाई, यह तो सीधी बात है। अखिरकार यह समिति है किसकी ?

चन्दू भइया : समिति तो हम सदस्यों की है।

प्रशिक्षक : बस यही कारण है कि सदस्यों को भी साधारण सभा बुलाने का अधिकार दिया गया है। यदि समिति के अधिकारिगण संस्था का अहित करते हैं या सदस्यों की भलाई का ध्यान नहीं रखते हैं तथा मनमानी करते हैं तो ऐसे मौके पर सदस्यगण खुद आम सभा बुलाने का अधिकार रखते हैं। इसमें नियम यही है कि कुल सदस्यों का दसवां भाग (जैसे 100 सदस्य हैं तो उसमें से 10 सदस्य) या 50 सदस्य इसमें से जो भी संख्या कम होगी वे सदस्य सहायक पंजीयक के पास प्रार्थना पत्र भेज कर आम सभा बुलवाने का अनुरोध करेंगे। उनकी प्रार्थना पर सहायक पंजीयक स्वयं या अध्यक्ष के द्वारा आम सभा बुलवाएगा। हां एक बात और बताने की रह गई वह यह कि आम सभा बुलाने का नोटिस कम से कम 14 दिन पहिले देना जरूरी होगा।

चन्दू भइया : नोटिस यदि आठ दिन पहले दें तो क्या होगा ?

प्रशिक्षक : 14 दिन के अन्दर नोटिस देने पर वह नोटिस और आम सभा दोनों कानूनी तौर पर गलत माने जाएंगे। कम समय में बुलाई गई आम सभा गैरकानूनी हो जाएगी। ऐसी स्थिति में आम सभा निरस्त की जा सकेगी। एक बात और है—साधारण सभा का नोटिस जिले के सहायक पंजीयक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, ब्लाक के सहकारी विस्तार अधिकारी को सूचना हेतु देना होगा।

बिसाहू भाई : इन लोगों को सूचना देने की क्या जरूरत है ?

प्रशिक्षक : भइया, यह बहुत जरूरी है। आम सभा में ऐसे बहुत से मामले आ जाते हैं जिनमें सदस्यों को समझाना पड़ता है। उन विषयों को बैंक या विभागीय अधिकारिगण ही समझा सकते हैं।

चन्दू भइया : एक बात और बताओ—हमारी समिति में 320 सदस्य हैं और मान लो आम सभा में सब सदस्य नहीं आए तो बैठक होगी या नहीं ?

प्रशिक्षक : हां भइया, यह बहुत जरूरी विषय है। हर एक साधारण सभा में सदस्यों की उपस्थिति अधिक से अधिक होना जरूरी है। यदि कम सदस्य हाजिर रहते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि सदस्यगण समिति के कामों में दिलचस्पी नहीं रखते हैं जिससे समिति का काम ठीक से नहीं चलेगा और सदस्यों को समिति से ज्यादा लाभ भी नहीं होगा। इस कारण ज्यादा से ज्यादा सदस्य सभा में उपस्थित होने चाहिए।

गनपत लाल : यदि हमारी आम सभा में 10 ही सदस्य हाजिर होते हैं तो क्या बैठक होगी ?

प्रशिक्षक : हां यह अच्छा प्रश्न है। समिति के उपनियम में यह साफ साफ लिखा है कि आम सभा की बैठक तभी हो सकेगी जब कि बैठक में 15 सदस्य या कुल सदस्यों का 1/4 भाग (इसमें से जो भी संख्या कम हो) उपस्थित हो। इसी अनुपात के आधार पर ही बैठक होगी। मान लो किसी समिति में 100 सदस्य हैं तो ऐसी स्थिति में कुल संख्या का 1/4 याने 25 होगी। परन्तु यहां 25 की अपेक्षा 15 संख्या कम है तो यहां नियम के मुताबिक 15 सदस्यों में ही बैठक हो जाएगी।

जगन : अरे साहब, एक बात पूछें ?

प्रशिक्षक : पूछो भाई।

जगन : कोरम की संख्या क्यों जरूरी है ?

प्रशिक्षक : यदि कोरम न रखा जाए तो निहित स्वार्थी अधिकारी और पंच मनमानी करने लगेंगे। यदि वे 4 या 5 उपस्थित होंगे तो गलत निर्णय पास करा लेंगे, जिससे गांव की संस्था और सदस्यों को हानि उठानी पड़ेगी।

चन्दू भइया : यदि कोरम पूरा नहीं हुआ तो क्या बैठक नहीं होगी ?

प्रशिक्षक : नहीं भइया। यदि एक चौथाई या 15 सदस्यों से कम सदस्य उपस्थित हों तो अपनी समिति के

उपनियम के अनुसार अध्यक्ष जब भी समय, स्थान, तारीख आदि तय करें उन तिथियों में आगे बैठक हो जाएगी यदि नोटिस में यह लिखा गया हो कि स्थगित बैठक नोटिस में दर्शाए समय के एक घण्टे बाद हो जाएगी। मान लो दो बजे बैठक बुलाई गई तो स्थगित बैठक तीन बजे हो जाएगी। बाद की बैठक को स्थगित बैठक कहेंगे। हां इसमें एक बात और समझने की है। यदि आम सभा की बैठक सदस्यों द्वारा बुलाई गई तो बैठक कोरम पूरा न होने पर स्थगित नहीं होगी। वह बैठक समाप्त हो जाएगी।

बिसाहू भाई : साहब, आपने नोटिस का नाम लिया। यह क्या है ?

प्रशिक्षक : नोटिस सूचना पत्र को कहते हैं जो साधारण सभा की बैठक बुलाने के लिए सब सदस्यों को सूचना देने के लिए तैयार किया जाता है।

चन्दू भइया : आप इसे पूरी तरह बताइए कि इसमें क्या क्या लिखा जाता है ?

प्रशिक्षक : नोटिस में ये बातें लिखी जाती हैं :—बैठक की तारीख, स्थान, समय तथा आम सभा में विचार करने लायक विषय और कोरम पूरा न होने पर स्थगित बैठक का समय आदि।

हां, एक बात बताने की रह गई। वह यह कि स्थगित बैठक में उन विषयों पर ही विचार होगा जो कि साधारण सभा की बैठक में रखे गए थे। उन विषयों के अलावा और कोई विषय नहीं रखा जाएगा।

जगन : हां भाई, अब साधारण सभा के विषय तो दें, कौन कौन से विषय रखे जाते हैं ?

प्रशिक्षक : हां मैं ये विषय बताने जा रहा हूं। विषय ये हैं :—

(1) पिछली साधारण सभा की बैठक के निर्णयों की पुष्टि तथा यह देखना है कि जो निर्णय लिए गए थे वे पूरे हुए या नहीं ?

(2) प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों, जिनमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष भी शामिल हैं, का चुनाव, मुअत्तिली और समिति से पृथक करना। पंचों को चुन कर उनमें से पदाधिकारियों का चुनाव करना।

(3) वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करना।

(4) हिसाब के वार्षिक पत्रकों पर विचार करना।

(5) अंकेक्षण टीप तथा तामीली बाबत विचार करना।

(6) विधान एवं पंजीयक के सुझाव के आधार पर लाभ का वितरण एवं सदस्यों को अधिक से अधिक छः प्रतिशत के मान से लाभांश देना। उनकी खरीद पर रिबेट (छूट) देने का निर्णय करना।

(7) अगले 12 मासों के लिए समस्त सदस्यों की ऋण सीमा समिति की सिफारिश के आधार पर तय करना।

(8) सहायक पंजीयक द्वारा समिति की अधिकतम ऋण सीमा निर्धारित कराने की सिफारिश करना।

(9) वार्षिक अनुमानित बजट (आय व्यय) लेखा स्वीकृत करना।

(10) यदि कोई संशोधन उपनियम में हो तो उसे पूरा करना।

(11) संस्था के अधिकारियों के कार्यों एवं शिकायतों की जांच करना।

(12) संस्था द्वारा रहन रखी गई वस्तुओं तथा उपजों के वर्गीकरण एवं गोदाम पर विचार करना।

(13) समिति को ऋण दाता बैंक, केन्द्रीय संस्था या अन्य क्षेत्रीय संस्थाओं से सम्बद्ध या असम्बद्ध करने के सम्बन्ध में विचार करना।

(14) संस्था के पदाधिकारियों ने, जो ऋण के उपयोग की जांच की, उस पर विचार करना।

(15) सदस्यों के वार्षिक उत्पादन पत्रक पर विचार करना। तथा इनकी पूर्ति के लिए किन-किन साधनों की जरूरत पड़ेगी, उन पर विचार करना।

(16) अन्य विषय जो सूची में नहीं रखे जा सके हैं उन पर भी अध्यक्ष की मंजूरी लेकर विचार करना।

बिसाहू भाई : आपने तो बहुत सी बातें बता दीं, अभी एक बात समझ में नहीं आई। वह यह कि सदस्य के ऋण के उपयोग एवं उत्पादक पत्रक के विषय में आपने क्या समझाया ?

प्रशिक्षक : अरे भाई, यह इसलिए जरूरी है कि सदस्य समिति से कर्ज लेते हैं बैल खरीदने तथा कुंआ खोदने के लिए परन्तु उसे घर खर्च में लगा देते हैं जिससे उनको खेती में लाभ भी नहीं होता और उन सदस्य किसानों पर उनकी गलती से ही कर्ज और अधिक बढ़ जाता है, वे कर्ज से लद जाते हैं। तथा इसी प्रकार उत्पादन पत्रक का भी है। इसमें यह देखना कि सम्पूर्ण सदस्यों को कितना उन्नत बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाएं, सिंचाई सुविधाएं लगेंगीं उनको पूरा करने के बारे में विचार करना।

चन्दू भइया : क्या आम सभा के निर्णय सुनने से पूरा पड़ जाता है ?

प्रशिक्षक : नहीं भाई, सभी विषय और उनके निर्णयों को एक कार्यवाही रजिस्टर में लिखना पड़ता है जब कहीं आम सभा पूरी मानी जाती है।

अच्छा भाई, अब समय भी पूरा हो गया है, पंचों के चुनाव के बारे में चर्चा करनी थी परन्तु अगली बैठक में उस पर चर्चा करेंगे।

(इतना कह कर प्रशिक्षक बैठ जाते हैं सभी किसान भाई 'राम-राम' कह कर चलने लगते हैं।)

एक ही पेशी में सबूत, सफाई और फैसला

कृष्ण कुमार कौशिक

साहेब ! यहां झूठ को बोल सकत । जो पूछोगे सब सांची-सांची कहही । झूठी कहे ही सों का हम अपनी वंस-बेल मिटावन चाही । पर एक बात की आप लोगन सों दरखास जरूरी करन चाहत कि न्याव-हिसाब सब पूरी तरह छांट लेऊ । फिर जौन आपको चोर नजर आवही वाकौ सौ जूती और हुक्का पानी को दण्ड देऊ सो हम कूं स्वीकार ।

बुंदेलखंड प्रखंड के एक गांव बमनुवा तहसील मोठ जिला झांसी में रात को ज्वार के खेत से कुछ भुट्टों की चोरी हो गई । ज्वार का वजन छः धड़ी होगा और कीमत 30-40 रुपये । लेकिन खेत के मालिक के सामने नुकसान का सवाल नहीं था । वह इस बात से दुखी था कि यदि चोर का हौसला बढ़ गया तो कल खलिहान से उसकी सारी फसल उठा ले जाएगा । उसके घर का सामान और बर्तन-भांडे भी बांध कर ले जाएगा । खेत का मालिक रेलवे में नौकरी करता था और उसकी पत्नी व बच्चे गांव में ही रहते थे । चोरी की बात उसे रह-रह कर खल रही थी कि उसके पीछे चोर क्या नहीं कर सकते ।

उदास और लटका चेहरा लिए वह ग्राम सभा के प्रधान के पास गया और उनसे चोरी की बात कही ।

प्रधान श्री माधोप्रसाद श्रीवास्तव पुराने ख्यालात के थे । गांव में उनकी बिरादरी का अकेला घर होने से वह किसी के खिलाफ-कचहरी जाने के बजाए गांव में ही मामले को निपटवाने की सलाह देते थे और रंजिश से बचे रहने की कोशिश में रहते थे ।

इस मामले में भी प्रधान ने यही सलाह दी—"भैय्या । थाना-कचहरी जाने सों का नुकसान वापिस मिल सकत ? बस्ती को इकट्ठा कर लेऊ । बस्ती से लोगन सों कौन बात छुपी रह सकत । का तुमसों सब ही लोगन की शत्रुता है जौन तुम्हारी सी कोउ कहई ना सकत । फिर चोर कौन तुमने अपनी आंखन सो देख ही जा सों तुम थाना-कचहरी में नामजद रपट लिखा सकत ।"

प्रधान की सलाह खेत मालिक के गले उतर गई और वह बस्ती के लोगों की पंचायत बुलाने चल पड़ा । लोगों की खरीफ की फसल की कटनी हो चुकी थी । खेत-खलिहान के काम से छुट्टी मिलने पर अब वे एक-दूसरे की "बैठक" या बखरी में बैठकर एक-दूसरे की बुराई-भलाई में अपने मसूढ़े कुचलते दिन गारत कर रहे थे ।

खेत का मालिक लोगों से अपनी चोरी की बात कहता और 'गोला माते' की बैठक पर आने की विनती करता सबको टेरता फिर रहा था । खेत मालिक के निमन्त्रण पर आनन-फानन में 'गोला माते' की बैठक बस्ती के पंचों से ठसाठस भर गई और खेत मालिक से सवाल-जवाब होने लगे—'का भैय्या । कौन दुख-तकलीफ के काजे हम लोगन को इकट्ठा करदी ? का गांव का प्रधान तुम्हारी बात का निबेरा ना कर सकत ?"

खेत मालिक ने खड़े होकर सब लोगों पर नजर डाल राम-रहीम किया और अपनी बात कह इन्साफ की दरख्वास्त की । पंचायत में एकदम सन्नाटा छा गया । लोग एक-दूसरे को नजर मारने लगे कि किधर से बातचीत का सिलसिला शुरू हो । पंचों में बुजुर्ग और प्रौढ़ तो थे ही, एम० ए० और बी० ए० पास कुछ नवयुवक भी थे । खेत मालिक पंचों के सामने हाथ बांधे खड़ा था लेकिन पंच एकदम खामोश और आपस में एक-दूसरे के चेहरे पढ़ने में लगे थे । लगता था अन्दरखाने में उनमें एक-दूसरे के प्रति कैसे ही विचार रहे हों, पर पंचों के आसन पर बैठकर वे सच्चाई से एक इंच भी इधर-उधर हट कर बोलना गुनाह समझ रहे थे ।

लम्बी खामोशी के बावजूद जब कोई नहीं बोला तो पीछे बैठे पढ़े-लिखे नौजवानों ने बदबुदाना शुरू कर दिया । बुजुर्ग शायद सोच रहे थे कि नई रोशनी के लड़कों को बड़े छोटों का लिहाज नहीं है, जिससे इन्हें न छेड़ना ही ठीक है । पर तभी प्रधान जी उठे और पढ़े-लिखे लड़कों से बोले—"का भैय्या । साफ कहो ना । कहा समझ में आई रही ?" खेत मालिक को बैठ जाने को कह प्रधान जी फिर बैठ गए ।

पढ़े-लिखे नवयुवकों में से एक खड़ा होकर बोला—"हमारा कहने का मतलब है कि ऐसे चुपचाप बैठे रहिबों सों का चोर हाथ आ सकत ! हमकूं इजाजत होई तो सांझ तक चोर को सब के सामने कर दहों ।"

"ठीक कहबो, ठीक कहबो" एक स्वर से नवयुवक की बात का सबने समर्थन किया ।

प्रधान जी फिर उठ खड़े हुए और उन्होंने पूछा—"हम लोगन सों कहा सहायता चाहत जासों चोर हाथ आ सकत, बोलो भैय्या ।"

नवयुवक—'जा पर खेत मालिक का सन्देह होई वाकी रपट थाने में नामजद कराई देओ । चोर का बाको बाप भी चोरी स्वीकार दइही ।"

नवयुवक की बात सुन सब लोग सन्न रह गए । उसकी यह बात उन्हें अपने लिए अपमानजनक लगी और सोचने लगे कि यदि मामला थाना-कचहरी से ही निपटाना था तो उन्हें यहां किसलिए बुलाया । पंचायत में खामोशी छा गई । गांव के पंच-परमेश्वरों की पुरानी मान्यता और उनकी न्याय-निष्ठा पर नवयुवकों का यह करारा तमाचा था ।

नवयुवक की बात की काट में जब कोई नहीं बोला तो प्रधान

इतिहास हमारा ऐसा है

कुन्दन सिंह सजल

वसुन्धरा तो वसुन्धरा, आकाश हमारा ऐसा है।
जिसने जग को सभ्य किया, इतिहास हमारा ऐसा है ॥
एक बार ही क्या हमने युग की हर सदी संवारी है।
मानवता हो आन, बान, मर्यादा सदा हमारी है ॥
'मानव मानव सब समान' विश्वास हमारा ऐसा है।
जिसने जग को सभ्य किया, इतिहास हमारा ऐसा है ॥ 1 ॥
सूरज ने आलोक प्रसारा, हमने ज्ञान प्रचारा है।
अज्ञअमा को ज्ञान ज्योति से, पूनम बना सवारा है ॥
सब लोकों को प्रकाश, प्रकाश हमारा ऐसा है।
जिसने जग को सभ्य किया, इतिहास हमारा ऐसा है ॥ 2 ॥
ऊसर को उपवन में ढाला, हमने अपने ही श्रम से।
पतझड़ को बहार में बदला, लोहा लेकर मौसम से ॥
सबके घर मौसम बांटे, मधुमास हमारा ऐसा है।
जिसने जग को सभ्य किया, इतिहास हमारा ऐसा है ॥ 3 ॥
हमने उनको मंजिल दी, जो भटक गए थे राहों से।
नई रोशनी उनको दी, जो दुर्बल रहे निगाहों से ॥
'सभी सुखी हों', उन्नति का भाव हमारा ऐसा है।
जिसने जग को सभ्य किया, इतिहास हमारा ऐसा है ॥ 4 ॥

जी फिर खड़े हो गए और पंचों से उत्तेजना भरे स्वर में बोले—"का भैय्या ! खरी बात काहे नाहीं कह सकत। का तुम्हार गांव-बस्ती के लोग चोर कूं दण्ड-सजा नहीं दे सकत ? आप सों का चोर का पता नाहीं चल सकत ?"

प्रधान की इस बात से मानो अब हर पंच की आत्मा में राजा विक्रमादित्य की आत्मा आ बैठी थी। एक बूढ़े पंच मकड़ारियाजी उठे और लोगों में बैठे एक व्यक्ति पर नजर गड़ाते उससे कड़कती आवाज में बोले "भैय्या। काहें सबकों परेशान कर रहत ? आगे दण्ड-सजा भोगने सों का फायदा। सांची कहो ना कि आजकल तुम्हारा ईमान ठिकाने ना रहत।"

सबकी नजरें उस व्यक्ति पर जा गड़ीं। तभी प्रधान जी ने कहा —"मकड़ारिया पंच जो कहत का वे उसका सबूत दे सकत, जो सों चोर पक्का साबित हो सकत।"

श्री मकड़ारिया —"हां साहेब। या के काजे नत्थू कुर्मी को बुलाया जाए।"

एक पंच ने जब एक व्यक्ति को चोर बता दिया तो सब यह सोचने पर मजबूर हो गए कि तो वह व्यक्ति अपनी सफाई दे वरना वह चोर है। उसे खड़ा कर सही-सही बात बताने को कहा गया।

"साहेब ! यहां झूंठ को बोल सकत। जो पूछोंगे एक सांची-सांची कह दी। झूंठ कहे ही सो का हम अपनी बंस-बेल मिटावन चांही। पर एक बात को आप सब लोगन सों दरखास जरूरी करन चाहत कि न्याब-हिसाब सब पूरी तरह छांट लेऊ, फिर जौन आपको चोर नजर आवही बाको सौ जूती और हुक्का पनी को दण्ड देऊ, सौ हम कू स्वीकार।" यह कहते कहते वह फफककर रो उठा। उसके मुंह पर किसी अदृश्य डर और आशंका की रेखाएं उभर आई थीं।

"हओं, तुम्हारी दरखास पर गौर जरूर करहिं तासों बाद कोई फैसला सुनावही।" पंचों ने उसे दिलासा दिया। इसके बाद नत्थू से पंचों का पहला सवाल था—"का भैय्या। तुमने इसे भुटैवा (भुट्टे) काटत देखहिं ?"

नत्थू कुर्मी—"हओ, देखहिं।"

"कितने फासले सों यह तुम कूं नजर पड़ही।"

नत्थू कुर्मी —"आपने खेत माहि सो देखहिं।"

पंच—"का यह खेत मां भटैवा काट देखहिं या डगर में आवती देखहिं।"

पंच—"तुम्हारा बा खेत तो वहां सो लगभग एक-सवा मील के फासले पर होगा।"

नत्थू कुर्मी—"हओ।"

इसके बाद सफाई पक्ष की गवाही हुई। पंचों ने अभियुक्त से पूछा—"का भैय्या। या नत्थू कुर्मी तुम सों कोई रंजिश-दुश्मनी तो ना मानत ?"

अभियुक्त—"हओ, अब सों कछु समय पहले थाने में हमारे बाप कं आरोप लगाया था कि वह हमारी औरत सो गलत-सम्बन्ध राखत। बिरादरी की पंचायत में या सों यह आरोप सिद्ध नाहीं हो सकत तो याकूं जातिबिरादरी सों बहिष्कार करने को दण्ड दयो।"

"हओ, हओ, सांची कहत। ऐसा हो भयो।" पंच मंडल—"काहे भैय्या। का तुम सब जन सों एक बेगुनाह को दण्ड सजा दिवान चहिहों। किसी को झूंठा आरोप लगाई के का काही जीवन नष्ट करन चाही ? पंचन कू सोंही कर भी तुम्हें झूठ बोलने में हया-शर्म नाही आवहि ?"

कुछ देर तक पंचों में बुदबुदाहट होती रही। आखिर में उन्होंने फैसला सुनाया—"नत्थू कुर्मी कान पकड़ कर सब पंचों से माफी मांगे कि भविष्य में वह पंचो के सामने झूठी शहादत नहीं देगा और अभियुक्त को सम्मानपूर्वक चोरी के आरोप से मुक्त कर उसे सलाह दी कि वह असली चोर का पता लगाए और खेत मालिक के हक में फैसला दिया जितनी ज्वार का उसका नुकसान हुआ पंच गांव से उगाह कर उसे देंगे।

1260 ए/1, बलबीर नगर,
शाहदरा दिल्ली-32

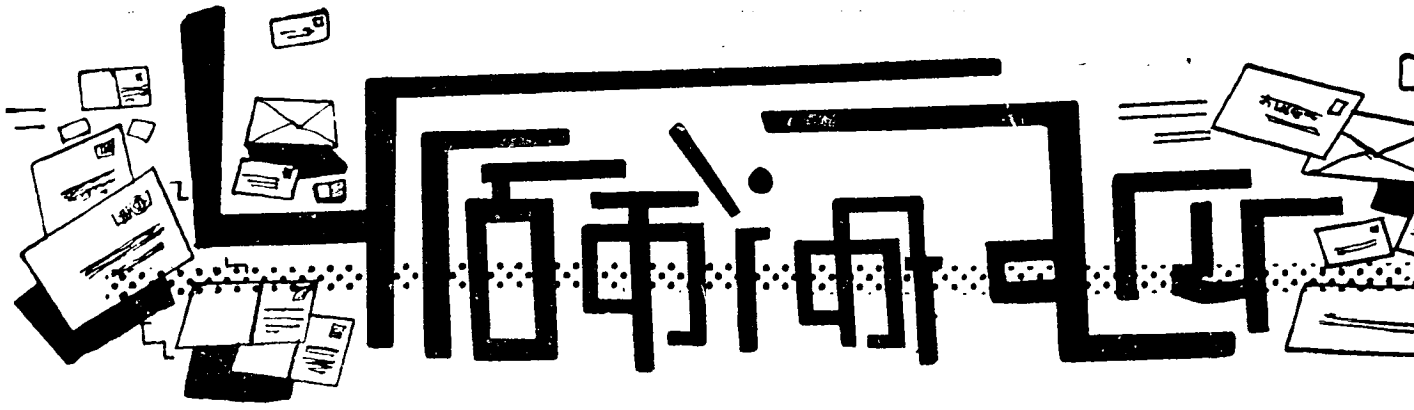

दहेज प्रथा को खत्म किया जाए

कृ० गो० वानखडे गुरुजी

आज भारत में 6 लाख ग्राम तथा 5 करोड़ परिवार हैं। हिन्दू परिवारों की संख्या 4 करोड़ है। हर परिवार में साधारणतः तीन वर्ष की अवधि में एक विवाह करना पड़ता है। विवाह का साधारण खर्च पांच हजार भी माना जाए तो हर वर्ष देश का 30 अरब रुपया खर्च होता है। यह धन इस गरीब देश की दृष्टि से इतना अधिक है कि यदि इसकी बचत की जाए तो इसे देश के विकास में लगाया जा सकता है। इसके अलावा, हर परिवार में स्वास्थ्य, निवास, चिकित्सा, व्यवसाय, शिक्षा आदि जीवनोपयोगी कार्यों में लगाने पर अपने आप भारतीय जनता का स्तर ऊंचा उठ सकता है।

आज का युग सहकारिता का है। सहकारिता ही एक ऐसा प्रगतिशील आन्दोलन है जिसके द्वारा सच्चे समाजवाद की स्थापना की जा सकती है। सच्चे अर्थों में सहकारिता इस युग में एक महान कला है जिसके द्वारा इस युग में आर्थिक, शैक्षणिक, नैतिक तथा सामाजिक विकास लाया जा सकता है। आज कोई भी व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र बिना सहकारिता से पनप नहीं सकता। अगर कोई अकेला व्यक्ति समाज तथा राष्ट्र को उन्नत करना चाहे तो नहीं कर सकता। सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति की प्रेरणा परस्पर सहयोग तथा सद्भावना पर आधारित है। सहकारी आन्दोलन का महत्व अभी तक आर्थिक क्षेत्र में ही था परन्तु इससे सामाजिक कुरीतियां भी दूर की जा सकती हैं।

देशकाल तथा परिस्थिति के अनुसार जो समाज अपने आपको परिवर्तित नहीं कर सकता वह प्रगति पथ पर आगे कदापि नहीं बढ़ सकता। जब यह देश किसी जमाने में वैभव तथा ऐश्वर्य से सम्पन्न था तो देश में किसी भी व्यक्ति को जीवन निर्वाह, शिक्षा, चिकित्सा आदि किसी भी प्रकार की चिन्ता नहीं थी। उस समय लोग सम्भवतः विविध रीति-रिवाजों जैसे जन्म, मृत्यु, विवाह आदि में बड़े बड़े प्रीति भोज तथा मुक्तहस्त होकर दान-धर्म किया करते थे। उस समय की परिस्थिति के अनुसार ये समाज के लिए हितकर हो सकते थे। पर, आज की परिस्थिति उस समय से बिलकुल ही भिन्न है। आज की कमरतोड़ मंहगाई ने सामान्य मनुष्य को अपने परिवार का ठीक तरह से जीवनयापन करना तथा बोझ ढोना मुश्किल कर दिया है। हम पुराने जमाने की बातें सामने रखकर चलेंगे तो हमारा जीवन चल नहीं सकेगा।

भारतीय संस्कृति में सोलह संस्कार जीवन में प्रधान माने गए हैं। ये गर्भाधान से लेकर मृत्यु संस्कार तक सम्पन्न होते हैं। समय तथा परिस्थिति के अनुसार आजकल ये सारे संस्कार पूरे नहीं हो पाते। इन सभी संस्कारों में विवाह संस्कार को ही आज अधिक मान्यता है। विवाह संस्कार दो आत्मा का पारस्परिक समर्पण होने के कारण एक परमपुनीत महायज्ञ है। विवाह संस्कार जीवन नौका पर आरूढ़ होने वाले दो जीवों के परस्पर मिलन का एक प्रशस्त मार्ग है। यह वह पुनीत संस्कार है जो दो आत्मा का पवित्र बन्धन कराता है। दोनों प्राणी अपने-अपने अस्तित्व को भूलकर एक रूप हो जाते हैं। आज की कमरतोड़ मंहगाई से तंग आया हुआ आदमी इस बात को महसूस करता है कि आज की हमारी विवाह प्रणाली बड़ी खर्चीली है और अब हमें भी इसे एक छोटा पारिवारिक उत्सव मानकर इसमें सादगी और सरलता अपनानी चाहिए। हमारे विवाह संस्कार पूर्वकाल की भांति भारतीय संस्कृति के अनुरूप परम सात्विक वातावरण में सादगी एवं सरलता के साथ कम से कम खर्च में सम्पन्न होने चाहिए। सही रूप में देखा जाए तो इसी में सभी का हित है।

आज कन्या और वर एक दूसरे के गुण, धर्म तथा स्वभाव से आकर्षित न होकर एक दूसरे के रंगरूप तथा साज शृंगार के आधार पर अपना जीवन साथी चुनने की होड़ में लगे हैं। यह पश्चिम की नकल है। परन्तु दम्पत्ति गुण, कर्म, स्वभाव, योग्यता तथा शारीरिक स्वास्थ्य को ही दृष्टि में रखकर वे अपना दाम्पत्य जीवन सुखमय बना सकते हैं।

एक समय था जब देश में बहुत गरीबी थी तब लड़कियां बेचकर लोग अपने पापी पेट की ज्वाला शान्त करते थे और अब जबकि देश में दिनोंदिन खुशहाली बढ़ती जा रही है तो लोग लड़के बेचते हैं। इसे मानवता की मनोवृत्ति न कहकर पशुता की मनोवृत्ति कहा जाएगा। जो अपनी लड़की दे रहा है उसके कपड़े, बर्तन बिकवा लेने वाला, उसके परिवार को दरिद्रता की खाई में धकेलने वाला तथा उसके भावी भविष्य को अन्धकारमय बना देने वाला दहेज मांगा जाता है तो क्या यह सभ्यता की निशानी है ? सही रूप में देखा जाए तो आज की परिस्थिति में पैसा बरबाद करने की चीज नहीं। अमीर, गरीब हर आदमी उसे अच्छे काम में लगा सकता है। आज हमारे देश में ऐसे भी गरीब आदमी हैं जो बेचारे पैसे-पैसे के लिए ताकते रहते हैं। जो पैसे के लिए मोहताज है वही पैसे का असली मूल्य जानता है। जो जानबूझकर केवल बड़प्पन के लिए पैसे की बरबादी करता है वह स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। अगर हम इस अनर्थ को ही देखते रहेंगे और इस कुरीति के उन्मूलन की दिशा में कोई कदम नहीं उठाएंगे तो बरबादी के सिवा हमारे पल्ले कुछ न पड़ेगा।

आजकल दहेज का प्रदर्शन बहुत ही धूमधाम से होता है। यह प्रतिष्ठा का मान बिन्दु माना जाता है। लड़की वालों के मित्र और सगे सम्बन्धी उसे इसके लिए मजबूर करते हैं। नगद पैसे के अतिरिक्त विलासिता की अन्य चीजें फर्निचर, बर्तन, खिलौने, मेवा-मिठाई आदि देना पड़ता है। इस कुरीति के कारण समाज में अनेक दुष्परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं। हर परिवार में दूसरे या तीसरे वर्ष एक शादी अवश्य होती है। हर मनुष्य को अपने परिवार में कम से कम 4 या 5 शादी तो करनी ही पड़ती हैं। आज की कमरतोड़ मंहगाई में एक शादी पर कम से कम पांच हजार रु० खर्च हो जाना तो स्वाभाविक है। पांच शादियों में ही पच्चीस हजार रुपये खर्च हो जाते हैं। आज के युग में किसी व्यक्ति के लिए इतनी बचत करना सम्भव नहीं परन्तु इन रीतिरिवाजों के बिना गृहस्थ का काम भी नहीं चलता फिर इसके लिए भ्रष्टाचार का सहारा लेना ही पड़ता है।

सामाजिक बुराई का प्रभाव गरीब घर की कुलीन तथा सुयोग्य कन्याओं पर पड़ता जा रहा है जिसकी चर्चा सामान्य जनता से सुनने पर मानव का हृदय कांपने लग जाता है। कितनी कन्याएं माता-पिता की गरीबी के कारण अविवाहित ही रह जाती हैं। ये सारी कन्याएं पत्थर दिल के मानव को भी एक बार पिघला दे सकती हैं। यदि यह प्रथा जारी रही तो हमारा समाज कदापि उन्नति नहीं कर सकता।

अतः हमें इस आसुरी रीतिरिवाज के प्रचलन को रोकना ही पड़ेगा। सामुदायिक विवाह आयोजन इस समय एक सुधार कार्य है। इससे समाज की स्थिति सुदृढ़ हो सकती है। सामुदायिक विवाह योजना भारतवर्ष में आज कई जगह पर लागू है। नामधारी सिख समाज में यह योजना इस पंथ के प्रथम प्रणेता सद्गुरु रामसिंह ने शुरू की थी। आज भी एक समय में सैंकड़ों विवाह सम्पन्न होते हैं। वर-वधु को केवल पांच या दस रुपये से ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता। इसी तरह वर्धा में लक्ष्मीनारायण मन्दिर में केवल दस रुपये में शादी सम्पन्न होती है। यह आदर्श योजना महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुई थी। इसके अतिरिक्त, कुछ संस्थाओं द्वारा भी यह सामुदायिक विवाह का कार्य चल रहा है। जहां जहां भी यह कार्य चल रहा है वहां लोगों ने जाति, समाज तथा राष्ट्र के सामने एक महान आदर्श उपस्थित किया है। यह एक गौरव का विषय है।

मेरा जनता से नम्रतापूर्वक निवेदन है कि वह दहेज प्रथा के उन्मूलन के लिए कोई कसर बाकी न छोड़े और सामुदायिक विवाह प्रथा को अपनाए।

□

मु० पो० बगूर तहसील सांगानेर
जिला—जयपुर (राजस्थान)

गेहूं के सरकारी व्यापार की नीति में परिवर्तन क्यों..... [पृष्ठ 20 का शेषांश]

1973 के अन्त तक केवल 4.7 लाख टन की ही वसूली हो सकी।

अब सरकार ने देश के कुछ वर्गों की भावनाओं का आदर करते हुए अपनी क्रय नीति में परिवर्तन किया है, अब आढ़तिए भी गेहूं खरीद सकेंगे। (पंजाब इस नीति से सहमत नहीं है) देखो तजुर्बा क्या कर दिखाता है ? क्या किसानों को अब सही मूल्य मिल सकेगा ? क्या यह व्यापारी वर्ग की लूट-खसोट से मुक्त रह सकेगा ? क्या जनसाधारण को साल भर सस्ते दामों पर अनाज मिल सकेगा ? ये कुछ प्रश्न हैं, जिनका सही उत्तर समय ही दे सकेगा।

डी०ए०वी० हायर सेकेण्डी स्कूल
करनाल

कहानी

रहम की भीख

श्रीराम शर्मा 'राम'

दिन भर गर्मी और तपिश के कारण गांव के लोग घरों में बन्द थे। चौपाये प्यासे और भूखे खूंटों से बंधे थे। कितना वैषम्य था उस गांव में कि कच्चे और झोपड़ियों के बने मकानों के मध्य कुछ ऐसे भी घर थे कि जिन्हें गांव के अनुपात से सम्पन्न कहा जाता था। उन पक्के मकानों में वैभव बोलता था। वहां रेडियो का स्वर गूंजता था।

अतुल गांव के जमींदार का एक-मात्र पुत्र था। कालेज के अन्तिम वर्ष में प्रवेश कर चुका था। छुट्टियां होने पर गांव आया हुआ था। जब सन्ध्या आई, ठण्डी बयार चली तो वह घर से निकल कर खेतों की ओर चल दिया। शहर में वह पैण्ट और बुश्शर्ट पहनने का आदी था, परन्तु संध्या की उस वेला में खद्दर का कुरता पाजामा पहिने अपेक्षाकृत अच्छा लग रहा था। सुन्दर, जवान अतुल बीस वर्ष का हो चुका था।

जब अतुल खेतों की तरफ बढ़ा, तो रास्ते में एक वृद्ध को देखकर ठिठका — 'सलाम बड़े मियां।'

बड़े मियां ने अपनी बूढ़ी आंखों से अतुल की ओर देखा। कमर सीधी की और प्रसन्न भाव में कहा —'सलाम, छोटे बाबू। कब आए ?'

अतुल ने बताया—'कल शाम आया था।' उसने पूछा —'अच्छे हो न।'

तब मियां ने सांस भरी 'हां अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाइए, कैसी चल रही है पढ़ाई ?'

अतुल बोला —'आपकी दुआ है।'

वृद्ध का नाम अब्दुल्ला था। वह भी एक छोटा-सा किसान था। उसका लड़का खेतों पर काम करता था। तब अब्दुल्ला ने कहा —'छोटे बाबू, उम्र के साथ आदमी बदलता है। जिस घर में खेलते थे, अब वहां आना भी नहीं होता। कच्चा मकान है, वह छप्पर का है, लेकिन भूलो मत, आपका बचपन उन मकान के आंगन में खेला था, हंसा था।'

अतुल गद्गद् हो उठा—'हां, बड़े-मियां। आपकी बेटी जोहरा के साथ खेलता था, मैं भी। अम्मीजान तो ठीक हैं।'

बड़े मियां ने सांस भरी 'हां, बाबू। सभी कुछ ठीक है। मेरी तरह अब वह भी बुढ़िया हो गई। बेटी विधवा क्या बनी, उसकी कमर टूट गई। सुना तो होगा, बड़े बाबू हमसे खेत लेना चाहते हैं। दो रोटियों का सहारा था, तो वह भी छीन लेना पसन्द करते हैं।'

इतनी बात से अतुल जैसे खो गया। अवसन्न बन गया। वह एकाएक कुछ कह नहीं पाया। मानो उसका बाप अपराधी नहीं, वह स्वयं अपराधी था। बड़े मियां की लड़की जोहरा विधवा हो गई, यह पहिले से सुन लिया था। उसका एक यही अपराध कम नहीं था कि इतना बड़ा हादसा उस परिवार पर हुआ और वह एक बार भी वहां नहीं पहुंचा। जोहरा बचपन में आंखमिचौनी और गुड्डे-गुड़िया का खेल खेलती थी, तो वह उस भावना को भी भुला बैठा। किन्तु उसके पिता ने अब्दुलमियां से खेत भी छीन लेना चाहा, यह उसके लिए सबसे अधिक मर्मान्तिक था।

अब्दुलमियां ने कहा—'छोटे बाबू, वर्षों से हम उस खेत को जोतते आए हैं। बड़े बाबू की बात तो क्या कहूं, पटवारी भी बेईमान है। पैसे के लिए अपना ईमान बेचता है।'

सुनकर, अतुल अत्यधिक व्यग्र हो उठा—'आज सब बेईमान हैं, बड़े मियां।' वह बोला—'मैं आऊंगा। यकीन रखें, खेत आपका रहेगा।' वह चल दिया।

बड़े मियां ने गांव की तरफ पैर बढ़ाते हुए कहा—'खुदा तुम्हारा भला करे। तुम्हें उम्रदराज करे।'

अतुल एक हरे-भरे खेत के डौले पर जा खड़ा हुआ। आसमान में छुट पुट बादल आ गए थे। ठण्डी हवा चल पड़ी थी। तभी एक किसान का जवान लड़का कन्धे पर लाठी रखे उधर आ निकला। पास आते ही बोला —'अरे, तुम हो अतुल भैया, कब आए ?' उसने कहा —'पिछले दिनों सुना था कि तुम पकड़े गए थे। कालेज में कुछ झगड़ा हुआ था, क्या।'

अतुल बोला—'अरे मलखान। झगड़ा कहां नहीं होता ? अतुल बोला —'आज सर्वत्र असन्तोष है। विद्रोह का भाव व्याप्त है।'

मलखान पढ़ा-लिखा नहीं था। बोला—'यह सब क्यों है, भैया ? असन्तुलन। अराजकतावादी तत्वों का बाहुल्य।'

लेकिन मलखान इतना भी नहीं समझा। वह चुप रह गया।

अतुल बोला —'मैं कालिज की पार्टीबाजी में फंस गया था। जिन स्वार्थियों ने झगड़ा कराया, बाद में वे सभी मुह छुपा गए। इस सर्वग्राही नीति ने पढ़ने वाले लड़कों का भी दिमाग बिगाड़ दिया।'

मलखान बोला—'भैया, अब नेता बहुत हो गए। अब तो तुम्हारे पिता भी बदल गए। कुछ सुना तुमने यहां गांव में पार्टीबाजी ने जोर पकड़ा है। ठाकुरों के दो गुटों में बेचारा गांव पिस रहा है। गेहूं के साथ घुन भी।'

अतुल कड़वे भाव से मुस्कराया— 'यह कब नहीं था। तभी तो गांव उजड़ गए।'

'अब तुम गांव में आ जाओ। घर का काम सम्भाल लो। पढ़े लिखे हो, तो गांव को चार भली बातें बताओगे।'

अतुल बोला नहीं, मुस्कराया और चुप रह गया।

मलखान बोला—'गांव में चकबन्दी हो रही है। बड़ी बेईमानी चल रही है। गांव की सभी अच्छी और उपजाऊ जमीन दो-तीन घरों के पास जा रही है। तुम्हारे पिता कल सिरमौर थे, तो आज भी हैं।'

मानो उस मलखान द्वारा अतुल का उपहास किया जा रहा था। वह तड़प उठा। विषम और कठोर भी बन गया। वह विषाद भाव से मलखान की ओर देखता हुआ जब आगे बढ़ा, तो मलखान बोला—'भैया, आग लग रही है, गांव मे। न औरतों को लाज ढ़कने को कपड़ा है न पेट को रोटी। आसमान बरसता नहीं, सूखा पड़ रहा है। धरती जल रही है। तुम्हारा तो ट्यूबेल है, तो खेत लहलहा रहे हैं। एक दिन बड़े सुधारवादी थे तुम्हारे पिताजी, लेकिन आज हां, आदमी का कौन सा रंग दिखाई दे, समझ नहीं पड़ता। मेरा मन करता है कि लाठी से मन्दिर की दीवारें तोड़ दूं, मूर्ति को उठाकर नहर में फेंक दू। भला, कभी किसी ने समझा है, भगवान को। उसकी भावना को। तुम्हारे पुरखों ने मन्दिर बनवाया, धर्मावतार कहलाए। लेकिन उन्होंने शोषण की चक्की चलाकर इन्सानियत को पीस दिया। आए हो, तो जरा मिल आना उस धरमू से। तुम्हारे पिता ने कभी दो सौ रुपये उसे दिए थे। अब डेढ़ हजार की डिगरी कराकर उसका खेत छीन लिया। घर में ब्याहने को जवान लड़की बैठी है। घरवाली बीमार है। बेचारा कस्बे में जाकर मजदूरी करता है। अब खुद भी बूढ़ा है। सांस का रोगी है। बोलो, यही इन्सानियत है, इस इन्सान की।'

अतुल तेजी से आगे बढ़ गया। वह कुछ खेतों का चक्कर काट कर घर पहुंच गया। ऊंचा भवन। पिता का शानदार बैठक खाना। जहां कोई आ रहा था, कोई जा रहा था। अतुल को देखते ही पिता ने आवाज दी, तो वह पहुंच गया।

उससे कहा गया—'देखो, शहर से आए हो, तो कुछ घर का भी काम देखो। आजकल चकबन्दी हो रही है। उसके आफिसर से तुम भी मिल लो।'

अतुल बोला—'निरुद्देश्य मिलना क्या ठीक होगा।'

'नहीं बेटा, इन आफीसरों से मिलना ही चाहिए। जब अंग्रेजी राज्य था, तो तहसीलदार और मजिस्ट्रेट को सौगात पहुंचाता था। आम की फसल में आम और जाड़ों में गुड़-शक्कर और गन्ने का रस। सुना नहीं, जो खाता है, वह लजाता है।'

लेकिन मानो अतुल ने यह सबक नहीं पढ़ा था। उसे अरुचि थी उन आफीसरों से। उसका एक यह भी मत था, रिश्वत देने वाले सरकारी कर्मचारी को न ईमानदार रहने देते हैं, न काम करने देते हैं। वह बोला—'पिता जी, यह चाटुकारिता इस देश का नाश कर देगी।'

एकाएक पिता ने रुक्ष बनकर कहा—'तुम मूर्ख हो। क्या यही पढ़े हो?'

किन्तु अतुल के मन में इसकी ही बात घुमड़ रही थी। वह बोला 'चकबन्दी आफीसर से मिलकर आपने अब्दुल्ला का खेत छीन लिया। कुछ रुपए दिए धरमू को, तो उसका सर्वस्व डस लिया।' उसने कहा—'समय बदल गया है, पिता जी। मनुष्य को न्याय चाहिए। समन्वय चाहिए। रहम की भीख चाहिए।'

सहसा ठाकुर ने तड़प कर कहा—'अतुल! छोटे मुंह बड़ी बात मत करो। मैंने सुन लिया है, तुम शहर में जाकर लड़कों के नेता बने हो। लेक्चर देते हो। तो क्या बाप को भी कोई भाषण सुनाना चाहते हो।' ठाकुर बोला—'यह गांव है, शहर नहीं। यहां टेढ़ी उंगली से घी निकालना पड़ता है। यह जायदाद जो मेरे पास है, सुगमता से नहीं बन गई। यहां तो लोग खाते हैं, गुर्राते हैं।'

किन्तु स्थिति यह थी कि अतुल स्वयं अपना सन्तुलन खो बैठा था। वह भी राजपूत था, जवान था। तुरन्त बोला—'दूसरों के पेट पर लात मार कर धन का अम्बार नहीं लगाया जा सकता। अब पहिला जमाना नहीं। मनुष्य सजग है। चेतन और चिन्तनशील है।'

ठाकुर ने स्वर में तीव्रता लाकर कहा—'यह बकवास है। मुझे मत सुनाओ।'

तब अतुल वहां रुका नहीं, दूसरी तरफ बढ़ गया।

× × ×

यूं अतुल संध्या के झुटपुटे के बाद में घर नहीं पहुंचा। वह परेशान था। जब अन्धेरा बढ़ गया तो वह अब्दुल्ला के घर में प्रविष्ट हुआ। सामने छप्पर में मिट्टी का दिया टिमटिमा रहा था। कोई चारपाई पर था। खांस रहा था। अतुल के रूप में किसी को आया देख, पूछा—'कौन, कौन है, भैया।'

'मैं हूं, अतुल,।'

'अरे, तुम हो, अतुल। आओ, आओ।'

अतुल ने पास जाकर देखा कि वह अब्दुल्ला की बेटी जोहरा है। जैसे बुढ़िया हो। असमय ही वासन्ती बयार उसके पास आई और निकल गई। सिर के रूखे बाल, गाल पिचके हुए। आंखें माथे में धंसी हुईं।

देखकर, अतुल बोला—'तेरा क्या हाल हो गया है, जोहरा?'

जोहरा बोली नहीं, सिर झुकाए रही।

किन्तु जब अतुल ने उसे फिर टंकारा तो देखा, जोहरा की आंखें रो पड़ी थीं। वह बरबस चीख पड़ी—'अरे, मेरे बचपन के साथी। भैया अतुल।'

अतुल ने कहा—'मैं अपराधी हूं। इधर आ नहीं पाया। कुछ सुन नहीं पाया।'

जोहरा बोली, 'इस अन्धकार में कौन आएगा। कौन भटकेगा।'

उसी समय जोहरा की मां उधर आई। जोहरा ने बताया, 'अतुल है, जमींदार बाबू का बेटा।'

अतुल ने कहा—'अम्मीजान, सलाम।'

'सलाम बेटा, जीते रहो। सुन्दर बहू आए।' वह बोली—'आज इधर कैसे आ गए? क्या रास्ता भूल गए?'

[शेष पृष्ठ 32 पर

पहला सुख निरोगी काया

कान के रोग और उनका उपचार

डा० युद्धवीर सिंह

सर्दी लगने, कान में सूजन हो जाने, चर्म रोग दब जाने, चोट लगने, कान में अधिक मैल हो जाने या कान में फुंसी हो जाने आदि कारणों से कान में टपकन का सा दर्द या सूई बिंधने का सा दर्द हो जाता है। कभी कभी कान की सूजन बढ़ कर उसमें पीप भी पड़ जाती है। पीप पड़ने पर दर्द तो कम हो जाता है मगर कान सड़ने लग जाता है।

निम्नलिखित दवाएं लक्षणानुसार कान के रोगों में काम आती है।

एकोनाइट—प्रदाह की पहली अवस्था में सर्दी लगने व ठण्ड लगने से दर्द।

बैलाडोना—यकायक दर्द शुरू हो जाए और साथ ही सिर में भी तेज दर्द हो। कान में फुंसी हो और लाल सूजन भी हो।

पल्साटीला—नोचने या तीर से लगने की तरह दर्द हो। बच्चे को खसरे के बाद दर्द होना, सर्दी लगने से दर्द।

एपिस—डंक मारने की तरह दर्द।

मरक्यूरियस—चेचक के बाद कान में दर्द, दर्द दांत तक फैल जाए और रात को गर्म बिस्तर पर सोने से बढ़े, पीप पड़ जाए।

कैमोमिला—कान के साथ साथ दांत में भी दर्द। बच्चों के दांत निकलने के समय दर्द।

आरनिका—कान में चोट लगने की वजह से दर्द।

साइलीशिया—कान में पीप व फोड़ा फुंसी।

हिपर सल्फर—पीप पड़ जाने या फुंसी के पक जाने पर दर्द।

गर्म जल में **प्लन्टेगो मदरटिंचर** 15-20 बूंद 1 छटांक पानी में मिला कर कान को धो देना चाहिए।

बेलाडोना मदरटिंचर—इसकी 8-10 बूंद ग्लीसरिन में मिला कर कान को पोंछ कर 2-3 बूंद डालकर रूई से बन्द कर देना चाहिए। **पल्साटीला मदरटिंचर** या साधारण तेल गर्म करके डालने से दर्द कम हो जाता है। पुराने कान बहने में **साइलीशिया** व **हिपर सल्फर** के उच्च क्रमों से बड़ा फायदा होता है। **टेलूरियम** पुराने कान बहने की अच्छी दवा है। **नाईट्रिक एसिड, कैलकेरियाकार्ब** व **मर्कसोल** भी पुराने कान बहने में काम आता है। कान में पीप के कारण बदबू हो जाए तो **कार्बोलिक एसिड** का लोशन निम्न प्रकार बना कर दो चार बूंद कान में डालते रहना चाहिए।

लोशन—कार्बोलिक एसिड, एक ड्राम, ग्लीसरिन, एक औंस, डिस्टिल्ड वाटर या भाप का पानी, पांच औंस।

कान में ज्यादा पिचकारी लगाना ठीक नहीं है। रात को सोते समय बोरिक एसिड 5-6 ग्रेन कान में फूंक से डालनी चाहिए और सुबह केवल गर्म पानी से कान को धोना चाहिए।

बहरापन

जो लोग जन्म से गूंगे बहरे होते हैं उनका इलाज दवाओं से नहीं हो सकता लेकिन जो लोग शारीरिक दुर्बलता व स्नायु की गड़बड़ी के कारण और किसी अन्य रोग के कारण बहरे हो जाते हैं या कम सुनने लगते हैं वे दवाओं से ठीक हो जाते हैं।

फारफोरस—सभी प्रकार के बहरेपन या कम सुनाई देने में यह दवा उपयोगी है। खासतौर से स्नायु सम्बन्धी क्रिया की गड़बड़ी के कारण उत्पन्न रोग में उपयोगी है। इस रोग में कान में अक्सर कुछ आवाज भी होती रहती है। बहुत दिनों तक टाइफाइड ज्वर रहने के कारण जो बहरापन हो जाता है, उसमें भी यह उपयोगी है।

चायना—शरीर से रस रक्त आदि निकल जाने पर अथवा बुखार आदि के बाद होने वाले बहरेपन मे यह दवा दी जाती है। इसके साथ '**एसिडफास**' भी उपयोगी सिद्ध हुई है। लक्षणानुसार य दवाएं भी दी जाती हैं—**ग्रेफाइटिस, डल्कामारा, सल्फर, साइलीशिया, पल्साटीला** आदि।

कान का एग्जीमा—यों तो एग्जीमा शरीर के किसी भी भाग में हो जाता है, मगर कान के बाहर, पीछे व कभी कभी अन्दर भी यह रोग हो जाता है और बहुत दिनों तक रहता है। खूब खुजली होती है और कभी कभी खुजाने के बाद कान पक जाता है, पीप पड़ जाती है या चिपचिपा-सा पानी निकलता है।

ग्रेफाइटिस—सब प्रकार के एग्जीमा में यह अति उत्तम औषधि है।

रसटास्क—छाले से पड़ जाएं तो यह दवा फायदा करती है।

आर्सेनिक व **सल्फर**—ये दो दवाएं रोग पुराना पड़ने पर दी जाती हैं।

मैजेरियम—कान में बार बार उंगली करने को जी चाहता है और ऐसा मालूम होता है कि ठण्डी हवा कान में घुसी जा रही है।

पेट्रोलियम—जाड़ों में बढ़ने [illegible]। कान में आवाजें भी होती हैं और खुजली बहुत होती है। छूने से दर्द होता है।
सोरिनम—पुराना एग्जीमा जो जाड़ों में हो और गर्मी में ठीक हो जाए।

आजकल कीटाणुनाशक (एन्टीबायटिक) दवाएं एलोपैथी में बहुत इस्तेमाल होती हैं। खासतौर से स्ट्रेप्टोमाइसीन के इस्तेमाल से प्राय: ऊंचा सुनाई देने लगता है। ऐसे बहरेपन में चियोसिनेमाइनम और फासफोरस उपयोगी साबित हुए हैं। 200 क्रमांक सप्ताह में एक बार कुछ दिनों तक लेते रहना चाहिए।

सब उपर्युक्त दवाएं 6 या 30 शक्ति की प्रयोग करें। बीमारी पुरानी हो तो 200—1000 देर-देर में दें।

साहित्य समीक्षा

स्वतन्त्र भारत की झलक—लेखक : डा० राजेन्द्र प्रसाद; प्रकाशक : सस्ता साहित्य मण्डल; प्रथम संस्करण 1973; कुल पृष्ठ : 326; मूल्य : आठ रुपये।

बड़े ओहदे और ख्याति की ऊंचाइयों तक पहुंचे हुए किसी मान्य व्यक्ति का अन्तरंग जीवन जन-साधारण के इतने करीब हो सकता है, इस सम्भावना को प्राय: हम स्वीकार नहीं कर पाते क्योंकि हमारी दृष्टि उस व्यक्ति को कुर्सी से पृथक् करके देख ही नहीं पाती। 'फोकस' में केवल वह पद आता है, पद-मुक्त व्यक्ति बहुत कम। ऐसे व्यक्तित्व हमारी दृष्टि के केन्द्र तभी बन पाते हैं जब हम उनके निकट-सम्पर्क को पा लें। यह सम्पर्क किसी भी प्रकार का हो सकता है। पत्रों में मानव का हृदय बोला करता है। ऐसे ही कुछ पत्रों के माध्यम से—जो डा० राजेन्द्र प्रसाद की कलम से अपनी बेटी-तुल्य ज्ञानवती दरबार के नाम लिखे गए हैं—हम डा० राजेन्द्र प्रसाद के जीवन का 'क्लोज अप' देखने का सुअवसर पाते हैं। इन पत्रों की प्रत्येक पंक्ति बाबूजी की सादगी, सरलता, सामर्थ्य और सन्तुलित व्यक्तित्व का साक्ष्य देती है।

दूसरी ओर स्वतन्त्रता-प्राप्ति के एकदम बाद देश का विभाजन स्वतन्त्र-भारत के इतिहास में कुछ काली पंक्तियां जोड़ गया जिससे देश में कठिनाइयां और संघर्ष दिन-ब-दिन बढ़ते गए। कश्मीर की गुत्थी इस कदर उलझी कि आज तक सुलझ नहीं पाई। इस दुर्घटना ने आजादी का मजा तो किरकिरा किया, साथ ही आजाद भारत के विकास मार्ग में भी खाई का काम किया। यही नहीं, इस विभाजन के परिणामस्वरूप देश के आर्थिक-सामाजिक और अन्य क्षेत्रों में जो अभाव-जन्य शिथिलता प्रवेश पा गई उसके फलस्वरूप होने वाली चरमराहट को भी राजेन्द्र बाबू के ये पत्र ध्वनित करते हैं। भारतीय किसान की आत्मा रखने वाले राजेन्द्र बाबू ने गांव के किसानों और शहरी लोगों की खाद्य-समस्या-निरूपण के साथ-साथ स्वतन्त्र भारत के सन्दर्भ में औद्योगीकरण की महत्ता और विज्ञान के औचित्य को भी पूर्णत: प्रकाशित किया है।

स्वतन्त्र भारत के संविधान और प्रशासन सम्बन्धी ऐतिहासिक गाथा के साथ ही डा० राजेन्द्र प्रसाद ने इन पत्रों में भारतीय अतीत की गौरव गाथा को भी दोहराया है। आज जो भौतिकता की दौड़ लगाई जा रही है, उसमें कहीं हम भारतवासी अपनी नैतिकता की अमूल्य सम्पदा न खो दें—इस विषय में चिन्तित डा० बाबू अपने पत्रों में स्थान-स्थान पर कहते हैं कि सहिष्णुता के बुनियादी दृष्टिकोण के कारण ही भारत विविधता में भी अपनी सांस्कृतिक परम्परा को संजोए चला आ रहा है, अत: इसे कदापि भूलना नहीं होगा।

बीते हुए पचास वर्षों की दीर्घ-गाथा राजेन्द्र बाबू के इन पत्रों में अनुस्यूत है जो इस युग-विशेष तथा बीती हुई घटनाओं के अतिरिक्त राजेन्द्र बाबू के जीवन और जीवन-दर्शन को भी उजागर करती है। सबसे बड़ी सामर्थ्य इस कृति की यही है कि एक ओर यह इतिहास को तृप्त करती है तो दूसरी ओर आत्म-कथा (पत्र-शैली में) की सरसता से परिपूर्ण है।

श्रीमती ज्ञानवती दरबार का यह प्रयास विशेष स्तुत्य है जिसके परिणामस्वरूप पाठक-वर्ग को एक महान् व्यक्तित्व का नैकट्य प्राप्त हुआ और साथ ही स्वतन्त्र-भारत की यथार्थ झलक। पुस्तक सफाई, छपाई और सम्पादन की दृष्टि से सुन्दर बन पड़ी है। प्रूफ की अशुद्धियां नगण्य हैं।

शशिवोहरा
बी० 1/48, मालवीय नगर
नई दिल्ली

यह गाथा वीर जवाहर की—लेखक : कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर; प्रकाशक : निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली-1; 1973; पृष्ठ : 80; मूल्य 3.00 रुपये।

भारत सरकार द्वारा प्रकाशित इस नेहरू जीवनी के लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हिन्दी के जाने-माने लेखक हैं; साथ ही वे देश की पिछली दशाब्दियों की राजनीतिक गतिविधियों के अभिनेता और गम्भीर प्रेक्षक भी रहे हैं। इसके अलावा, वे नेहरू-परिवार और जवाहरलाल नेहरू के परम प्रशंसक और

गुणलुब्ध भवत हैं । इस कारण जवाहरलाल जी की किशोरोपयोगी जीवनी लिखने के लिए उनसे अधिक उपयुक्त व्यक्ति मिलना मुश्किल था ।

किशोरोपयोगी जीवनी के लेखक की सफलता इस बात से आंकनी चाहिए कि अपने चरित नायक को अपने पाठकों का प्रिय और श्रद्धेय बना सका या नहीं । इस कसौटी पर कस कर देखा जाए तो यह जीवनी सोलह आना सफल कही जा सकती है । अपना मूलभाव प्रशंसा (या कहिए भक्ति) का रख कर, जीवन की महत्वसूचक घटनाओं का चुनाव करके और उन्हें भावमय रीति से लिखकर मिश्रजी ने अपने चरितनायक की जो शानदार तस्वीर पेश की है, वह प्रेम, श्रद्धा और उत्साह के भाव जगाती है ।

इस जीवनी के जवाहरलाल समृद्ध पिता के पुत्र, बचपन में जोश से भरे लेकिन झेंपू, विलायत के शिक्षणालयों में पढ़े युवक, आज़ादी के उत्साह से भरे नेता, किसानों के साथी और दोस्त, अंग्रेजों की जेल के अनुभवी और नवीन भारत के निर्माता होने के साथ-साथ अनुशासनप्रिय नेता, झुंझलाहट भरे व्यवहारों और इन्सानियत की मूर्ति थे । ऐसे व्यक्ति के आगे कौन नतमस्तक न होना चाहेगा ?

कहीं-कहीं भाव की अतिशयता महसूस होने लगती है, कहीं-कहीं परिवार की समृद्धि का बखान चरितनायक के अपने कार्य के गौरव को दबा देता है और कहीं-कहीं भाषा शैली में कुछ असावधानी खटकती है ।

पर कुल मिलाकर मिश्र जी की यह रचना हिंदी भाषी किशोरों के लिए आधुनिक भारत के एक महान पुरुष के अनुकरणीय जीवन की भावपूर्ण झलक प्रस्तुत करती है ।

जो कलाकार के बनाए चित्र दिए गए हैं, उनके स्थान पर कुछ असली फोटो देना अधिक संगत होता—जवाहरलाल जैसे सुपरिचित व्यक्ति के चित्र से उनके चेहरे की पहचान तो हो सकनी चाहिए ।

पुस्तक सफाई, छपाई, टाइप तथा कागज आदि की दृष्टि से सुन्दर बन पड़ी है । प्रूफ की अशुद्धियां नगण्य हैं ।

देवेन्द्रकुमार

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की वार्षिक रिपोर्ट 1972-73—प्रकाशक : राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सी-56, साउथ एक्सटेंशन भाग 2, नई दिल्ली ।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की ग्यारहवें वर्ष की प्रगति का ब्यौरा इस वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है । हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दृष्टि से निगम ने सहकारी संस्थाओं को आलोच्य वर्ष 1972-73 म 2, 511. 24 लाख रु० के ऋण उपलब्ध कराए । निगम ने केन्द्रीय सहायता के रूप में सभी राज्यों को राशि उपलब्ध कराई और इस वर्ष में यह राशि 6,000.00 लाख रु० थी । कुल मिलाकर पुस्तिका में निगम द्वारा किए गए कार्यों का विस्तृत विवरण दिया गया है, जिसे पढ़कर राष्ट्र के विकास में निगम के योगदान का पता चलता है । पर, पूरी रिपोर्ट में भाषा प्रवाहमयी न होकर अनूदित लगती है और यही वजह है कि इस पर अंग्रेजी की छाप स्पष्ट बनी हुई है । "प्रोसेसिंग" के लिए "अभिसंस्कार" जैसे शब्द का प्रयोग और फिर दूसरे प्रसंग में "प्रोसेसिंग" के लिए ही "प्रक्रिया" का प्रयोग बिल्कुल समझ में नहीं आता और भाषा की एकरूपता में व्याघात उत्पन्न करता है । अच्छा होता यदि भाषा सरल और प्रवाहमयी होती और अनुवाद में मौलिकता लाने का प्रयास किया जाता । वैसे पुस्तिका में पर्याप्त सूचियां, चित्र और ग्राफ आदि दिए गए हैं जिनसे अच्छी तरह जानकारी मिलती है । छपाई-सफाई की दृष्टि से तो पुस्तिका बहुत ही सुन्दर बन पड़ी है । प्रूफ की अशुद्धियां यदा-कदा रह गई हैं । पुस्तिका अपने मूल उद्देश्य-निगम की वार्षिक प्रगति और उसके महत्व को उभारने में पूरी तरह सफल रही है ।

त्रिलोकी नाथ

रहम की भीख............ [पृष्ठ 29 का शेषांश]

अतुल ने कहा—'नहीं इधर ही आया था । जोहरा बहिन से मिलना था ।'

अच्छा बेटा, खुदा तुम्हें इकबाल अदा करे ।' वृद्धा बोली—'यह जोहरा तो जिन्दगी की भरी दोपहरी में लुट गई ।'

वृद्धा लौट गई । अतुल बोला—'जोहरा कसूरवार तो हूं मैं, फिर भी तुम माफ कर दो । लो, ये कुछ रुपए हैं मेरे पास, इन्हें रखो । भैया दे रहा है । बड़े मियां मिले थे शाम को, मैं सब समझ गया ।'

जोहरा बोली—'रुपए नहीं, तुम्हारे मन का रहम चाहिए, इस बदनसीब को ।'

'मैं तुम्हारा हूं, जोहरा । अब आया करूंगा ।' वह उठ कर चल दिया ।

किन्तु उस मकान से कुछ ही दूर अतुल चला था कि कुछ लोगों ने उसे घेर लिया । एक चिल्लाया 'आज बेटे को भी लो, बाप को भी लो ।' और तभी उसने लाठी का वार अतुल पर कर देना चाहा ।

पर अचानक एक अपूर्व स्वर उठा—'ठहरो । इन्सानियत के दुश्मन ।'

'कौन, अब्दुल्ला की लड़की जोहरा । ओह !' और लाठी का हाथ जैसे ही जोहरा के सिर पर पड़ा कि अतुल चीख उठा—'जोहरा ।'

दो सप्ताह बाद जब जोहरा अस्पताल से लौटी, तो उसके समान, वह गांव भी चकित था कि अतुल के पिता जमींदार जोरावर ने अपने समस्त अधिकार बेटे को सौंप दिए थे । और बेटे ने जहां शहर में जाकर पढ़ाई का क्रम समाप्त किया, वहां गांव में जिसका जो अधिकार था, उसे सौंप दिया । अब उस गांव में खेती का काम सहकारिता के आधार पर किया जाने लगा था ।

और जब जोरावर एक दिन अब्दुल्ला के घर पहुंचा, उसकी बेटी से मिला, तो उसने बिस्तर पर पड़े हुए एक बात कही—'बड़े बाबू, इस गांव को रहम चाहिए, आपसे रहम की भीख चाहिए ।'

किन्तु आश्चर्य, तब जमींदार अत्यन्त भावुक हो उठा—'नहीं जोहरा बेटी, रहम की भीख तुम्हें देनी चाहिए । तुमने गांव बचाया है, जो इन्सानी समूह धू-धू करके जल जाने वाला था, उस पर तुमने पानी डाला है । उसे ठण्डा किया है ।'

केन्द्र के समाचार

बैंकों का विस्तार

राष्ट्रीयकरण के बाद देहाती क्षेत्रों में बैंकों की संख्या में लगभग 51 प्रतिशत वृद्धि हुई है। वित्त मन्त्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार अर्ध-शहरी इलाकों में इनकी संख्या में 20 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय बैंकों की शाखाओं की कुल संख्या का 22.4 प्रतिशत देहातों में था। वर्ष के अन्त तक यह संख्या 36.5 प्रतिशत हो गई।

जिन क्षेत्रों में बैंकों की संख्या बहुत कम थी, वहां उनकी संख्या में 147 प्रतिशत वृद्धि हुई है। जुलाई 1969 को इनकी संख्या 465 थी। अब यह बढ़कर 1147 हो गई है। ऐसे इलाके हैं :—मेघालय, असम, नागालैंड, बिहार, उड़ीसा, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, दादर और नगर हवेली, मिजोरम और लक्षद्वीप। पिछले साढ़े चार वर्षों में ऐसे इलाकों में जहां बैंकों की संख्या पहले काफी थी, इनकी संख्या में 86 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

सभी अनुसूचित व्यापारिक बैंकों में 18 जुलाई, 1969 को कुल जमा राशि 4,669 करोड़ रु० थी। साढ़े चार वर्ष की अवधि के अन्दर 8 फरवरी, 1974 को यह राशि 115 प्रतिशत बढ़कर 10,061 करोड़ रुपये हो गई। इसी अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जमाराशि 3,885 करोड़ रुपए से 118 प्रतिशत बढ़कर 8,450 करोड़ रुपए हो गई।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को जून, 1973 के अन्त तक की कुल ऋण राशि में से लगभग 24.3 प्रतिशत राशि ऋण रूप में दी।

कृषि वित्त के क्षेत्र में भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने निरन्तर प्रगति की है। इन बैंकों ने जून, 1969 तक 162.33 करोड़ रुपए और मार्च, 1973 के अन्त तक 425.45 करोड़ रु० तक इस कार्य के लिए दिए। इनमें से किसानों को दी गई सीधे ऋण की राशि जून 1969 को 40.21 करोड़ रुपए से बढ़कर मार्च, 1973 में 272.06 करोड़ रुपए हो गई। जिन किसानों को लघु अवधि के ऋण दिए गए उनमें से 62 प्रतिशत किसानों के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं थी और 78 प्रतिशत के पास 10 एकड़ से अधिक भूमि नहीं थी।

स्टेट बैंक आफ इन्डिया समूह ने चुने हुए केन्द्रों में विशेष कृषि विकास शाखाएं स्थापित करके नए प्रयोग शुरू किए हैं। चौथी योजना के 150 केन्द्रों के लक्ष्य में से 138 कृषि विकास शाखाएं दिसम्बर, 1973 के अन्त तक खोली जा चुकी थीं। थोड़े समय के अन्दर इन बैंकों ने 1,32,477 किसानों को 20.20 करोड़ रुपए दिए।

पिछले वर्ष कृषि पुनर्वित्त निगम अधिनियम में संशोधन किया गया। इसके परिणामस्वरूप निगम उचित मामलों में अब बिना जमानत लिए ऋण दे सकता है। इससे भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को लाभ हो सकेगा।

छोटे कारखाने

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में एक लाख 60 हजार नए छोटे कारखाने खोलने का प्रस्ताव है। इनमें लगभग 16 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। इनमें से 10 लाख व्यक्तियों को नए छोटे कारखानों में तथा 6 लाख व्यक्तियों को वर्तमान उद्योगों में रोजगार मिलेगा। नए कारखाने खोलने तथा वर्तमान कारखानों के आधुनिकीकरण और विस्तार पर 1,750 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी लगाने का अनुमान है।

प्रोटीनयुक्त जौ

भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान, नई दिल्ली की परमाणु अनुसन्धान प्रयोगशाला ने बेहतर किस्म का जौ प्राप्त करने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का नाम 'म्युटेशन ब्रीडिंग' है। इसका उद्देश्य जौ की किस्म में सुधार और उत्पादन में वृद्धि है। जौ की दो किस्मों—नौश-1 और नौश-2 को अलग-अलग किया गया है। इनमें 18 प्रतिशत प्रोटीन है, जबकि मूल किस्म में 13 प्रतिशत प्रोटीन है। इन नई किस्मों में लाइसिन की मात्रा भी अधिक है। अलग-अलग वातावरणों में इनकी प्रोटीन की मात्रा और स्तर में कोई अन्तर नहीं पड़ता। इन किस्मों को प्रजनन कार्यक्रम में इस्तेमाल किया गया है, ताकि अधिक फसल देने वाली जौ की किस्मों में प्रोटीन का अधिक तत्व आ जाए। प्रयोगशाला में जौ की जड़ों के विकास के नमूनों का भी अध्ययन किया गया है। परिणामों से पता चलता है कि जड़ों के लगभग 30 सेंटीमीटर की गहराई तक फैलने और अधिक उत्पादन में सीधा सम्बन्ध है। आम-तौर पर जौ की जड़ें गेहूं के मुकाबले गहरी होती हैं और ये सूखे को भी कहीं ज्यादा बर्दाश्त कर सकती हैं।

बचत में वृद्धि

राष्ट्रीय लघु बचत योजनाओं के अन्तर्गत हुई बचतों में दो उल्लेखनीय पहलू नजर आए हैं। कुल बचत चौथी योजना के निर्धारित लक्ष्य से 350 करोड़ रु० से भी अधिक बढ़ गई है।

पहला उल्लेखनीय पहलू यह रहा है कि मूल्यों में वृद्धि के

[शेष पृष्ठ 36 पर

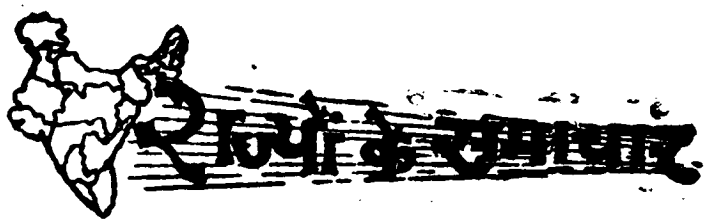

उत्तर प्रदेश

श्वेत क्रान्ति योजना

उत्तर प्रदेश में श्वेत क्रान्ति लाने के उद्देश्य से एक महती सहकारी योजना पर कार्यान्वयन आरम्भ कर दिया गया है।

लगभग एक करोड़ रुपये की लागत की इस योजना के अन्तर्गत सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, आजमगढ़, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, बिजनौर, जौनपुर और जालौन में एक-एक कोआपरेटिव डेरी फैक्टरी स्थापित की जाएगी। आशा है कि इन फैक्टरियों को इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक चालू कर दिया जाएगा।

सहकारी दुग्ध फैक्टरियां दूध की स्थानीय आवश्यकता की पूर्ति तो करेंगी ही, साथ ही निकट की बड़े आकार की सहकारी फैक्टरियों के लिए भी वे पोषक का कार्य भी करेंगी। ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि उनके बचे हुए दूध की सप्लाई बड़ी फैक्टरियों को होती रहे।

गेहूं के मूल्य में वृद्धि

राज्य सरकार के एक प्रेस नोट द्वारा इस बात को स्पष्ट किया गया है कि सस्ते गल्ले की दुकानों में बिकने वाले गेहूं का मूल्य 1.33 रुपये प्रति किलोग्राम क्यों निर्धारित किया गया है। प्रेसनोट में यह बताया गया है कि विक्रय मूल्य 1 रुपया से 1.33 रुपया प्रति किलोग्राम बढ़ाना आवश्यक हो गया क्योंकि केन्द्रीय सरकार ने गत वर्ष 15 अप्रैल से गेहूं का मूल्य भारतीय खाद्य निगम के गोदामों पर 90 रुपये प्रति क्विण्टल से बढ़ाकर 125 रुपये क्विण्टल कर दिया। फिर भी राज्य सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र में गोदामों से आगे ले जाने पर होने वाले व्यय की सावधानी से जांच-पड़ताल करके उसे यथासम्भव बहुत कम कर दिया जो अत्यन्त आवश्यक था ताकि उपभोक्ताओं को कठिनाई न उठानी पड़े।

भारत सरकार 15 अप्रैल के पूर्व गेहूं की बिक्री पर बहुत अधिक सहायता देती थी। राष्ट्र के व्यापक हित में उन्होंने अब सहायता कम करने का निर्णय किया है।

पेयजल योजनाएं

राज्य सरकार ने हाल में इलाहाबाद जिले की सईदाबाद पेयजल योजना के लिए 24.50 लाख रुपये तथा सिधौली पेयजल योजना के लिए 25 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। इन योजनाओं के पूरा हो जाने पर इस क्षेत्र के 100 गांवों को पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध हो सकेगा।

उक्त योजनाओं के अतिरिक्त 176.22 लाख रुपये की लागत से शंकरगढ़, जारी, सिरा, शहजादपुर और दारा नगर की पेयजल योजना पूरी कर दी गई हैं जिनसे 356 गांवों को पेयजल की सुविधा दी जा रही है।

वृक्षों को गिराने की जांच

मुख्य मन्त्री, श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा ने गत 24 अप्रैल को चमोली जिले में चलाए गए "चिपको" आन्दोलन को दृष्टि में रखकर उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के वनों में पूर्ण आयु के तथा पूर्ण आयु से अधिक वाले वृक्षों को गिराने की सम्भावना पर विचार करने के लिए एक समिति के गठन का आदेश दिया। इस समिति में स्थानीय विधायक और वन विभाग के अधिकारी होंगे जिसके अध्यक्ष एक वनस्पति शास्त्री होंगे। समिति से अगले माह के अन्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देने के लिए कहा जा रहा है।

मुख्य मन्त्री ने सर्वोदय नेता श्री सुन्दरलाल बहुगुणा तथा श्री चन्डी प्रसाद भट्ट द्वारा विधान भवन में मेंट किए जाने व उनके साथ विचार-विमर्श किए जाने के उपरान्त यह आदेश दिए।

एक अन्य समिति भी गठित की जा रही है जो रेजिन (लीसा) निकालने में होने वाली क्षति की रोकथाम के लिए उपायों का सुझाव देगी। मुख्य मन्त्री ने लीसा निकालने की हिमाचल पद्धति को समाप्त करने के लिए तथा वनों में और अधिक श्रम सहकारी समितियां स्थापित करने के लिए कहा ताकि लीसा निकालने की वैज्ञानिक रीति में अधिक संख्या में स्थानीय लोग लगाए जा सकें।

चमोली और टेहरी-गढ़वाल में चार ऐसी सहकारी समितियां पहले से ही कार्य कर रही हैं। मुख्य मन्त्री ने इन सर्वोदय नेताओं को आश्वासन दिया कि सभी सम्भव प्रयास इन सहकारी समितियों को सहकारी बैंकों से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किए जाएंगे ताकि उनकी अर्थ-व्यवस्था में सुधार हो और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार सुनिश्चित हो जाए।

मुख्य मन्त्री ने वन विभाग को यह आदेश भी दिए हैं कि प्रदेश के पांच पर्वतीय जिलों में ठेकेदारों द्वारा अनधिकृत रूप से किए जाने वाले वृक्षों की कटान की रोकथाम के लिए अवैतनिक वन निरीक्षकों की नियुक्ति करे। उन्होंने कहा कि इस कार्य में सर्वोदय कार्यकर्त्ताओं तथा स्वयसेवी संस्थाओं का सहयोग भी प्राप्त किया जाए।

श्री बहुगुणा ने उक्त आदेश तब दिए जब सर्वोदय नेताओं—सर्वश्री सुन्दरलाल बहुगुणा तथा चण्डीप्रसाद भट्ट ने उन्हें बताया कि वनों के कुछ ठेकेदार चमोली तथा टिहरी-गढ़वाल में वृक्षों को अनुचित रूप से काट रहे हैं, जिससे वहां भूमि के कटाव तथा बाढ़ आने का खतरा पैदा हो गया है।

वनों का संरक्षण

पर्वतीय निवासियों की सुविधा को दृष्टि में रखकर यह निर्णय किया गया है कि वृक्षारोपण के लिए "आपत्ति नहीं प्रमाण पत्र" अब सम्बन्धित क्षेत्र के ब्लाक प्रमुख अथवा विधायक से प्राप्त किया जा सकता है।

उक्त आशय का निर्णय पर्वतीय विकास परिषद् के उपाध्यक्ष, श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी की अध्यक्षता में उस समिति ने लिया जो कुमाऊं वन तथ्य जांच समिति की संस्तुतियों की समीक्षा करने के उद्देश्य से गठित की गई थी।

यह भी निर्णय लिया गया कि बांस जैसे महत्वपूर्ण वृक्षों के वनों की व्यवस्था के लिए ग्रामवासियों की समिति गठित की जाए।

ग्रामोद्योगों का विकास

मुख्य मन्त्री, श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा ने आज चेतावनी दी कि यदि उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ग्रामीण उद्योगों को विकसित करने में असफल रहा तो निश्चय ही उसका भविष्य अन्धकारमय हो जाएगा और अन्ततः यह एक निर्जीव संगठन बन जाएगा।

गांधी जी द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के आधार पर निर्धन ग्रामवासियों को रोजगार देने के उद्देश्य से ग्रामोद्योग की स्थापना करने के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन 1960 में किया गया था। बोर्ड ने खादी पर ही बल दिया और ग्रामोद्योग के विकास की उपेक्षा की।

मध्य प्रदेश

कृषकों को रासायनिक खाद

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा खण्डवा जिले में 73-74 में किसानों को 15 हजार मीट्रिक टन के निर्धारित लक्ष्य से अधिक 16 हजार मीट्रिक टन रासायनिक खाद उपलब्ध कराया गया। इसमें 9,000 टन नत्रजनीय, 6,150 टन स्फुरीय और 890 मीट्रिक टन पोटाश युक्त खाद सम्मिलित हैं।

इसके अतिरिक्त, सहकारी विपणन संघ द्वारा जुलाई 73 से मार्च 74 की अवधि में कृषकों को 205 डीजल पम्प और 124 विद्युतचालित सिंचाई पम्प वितरित किए गए।

राजस्थान

आदर्श बचत जिला

झुंझुनू जिला मातृभूमि की रक्षा के लिए धन व जन देने की दृष्टि से राजस्थान में सर्वोपरि रहा है। यहां की गौरवशाली परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जुलाई, 1960 में इस जिले को राजस्थान के आदर्श बचत जिले के रूप में चुना था। तब से अल्पबचत योजना ने यहां व्यापक और लोकप्रिय रूप धारण कर निरन्तर प्रशंसनीय प्रगति की है।

इस वर्ष 3,120 नए डाकघर बचत बैंक के खाते खोले गए, जिनमें 42.19 लाख रु० जमा कराए गए, जबकि गत वर्ष में कुल 1,952 खाते खोले गए और 37.82 लाख रु० ही जमा कराए गए थे। इसी प्रकार 1,500 नए आवर्त्ती जमा खाते खोले गए और इसमें 3.55 लाख रु० जमा कराए गए, जो कि गत वर्ष की जमा राशि से 1 लाख 53 हजार रु० अधिक है। इस वर्ष सावधिक खातों में 44.67 लाख रु० और सी०टी०डी० में 6 लाख रु० जमा कराए गए। 2 लाख 63 हजार 470 रु० राष्ट्रीय बचत पत्र बिके और एजेन्टों के द्वारा 1 लाख 41 हजार 380 रु० जमा कराए गए।

बढ़ती हुई मंहगाई के बावजूद इस जिले के 128 कार्यालय एवं शिक्षण संस्थाओं में 5,926 कर्मचारियों ने वेतन से सीधी बचत प्रणाली द्वारा इस वर्ष 5 लाख 56 हजार रु० जमा करवाए।

लघु कृषि अभिकरण

अलवर जिला लघु कृषक विकास अभिकरण द्वारा 1973-74 में सम्भावित किए गए कार्यों से जिले के 26 हजार 400 कृषक लाभान्वित हुए हैं।

यह जानकारी अलवर के जिलाधीश ने हाल ही में अभिकरण की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।

बैठक में बताया गया कि उक्त अवधि में 393 कुंओं का निर्माण कराया गया एवं 147 पम्प सैट लगाए गए जिनके लिए क्रमशः 12.54 लाख रु० व 6.69 लाख रु० के ऋण कृषकों को सुलभ कराए गए।

इसके अतिरिक्त पशुपालकों को भी 3.38 लाख रु० ऋण के रूप में प्रदान किए गए।

इस अवसर पर अभिकरण का 1974-75 का 27.93 लाख रु० का बजट भी पारित किया गया।

अकाल राहत

सीकर जिले में अकाल के स्थायी समाधान के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना के अन्तर्गत वर्ष 1973-74 में अनेक अकाल राहत कार्य सम्पादित किए गए जिन पर लगभग 1 करोड़ 56 लाख 84 हजार रु० व्यय हुए और 56,560 श्रमिकों को 6 माह तक रोजगार सुलभ हुआ।

सीकर जिले को गंधानगर की भांति राजस्थान का दूसरा अन्न भण्डार बनाने के लिए चार माह की अल्पावधि में चार हजार कुंओं का निर्माण कार्य इस आकांक्षा का द्योतक है। इस योजना के अन्तर्गत 1 करोड़ रु० की अनुदान सहायता, 25 लाख रु० का तकावी ऋण तथा पंजाब नेशनल बैंक द्वारा 44 लाख रु० का ऋण उपलब्ध कराया गया।

आलोच्य अवधि में 17 सड़कों का निर्माण कराया गया तथा सिंचाई कार्यों के लिए 18 बांध बनवाए गए जिन पर क्रमशः लगभग 46.79 लाख रु० तथा 6.91 लाख रु० व्यय हुए।

जिले में जिन क्षेत्रों में पशुओं के पीने के पानी की कमी थी वहां 49 जोहड़ों की खुदाई कराई गई जिन पर 3,51,965 रु० व्यय हुए।

ग्रामीण क्षेत्रों के 33 कुंओं को पीने के पानी के लिए गहरा कराने एवं मरम्मत कराने के कार्यों पर 66,500 रु० व्यय हुआ।

इसके अतिरिक्त जिले के सभी 762 असहाय व्यक्तियों को उक्त अवधि में 1,20,370 रु० प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के दर से वितरित किए गए।

हरियाणा

भण्डारागार सुविधाएं

हरियाणा भण्डारागार निगम का पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में मालगोदाम सेवाओं के प्रसार के लिए 4.46 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव है।

इस प्रस्तावित राशि में से 3.70 करोड़ रुपए मालगोदामों के निर्माण पर खर्च करना निश्चत किया गया है और 40 लाख रुपए खाद, बीज और धातु के ड्रम आदि खरीदने के लिए आवर्ती जमा के रूप में रखे जाएंगे और शेष 36 लाख रुपए मालगोदामों में भण्डार की गई वस्तुओं पर धुंआ करने, रोगाणु नाशक औषधियों आदि सुविधाएं जुटाने पर खर्च किए जाएंगे।

नवम्बर, 1967 में राज्य में मालगोदामों की संख्या 16 थी जो बढ़कर 42 हो गई है। निगम को वर्ष 1972-73 के दौरान 24,60,000 रुपए का लाभ हुआ जो कि वर्ष 1971-72 में हुए लाभ से दुगुना है।

□

केन्द्र के समाचार ...... [पृष्ठ 33 का शेषांश]

बावजूद निजी बचतों में काफी वृद्धि हुई है। 1973-74 की 450 करोड़ रु० की कुल बचत में निजी बचत 55.5 प्रतिशत यानि लगभग 250 करोड़ रु० है। इससे पिछले वर्ष निजी बचत 175 करोड़ रु० की हुई थी।

दूसरा उल्लेखनीय पहलू यह है कि जिन राज्यों की प्रति-व्यक्ति आय अधिक है, बचत करने में अनिवार्यतः वे ही आगे नहीं हैं। उदाहरण के लिए 1973-74 के दौरान पंजाब में 9 करोड़ 10 लाख रु० की बचत हुई, जो कि इससे पिछले वर्ष के मुकाबले 23 लाख रु० अधिक थी। दिल्ली में 14 करोड़ 93 लाख रु० की बचत हुई और यह बचत 45 लाख रु० अधिक है। चण्डीगढ़ में 30 लाख रु० की बचत हुई और यह 9 लाख रु० अधिक है। सबसे अधिक बचत 1973-74 में पश्चिम बंगाल (81.99 करोड़ रु०) में हुई। इसके बाद उत्तर प्रदेश (57.76 करोड़ रु०), महाराष्ट्र (57.41 करोड़ रु०), बिहार (40.79 करोड़ रु०) का स्थान है। उड़ीसा में बचत की राशि 14.28 करोड़ रु० हुई।

परिवार नियोजन कार्यक्रम

परिवार नियोजन कार्यक्रम में जनता का सहयोग प्राप्त करने में प्रोत्साहन देने के लिए पुरस्कार दिए जाएंगे।

ग्राम पंचायतें, स्थानीय संस्थाएं, और इस कार्य में लगी अन्य संस्थाएं पुरस्कार पाने की हकदार होंगी।

पुरस्कार देने के लिए एक विधि बनाई जा रही है, जिसमें हर एक व्यक्ति की नसबन्दी होने पर दो रुपए डाले जाएंगे।

विभिन्न संस्थानों और अस्पतालों को अच्छा कार्य करने और परिवार नियोजन को बढ़ावा देने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के लिए पैसा भी दिया जाएगा।

नसबन्दी और बन्ध्यकरण के लिए पहले की तरह 35 और 45 रु० दिए जाते रहेंगे। यदि आपरेशन कराने वाली महिला को अस्पताल में खाना नहीं मिलता तो उसे 25 रुपए और दिए जाएंगे।

लूप लगवाने वाली महिला को केन्द्र तक आने के लिए भाड़ा और इसके बाद कुछ खाने पीने के लिए 8 रुपए दिए जाएंगे।

अब परिवार नियोजन सम्बन्धी छोटे-छोटे शिबरों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्रोत्साहन दरों के अलावा राज्य सरकारें अपनी ओर से भी गर्भ निरोधक उपाय अपनाने के लिए प्रोत्साहन दे सकती हैं।

मूंगफली का उत्पादन

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए 1967 में शुरू की गई अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना का विस्तार किया जाएगा।

इस परियोजना के लिए देश के विभिन्न स्थानों में 19 केन्द्र और 30 उपकेन्द्र हैं। इनमें से 22 केन्द्र और उपकेन्द्र हैं जो मूंगफली सम्बन्धी अनुसंधान कार्य से सम्बन्धित हैं।

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान तिलहन के अनुसंधान के लिए कुल 165 लाख रु० की पूंजी लगाई गई है।

इस समन्वित परियोजना की मुख्य विशेषताएं हैं :—

मूंगफली की फसल में सुधार करना, फसल की देखभाल के उन्नत तरीके अपनाना, पौधों की सुरक्षा करना और उन्हें खर व मौसम से बचाना है।

चूंकि देश की अधिकांश खाद्य तेल अर्थ-व्यवस्था मूंगफली पर आधारित है, इसलिए तिलहन के अनुसंधानों पर काफी जोर दिया गया है।

सीमेंट का उत्पादन

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 2.5 करोड़ टन सीमेंट के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

विजेताओं को पुरस्कार

अखिल भारतीय बुनियादी साहित्य प्रतियोगिता

भारत सरकार के कृषि मन्त्रालय के सामुदायिक विकास और सहकारिता विभाग द्वारा आयोजित दसवीं अखिल भारतीय बुनियादी साहित्य प्रतियोगिता के परिणाम मंगलवार, दिनांक 30 अप्रैल, 1974 को घोषित किए गए। कुल मिलाकर 14 पांडुलिपियों/पुस्तकों को पुरस्कृत करने के लिए चुना गया।

इस प्रतियोगिता में सामुदायिक विकास और सहकारिता सम्बन्धी 14 विभिन्न विषयों पर असमी, बंगला, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू भाषाओं में प्रविष्टियां आमन्त्रित की गई थीं। पुरस्कार के लिए प्रत्येक विषय पर एक पुस्तक/पांडुलिपि का चयन किया गया है।

प्रत्येक पुरस्कार एक हजार रुपए की नकद राशि का है। रचना-स्वत्व (कापीराइट) के लिए प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक हजार रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे।

पुरस्कार विजेताओं तथा उनकी पुस्तकों/पाण्डुलिपियों के नाम निम्नलिखित हैं :—

क्रम सं०	पुरस्कार विजेता का नाम	भाषा	पुरस्कृत पुस्तक/पाण्डुलिपि का शीर्षक
1.	श्री खलील सैयद	बंगला	पाल्ली उनासिन तथा कर्म संस्थान
2.	डा० के०वी० पांसे	मराठी	ग्रामीण भागांतील अपू-या व निकस आहाराची समस्या
3.	श्री मन्मथ नाथ दास	बंगला	सोनार कान्थी
4.	श्री सचीन्द्र नाथ चन्दा	बंगला	पंचायतेर सार्थक रुपायन ओ बिकाश
5.	श्री नक्कन मिर्ज़ा	उर्दू	मुकामी मसायेल और उनके हल
6.	श्री विनोद सरमा	असमी	नूतन सूरजयार पोहार
7.	श्री परनब कुमार फुकों	असमी	अमर गांव
8.	श्रीमती एस० कलासेकर	तमिल	विलापोरुल विरपानीयम पक्कुअम सिथालूम कुटुरावू मुराइगल
9.	श्री लीलाधर हैगडे	मराठी	रामूमास्तर
10.	श्री मादरम सैकिया	असमी	कुरुक्षेत्र
11.	श्री एस०पी० श्रीनिवास मूर्ति	कन्नड़	कृषि उत्पादनेगे साहकारा संस्थेकाडा सहाया
12.	श्री के०एस० नागराजन	तमिल	कुट्टुरावु मोरायम इलानजर पानीयम
13.	श्री नन्द किशोर बिक्रम	उर्दू	सफेद इन्कलाब
14.	श्री डी०सी० मंघवानी	सिंधी	अनाज अयं बियन जरूरी शयन खे जनता ताई पहुचेण में सहकारी संस्थाउन जा फर्ज

बुनियादी साहित्य योजना के अन्तर्गत अब तक दस प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। इस योजना का उद्देश्य सामुदायिक विकास, पंचायतीराज और सहकारिता के बारे में लोगों के विचारों और अनुभवों की अभिव्यक्ति को प्रोत्साहन देना था। प्रतियोगिता के लिए भारतीय भाषाओं में चुने हुए विषयों पर पुस्तकें/पाण्डुलिपियां आमन्त्रित की जाती हैं। बाद में पुरस्कृत प्रविष्टियों को प्रकाशित करवाकर क्षेत्रकार्यकर्त्ताओं, ग्रामीण-शिक्षितों और कार्यक्रम से सम्बन्धित गैर-सरकारी कार्यकर्त्ताओं के प्रयोग के लिए खण्डों में वितरित कर दिया जाता है।

□

Regd. No. (D) D/98

आवरण पृष्ठ II का शेषांश]

क्रान्ति को बढ़ावा देंगे वरन् पूरे साल अधिकाधिक लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान करेंगे ।

राज्यपाल महोदय के भाषण के पूर्व उनका स्वागत करते हुए निगम के अध्यक्ष श्री एम० आर० कृष्ण ने करतल-ध्वनि के बीच घोषणा की कि जंगली हाथियों एवं अन्य जंगली जानवरों के उत्पात के बावजूद भी इस फार्म ने लाभ कमाना शुरू कर दिया है । उन्होंने आश्वासन दिया कि निगम अब इस फार्म के विकास के लिए सरकार से कोई भी आर्थिक सहायता नहीं लेगा । अध्यक्ष महोदय ने आगे कहा कि उनका विचार शक्कर का एक कारखाना लगाने का भी है, जिससे न केवल फार्म के गन्ने का ही उचित उपयोग होगा वरन् आसपास के क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों को भी पर्याप्त आर्थिक लाभ मिलेगा ।

फार्म में 1,000 लोगों को पूरे साल तक नियमित रोजगार मिलेगा तथा अन्य 4,000 व्यक्तियों को आंशिक रूप से काम मिला करेगा ।

राजस्थान के राज्यपाल सरदार योगेन्द्र सिंह ने गत 12 दिसम्बर को इस फार्म का निरीक्षण करने के बाद बड़ा सन्तोष व्यक्त किया था और आशा प्रकट की थी कि यहां से उन्नत किस्म के बीज किसानों को उपलब्ध हो सकेंगे ।

ऊसर क्षेत्र का विकास

जहां राज्य फार्म निगम, उत्तर प्रदेश पूर्व क्षेत्र में हरित क्रान्ति लाने का सराहनीय प्रयास कर रहा है वहां प्रदेश के केन्द्र स्थल पर ऊसर को कृषि योग्य बनाने का काम भी उसने हाथ में ले लिया है । रायबरेली जिले में "लालगंज ऊसर विकास परियोजना" का शुभारम्भ करने के पीछे निगम का उद्देश्य यह है कि भारी मशीनों और आधुनिक वैज्ञानिक उपायों द्वारा अल्प समय में ही ऊसर क्षेत्र को कृषि योग्य बनाने का सामूहिक प्रदर्शन किया जाए । अइहर गांव तथा समीप के अन्य गांवों से लगे हुए 500 एकड़ ऊसर क्षेत्र को उर्वर बनाने का कार्य गत 4 अप्रैल को प्रारम्भ किया गया था ।

ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए जो उपाय निगम ने किए है उनमें प्रमुख हैं : ऊसर को भरपूर तर करके दो फुट गहराई तक जुताई करके नीचे की पर्त को ऊपर लाना, बान्ध बनाना, जल निकासी की व्यवस्था करना, भूमि से लवण की मात्रा को कम करना, जिप्सम का प्रयोग, हरी खाद का उत्पादन, धान, बरसीम आदि उगाना । इन तरीकों के प्रयोग द्वारा 3 महीने के अल्प समय में ही 400 एकड़ ऊसर को 1,000 रु० प्रति एकड़ की लागत से उर्वर बनाया जा चुका है । खरीफ 1973 में 250 एकड़ क्षेत्र में धान पैदा किया था तथा रबी कार्यक्रम के अन्तर्गत 87 एकड़ में अन्य फसलें उगाई गई । आशा है इन दोनों फसलों से एक लाख रुपये की आय होगी जबकि व्यय 1.5 लाख रु० हुआ है ।

निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-1
द्वारा प्रकाशित तथा केसर क्यारी इलैक्ट्रिक प्रेस, लाइब्रेरी रोड, दिल्ली-6 द्वारा मुद्रित ।